विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
	2012-13 - एक परिदृष्टि	
I	कार्यकारी सारांश	
II	बोर्ड का गठन एवं कार्य	
III	प्रशासन एवं स्थापना	
III (क)	अशक्त कर्मचारियों का विवरण	
IV	कॉफी अनुसंधान	
V	विस्तरण तथा विकास	
VI	बाजार विकास और संसाधन हेतु सहायता	
VII	निर्यात संवर्धन	
VIII	बाजार अनुसंधान एवं इंटेलिजेन्स	
IX	लेखा व वित्त	

कॉफी बोर्ड

COFFEE BOARD

2012-13 - एक परिदृष्टि

मुझे वर्ष 2012-13 के लिए कॉफी बोर्ड की 73 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

कॉफी की कीमतों ने वैश्विक एवं घरेलू दोनों स्तरों पर मिला जुला रुझान दर्शाया। वर्ष 2012-13 के दौरान, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें अरेबिका के लिए 191.45 सेन्ट्स/पाउण्ड तथा रोबस्टा के लिए 107.06 सेन्ट्स/पाउण्ड थी। अरेबिका का औसत मूल्य 169.30 सेन्ट्स/पाउण्ड और रोबस्टा का 103.47 सेन्ट्स/पाउण्ड था। इससे ज्ञात होता है कि पिछले वर्ष की तुलना में कीमतों के मामले में अरेबिका में 33.8% और रोबस्टा में 3.3% की गिरावट आई थी। घरेलू बाजार में भी इसी प्रकार का रुझान रिकार्ड किया गया। घरेलू बाजार में अरेबिका के मूल्यों ने 218 रुपए प्रति किलो ग्राम तक बढ़ कर औसतन 192 रुपए प्रति किलोग्राम रिकार्ड किया और रोबस्टा के मूल्यों ने 163 रुपए प्रति किलोग्राम की ऊँचाई छू कर औसतन 145 रुपए प्रति किलो ग्राम रिकार्ड किया। पिछले वर्ष की तुलना में यह ह्रास अरेबिका के लिए 29% और रोबस्टा के मामले में 28% था।

2012-13 के दौरान, 3,04,666 मेट्रिक टन के निर्यात के लिए परमिट जारी किए गए। जारी किए गए कुल निर्यात परमिट के सम्मुख पुष्ट नौभरण अनंतिम रुप से 2,98,040 मेट्रिक टन का हुआ है जिसका मूल्य 851.73 मिलियन यू एस डालर तथा 4532.51 करोड रुपयों का हुआ है और जिसका इकाई मूल्य प्रति मेट्रिक टन 1,52,442 रुपए है और जिसे पिछले वर्ष के दौरान 109 देशों को हुए निर्यात के मुकाबले इस वर्ष 104 देशों को किया है।

जहाँ तक कॉफी उत्पादन का सम्बन्ध है, विश्व उत्पादन में 6.40% की वृद्धि हुई जो 2011-12 के 135.9 मिलियन बैग्स से 2012-13 में 144.6 मिलियन बैग्स तक बढ़ गई। भारत का उत्पादन 3,18,200 मेट्रिक टन था जिसमें 98,600 मेट्रिक टन अरेबिका एवं 2,19,600 मेट्रिक टन रोबस्टा थी। देश के समग्र उत्पादन में 1.34% का सुधार हुआ। अरेबिका का उत्पादन 1.62% तक थोडा कम हुआ जब कि रोबस्टा के उत्पादन में 2.01% वृद्धि हुई।

मार्च-अप्रैल 2012 के दौरान कॉफी उगने वाले भूभागों के अधिकांश क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में हुई पुष्पण एवं समर्थन वर्षा के फलस्वरुप 2012-13 सीजन का पुष्पण एवं फसल सेटिंग अच्छी रही। दक्षिण-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व मानसून अवधि के दौरान हुआ वृष्टिपात तथा मौसम परिस्थितियां फसल के विकास हेतु अनुकूल रहे।

अरेबिका का प्रमुख नाशिकीट वाईट स्टेम बोरर और कॉफी बेरी बोरर की घटना सामान्यतया निम्न से मध्यम रही, बोर्ड की सलाहों तथा वाईट स्टेम बोरर पर मिशन मोड एक्शन प्रोग्राम के कारण नियंत्रण अधीन रखे गए। रोगों में, अरेबिका का प्रमुख रोग कॉफी पत्ती किट्ट की घटना निम्न से मध्यम रही।

उपजकर्ताओं के दृष्टिकोण से देखें तो वर्ष के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न समर्थन एवं राहत उपायों ने उपजकर्ताओं को अपनी वित्तीय मुश्किलों से उबरने में सहायता दी। परन्तु श्रमिकों की कमी चिन्ता का कारण बनी रही।

कॉफी बागानों की धारणीयता, उत्पादन, उत्पादकता एवं क्वालिटी में सुधार के लिए बोर्ड ने XII योजना के पहले वर्ष में XI योजना स्कीमों को क्रियान्वित करना जारी रखा जो पुनर्रोपण के लिए समर्थन, उत्पादकता सुधारने के लिए जल आवर्धन तथा मूल्य प्राप्ति के लिए गुणता उन्नयन जैसे सुविधाएं देते हैं। कार्य पूंजी ऋणों के लिए ब्याज उपदान, छोटे उपजकर्ताओं को वृष्टि बीमा में उपदान जैसे स्कीम भी कार्यान्वित किए गए। गैर पारम्परिक क्षेत्रों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्रों में समेकन, विस्तारण के लिए समर्थन जैसे स्कीम कार्यान्वित किए गए।

श्रमिकों की अलभ्यता एवं कमी के मुद्दों को सुलझाने के लिए तथा कॉफी उपजकर्ताओं को फार्म संक्रियाओं में मशीनरी के इस्तेमाल को अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए भारत सरकार ने

"फार्म संक्रियाओं के मशीनीकरण हेतु समर्थन" को अनुमोदित कर दिया। स्कीम के उत्साहजनक परिणाम के साथ स्कीम को रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान जारी किया गया था।

केफे संस्कृति के आगमन के फलस्वरुप घरेलू खपत में उन्नति देखी गई जो लगातार जारी है। खपत के प्राक्कलन के लिए सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। उद्योग के भविष्य के लिए, घरेलू कॉफी खपत को लगातार बढते रहना होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय कॉफी बाजार की अस्थिरता के सम्मुख उत्पादकों के लिए एक ढाल के रुप में काम करेगा। घरेलू खपत में बढ़त को एक उत्कट कॉफी उद्योग द्वारा ही महसूस किया जा सकता है। इसकी तरंगे कॉफी उद्योग में सभी अनुभव करेंगे जिसके कारण रोजगार के अच्छे अवसर मिलेंगे, उद्यम को प्रेरणा मिलेगी और मूल्य श्रृंखला में सामान्य उन्नति दिखाई देगी। इसकी प्राप्ति के लिए, बोर्ड ने घरेलू खपत की प्रोन्नति को जारी रखा जिसके अन्तर्गत संभावी उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों एवं उपजकर्ता समष्टियों को उपदान देते हुए रोस्टिंग, ग्राईंडिंग एवं पैकेजिंग खण्ड हेतु समर्थन दिया जाता है।

निर्यात के क्षेत्र में, आमदनी बढ़ाने और मूल्य संवर्धन को समर्थन देने के लिए, बोर्ड ने दूरस्थ बाजारों को मूल्य संवर्धित एवं उच्च मूल्य की कॉफी के निर्यात को समर्थन देना जारी रखा जिससे बदले में इन बाजारों में पहुँच को विस्तार तो मिलेगा ही और साथ में अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी समुदाय में उच्च क्वालिटी की एवं उच्च मूल्य की कॉफी के महत्वपूर्ण निर्यातक के रुप में देश की उपस्थिति को बल भी मिलेगा।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार दृष्टिकोण 2012-13

पिछले वर्ष 2011-12 की तुलना में अरेबिका कॉफी की कीमतों ने गिरावट दर्शाई है जब कि रोबस्टा ने 2012-13 में एक ज्यादा आशावादी एवं सुस्थिर रुझान दर्शाया है।

वित्तीय वर्ष अर्थात् 2012-13 (अप्रैल-मार्च) में, औसत आई सी ओ समष्टिक सूचकांक मूल्य 144.61 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड था जिसने 2011-12 के दौरान के 202.16 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में लगभग 28% का घटत दर्शाया।

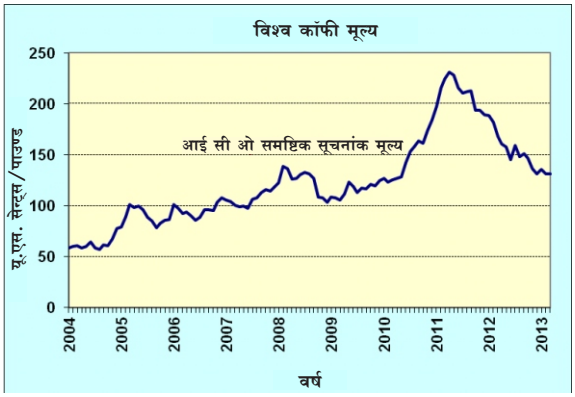

न्यू यार्क फ्यूचर्स (अरेबिका) औसत मूल्य 2012-13 के दौरान 33% घट गए और ये 2011-12 के दौरान 244.26 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में 163.57 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड थे। लन्दन फ्यूचर्स (रोबस्टा) का मूल्य 2012-13 के दौरान 93.22 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड थे जिसने 2011-12 के 97.25 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड के मुकाबले 4.14% का घटत दर्शाया।

कैलेण्डर वर्ष 2012 का औसत आई सी ओ समष्टिक सूचकांक मूल्य जो कि 156.34 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड था, पिछले वर्ष (2011) के 210.39 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में 26% घट गया। 179.22 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड का न्यूयार्क फ्यूचर्स (अरेबिका) औसत मूल्य 2011 के 256.35 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में 30% घट गया जब कि औसत 2012 के 91.86 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड का लन्दन फ्यूचर्स (रोबस्टा) औसत मूल्य 2011 के 101.22 सेन्ट्स प्रति पाउण्ड की तुलना में 9.25% घट गया।

घरेलू बाजार में, अरेबिका मुख्य ग्रेड (प्लांटेशन.ए) के लिए 2012 के दौरान आई सी टी ए औसत नीलामी मूल्य 211 रुपए प्रति किलो ग्राम था जिसने 2011 के 273 रुपए प्रति किलो ग्राम की तुलना में लगभग 22% की घटत दर्ज किया। जब कि रोबस्टा मुख्य ग्रेड (चेरी ए.बी) के मूल्य ने 2011 के 112 रुपए प्रति किलो ग्राम की तुलना में 2012 में 141 रुपए प्रति किलो ग्राम प्राप्त कर 26% की बढ़त दर्ज किया।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय एवं घरेलू बाजार में कॉफी मूल्य में आए बढ़त एवं गिरावट को दर्शाता तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :

तालिका-1

आई सी ओ समष्टिक सूचकांक मूल्य (कॉफी वर्ष औसत) एवं न्यूयार्क तथा लन्दन फ्यूचर्स मार्केट के दूसरे एवं तीसरे स्थान का औसत

यू एस सेन्ट्स/पाउण्ड

वित्तीय वर्ष (अप्रैल/मार्च)	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13
आई सी ओ समष्टिक सूचकांक	91.13	97.30	114.15	117.96	120.14	169.09	202.16	144.61
न्यूयार्क फ्यूचर्स (अरेबिका)	109.79	113.26	127.19	128.90	133.30	195.32	244.26	163.57
लन्दन फ्यूचर्स (रोबस्टा)	51.28	63.60	87.07	88.83	64.54	82.82	97.25	93.22

तालिका-2

आई सी ओ समष्टिक सूचकांक मूल्य (कैलेण्डर वर्ष औसत) एवं न्यूयार्क तथा लन्दन फ्यूचर्स मार्केट के दूसरे एवं तीसरे स्थान का औसत

यू एस सेन्ट्स/पाउण्ड

वित्तीय वर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
आई सी ओ समष्टिक सूचकांक	89.37	95.75	106.88	124.23	115.67	147.24	210.39	156.34	132.75
न्यूयार्क फ्यूचर्स (अरेबिका)	111.50	112.43	121.91	136.46	128.18	165.20	256.35	179.22	146.86
लन्दन फ्यूचर्स (रोबस्टा)	46.79	59.75	78.55	96.76	67.61	71.97	101.22	91.86	93.53

***31.03.2013 को यथास्थिति**

तालिका-3

नीलामी मूल्य - आई सी टी ए (बेंगलूर) में प्राप्त औसत मूल्य **₹ / कि ग्रा**

कैलेण्डर वर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013*
प्लांटेशन ए	104.34	109.84	112.70	131.26	175.32	186.36	272.42	211.18	164.03
रोबस्टा चेरी ए बी	53.68	63.02	75.78	96.86	81.16	79.58	111.78	140.62	139.49

***जनवरी से मार्च, 2013**

वैश्विक आपूर्ती एवं मांग संतुलन :-

2011-12 के 135.9 मिलियन बैग्स की तुलना में 2012-13 के 144.6 मिलियन बैग्स के वैश्विक उत्पादन ने कुल उत्पादन में 6.40% की बढ़त दर्शाया। 2011-12 के 138.9 मिलियन बैग्स की तुलना में 2012-13 में वैश्विक खपत 142.0 मिलियन बैग्स हुई थी।

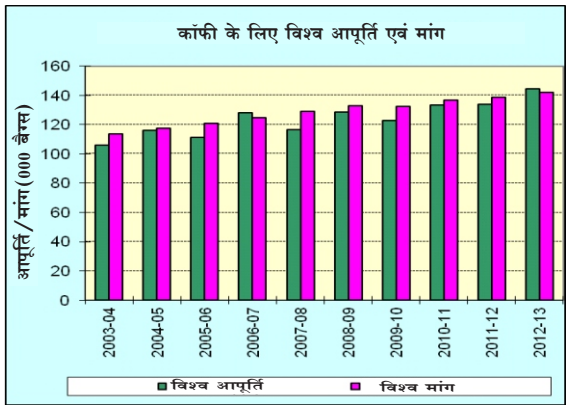

तालिका-4

वैश्विक उत्पादन / खपत

(मिलियन बैगों में)

कैलेण्डर वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
उत्पादन*	109.883	127.028	116.614	128.622	122.798	133.498	135.934	144.646
खपत**	120.795	124.755	129.302	132.965	132.270	137.025	138.971	142.000

स्रोत : * राष्ट्रीय फसल वर्ष (हाल ही में आई सी ओ द्वारा संशोधित)

** कैलेण्डर वर्ष (आई सी ओ सी एम आर जुलाई 2013)

भारत - उत्पादन एवं निर्यात :

कॉफी उत्पादन 2012-13 में 3,18,200 टन आँका गया है जो पिछले वर्ष (2011-12)के 3,14,000 टन के उत्पादन से 1.34% अधिक है। 2012-13 में भारत ने 2,98,040 मेट्रिक टन कॉफी (49,904 मेट्रिक टन के पुन: निर्यात को शामिल करते हुए)का निर्यात किया। इस मात्रा में 58,397 मेट्रिक टन अरेबिका, 1,51,008 मेट्रिक टन रोबस्टा एवं 88,635 मेट्रिक टन इन्स्टंट एवं रोस्टड एवं ग्राउण्ड कॉफी शामिल है जिसे 104 देशों को भेजा गया। इटली, जर्मनी, रशियन फेडरेशन, बेलजियम और स्पेन सर्वोच्च पांच आयातक देश हैं। 2012-13 के दौरान निर्यात से हुई कमाई यू एस डालर्स के रुप में पिछले वर्ष के 997.98 मिलियन यू एस डालर्स के मुकाबले 851.73 मिलियन यू एस डालर्स हुई है । भारतीय रुपए के रुप में, 2011-12 के 4662.78 करोड रुपए के मुकाबले 4532.51 करोड रुपए हुई है। निर्यात कमाई का इकाई मूल्य 1,52,077 रुपए प्रति मेट्रिक टन हुआ जो पिछले वर्षों के सभी रिकार्ड को पीछे छोडते हुए उच्चतम रहा।

तालिका 5 **स्पेशियालिटी एवं मूल्य संवर्धित कॉफी का निर्यात (मात्रा मे ट में)**

कैलेण्डर वर्ष	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13
स्पेशियालिटी कॉफी	9096	9476	10688	10363	10002	14897	13623	12627
मूल्य संवर्धित कॉफी*	52394	60550	64993	49004	65300	73140	84836	88635
योग	61490	70026	75681	59367	75302	88037	98459	101262

(* हरी कॉफी समतुल्य में ग्राउण्ड + घुलनशील / रोस्ट शामिल)

कॉफी ऋण-पैकेज - 2010

बैंकों से प्राप्त हुए विलम्बित/अनुपूरक दावों के निपटान के लिए भारत सरकार ने दूसरे क्रम में सी डी आर पी-2010(कॉफी ऋण राहत पैकेज) के तहत 58.00 करोड रुपयों की अतिरिक्त निधि को स्वीकृत कर रिलीज किया। इसमें से सरकार के शेयर के 52.45 करोड रुपयों को विलम्बित/अनुपूरक दावों के निपटान के प्रति प्रतिपूरित किया गया। इससे मार्च 2013 के अन्त तक 15,258 छोटे कॉफी उपजकर्ता लाभान्वित हुए। अब तक प्रतिपूर्ति की गई कुल रकम 293.45 करोड रुपए है जिससे 1,35,283 छोटे कॉफी उपजकर्ताओं को लाभ हुआ।

फ्लेवर ऑफ इण्डिया फाइन कप अवार्ड्स

<u>फ्लेवर ऑफ इंडिया-फाईन कप अवार्ड्स 2013</u>

भारतीय कॉफी बोर्ड हर वर्ष **फ्लेवर ऑफ इंडिया-द फाइन कप अवार्ड कप्पिंग कम्पीटीशन** आयोजित करता है जिसका उद्देश्य बढ़िया क्वालिटी कॉफी के उत्पादन को प्रोन्नयित करना है। इसके फलस्वरुप अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की सर्वोत्तम कॉफियों को स्थान प्राप्त हुआ है। कॉफी फलियों के रंग, गंध, आकार एवं उनमें निहित त्रुटियों के आधार पर कॉफी नमूनों की प्रत्यक्ष/दार्ष्टिक गुणता का विश्लेषण किया जाता है। कॉफी नमूनों का उनकी कप क्वालिटी के लिए कॉफी बोर्ड एवं भारतीय कॉफी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले कॉफी टेस्टरों के एक अनुभवी पैनल द्वारा भी मूल्यांकन किया जाता है ताकि कप्पिंग के अंतिम दौर के लिए क्वालिफाई होने के लिए सर्वोत्तम कॉफी को चुना जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित कॉफियों में से उत्कृष्ट कॉफियों को फाइन कप अवार्ड के लिए चुना जाता है। विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित कप टेस्टरों से बनी अन्तर्राष्ट्रीय जूरी इनको चुनती है।

फ्लेवर ऑफ इंडिया फाईन कप अवार्ड :

➢2012 :

219 नमूनों में से, 16 अरेबिका, 6 स्पेशियालिटी अरेबिका, 11 रोबस्टा तथा 6 स्पेशियालिटी रोबस्टा को मिला कर कुल 39 नमूनों को अन्तर्राष्ट्रीय जूरी ने कप्पिंग के अंतिम राउण्डप (दौर) के लिए चुना। फ्लेवर ऑफ इंडिया-द फाइन कप अवार्ड- कप्पिंग कम्पीटीशन 2012 का अंतिम कप्पिंग सत्र 3 मई 2012 को मेलबोर्न में आयोजित हुआ जो 4 से 6 मई 2012 को आयोजित मेलबोर्न इन्टरनेशनल कॉफी एक्स्पो, मेलबोर्न, आस्ट्रेलिया के पहले घटित हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय जूरी ने फाइनल तक पहुँचे 39 नमूनों में से विजेताओं का चयन किया।

➢2013

फ्लेवर ऑफ इंडिया - द फाइन कप अवार्ड-कप्पिंग कम्पीटीशन 2013 के लिए अरेबिका और रोबस्टा दोनों कॉफी नमूने प्राप्त करने की अंतिम तारीख 1 मार्च 2013 थी। 72 अरेबिका, 42 रोबस्टा, 65 स्पेशियालिटी अरेबिका एवं 42 स्पेशियालिटी रोबस्टा , को शामिल करते हुए कुल 221 कॉफी नमूने प्रतियोगिता के लिए प्राप्त हुए। 221 नमूनों में से 20 अरेबिका,6 स्पेशियालिटी अरेबिका, 8 रोबस्टा और 6 स्पेशियालिटी रोबस्टा को मिला कर कुल 40 नमूनों को नाईस, फ्रांस में होने वाले कप्पिंग के फाइनल राउण्ड में भेजा जायगा। यह राउण्ड 26 से 28 जून 2013 को नाइस, फ्रांस में होने वाले एस सी ए ई के वार्षिक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के पहले घटित होगा। अन्तर्राष्ट्रीय जूरी वर्ष 2013 के लिए 40 नमूनों में से अलग अलग श्रेणी के तहत सर्वोत्तम कॉफी का चयन करेगी।

29.08.2013
बेंगलूर

जावेद अख़्तर
अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड

अध्याय - I

कार्यकारी सारांश

उत्पादन :

- 2012-13 फसल सीजन के लिए अन्तिम फसल प्राक्कलन 3,18,200 मेट्रिक टन था जिसमें 98,600 मेट्रिक टन अरेबिका (कुल का 31%) और 2,19,600 मेट्रिक टन रोबस्टा (कुल का 69%) शामिल है।
- कर्नाटक ने 2,30,225 मेट्रिक टन (72.35%) का योगदान दिया। उसके बाद केरल 64,200 मेट्रिक टन (20.15%) और तमिल नाडू 17,370 मेट्रिक टन (5.40%) था। आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को शामिल कर गैर परम्परागत क्षेत्रों ने शेष 6,720 मेट्रिक टन (2.10%) का योगदान किया।
- वर्ष के दौरान कुल फार्म उत्पादकता में पिछले वर्ष के 852 कि.ग्रा/हे.से 863 कि.ग्रा./हे. तक वृद्धि हुई जिससे उत्पादन पिछले वर्ष के 3,14,000 मे.ट. की तुलना में 4,200 मे.ट. से बढ़ा।
- वर्ष 2012-13 के लिए परम्परागत क्षेत्रों से सम्बन्धित उत्पादकता 957 कि.ग्रा./हे है जहां अरेबिका और रोबस्टा की उत्पादकता क्रमश: 721 कि.ग्रा.हे.और 1,109 कि.ग्रा./हे थी।
- वर्ष 2012-13 के दौरान कॉफी से कुल रोपित क्षेत्र लगभग 4.15 लाख हेक्टर था जिसमें से कुल फलन क्षेत्र लगभग 3.76 लाख हेक्टर था।
- परम्परागत क्षेत्रों में 1,64,479 जोत, आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा (गै प क्षे) में 1,18,428 जोत और पूर्वोत्तर क्षेत्र में शेष 8,011 जोतों को शामिल कर देश में लगभग 2,90,918 कॉफी जोत हैं जिसमें 1 हेक्टर से भी कम के छोटे जोत लगभग 2,88,260 थे और यह कुल जोत का लगभग 99% है।

निर्यात :

- 2012-13 के दौरान कुल 2,98,040 मेट्रिक टन कॉफी (49,905 मेट्रिक टन के पुनः निर्यात को शामिल कर) का निर्यात किया गया। 58,397 मेट्रिक टन अरेबिका 1,51,008 मेट्रिक टन रोबस्टा और 88,635 मेट्रिक टन इंस्टेन्ट और भुनी व पिसी कॉफी को 104 देशों को निर्यात किया गया। इटली, जर्मनी, रुस संघ, बेल्जियम और स्पेन पांच प्रमुख आयातक देश थे।
- 2012-13 के दौरान निर्यात कमाई यू एस डालर में पिछले वर्ष के 997.98 मिलियन यू एस डालर्स की तुलना में इस वर्ष 851.73 यू एस डालर्स थी। भारतीय रुपए के रुप में यह पिछले वर्ष के 4,662.78 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष 4,532.51 करोड़ रु. थी ।
- इकाई मूल्य में 2012-13 के दौरान निर्यातित सभी प्रकार की कॉफी का समष्टिक मूल्य 1,52,077.00रु. प्रति मेट्रिक टन था । जबकि यह 2011-12 के दौरान 1,39,629.00 रु. प्रति मेट्रिक टन था जो पिछले वर्ष के इकाई मूल्य से 9.15% अधिक है।
- 31 मार्च 2013 को यथास्थिति कॉफी बोर्ड में पंजीकृत निर्यातकों की कुल संख्या 457 है जिसमें वर्ष 2012-2013 के दौरान हुए 62 नए पंजीकरण शामिल है जो 31 मार्च 2012 को यथा स्थिति 395 था।
- वर्ष 2011-12 में जारी 10,389 परमिटों की तुलना में वर्ष के दौरान 139 पंजीकृत कॉफी निर्यातकों को कुल 9,993 निर्यात परमिट और आई सी ओ के मूल प्रमाण पत्र जारी किए गए। 9,993 परमिटों में से 8,749 परमिट ऑनलाईन भेजे गए आवेदनों के लिए जारी किए गए।

अनुसंधान :

- चन्द्रगिरी किस्म में पत्ती किट्ट के विरुद्ध प्रतिरोध के स्थायित्व को बढाने के लिए प्रदाता अभिभावक के रुप में कवीसारी एवं कवीमोर का प्रयोग करते हुए चन्द्रगिरी में संकर उत्पन्न किए गए।
- अर्ध बौना फीनोटाइप में डिप्लायड ओरिजिन के किट्ट प्रतिरोधी जीन्स के अनुक्रमण के लिए कवीमोर एवं एस. 3827 (सेलेक्शन 10) के चुने हुए पौधों के बीच पारस्परिक संकरण किया गया।
- (सिलेक्शन 7.3xसिलेक्शन 6xएस 3822)x सिलेक्शन 10, के बीच अन्तर प्रभेदीय संकरों के एफ$_1$ संकर बीज जिसका निर्माण विभिन्न किट्ट प्रतिरोधी जीन्स के पिरामिडीकरण के उद्देश्य से किया गया था उनको पुन: अधिकृत किया गया और क्षेत्र रोपण के लिए उनकी संततियां उत्पन्न की गई।
- क्षेत्र में स्थापित किए गए एच डी टी काटुवई, एच डी टी एवं सिलेक्शन 10 के बीच के एफ$_1$ संकरों को जुवेलाइन विगर (तारुण्य ओज) हेतु मूल्यांकित किया गया। संतति एस. 5055 (सिलेक्शन 10 1/6 x एच डी टी 1/1) को उत्कृष्ट पाया गया।
- चन्द्ररगिरी के एफ$_3$ एफ$_4$ और एफ$_5$ संततियों की मानीटरिंग से पता चला कि इस किस्म ने पत्ती किट्ट के प्रति उच्च क्षेत्र सहनशीलता प्रकट करना जारी रखा और इसमें सतत उपज एवं उन्नत फली (बीन) क्वालिटी लक्षण मौजूद थे। तथापि, एफ$_4$ और एफ$_5$ के आधारभूत पौधों में पत्ती किट्ट की हल्की घटना देखी गई जो यह इंगित करता है कि किट्ट का रोगाणु, नए विषाक्तजीन संयोजन में विक्रिया करते हुए इस किस्म पर अनुयुक्त होने की कोशिश कर रहा था।
- एच डी टी, एस 2464, सिलेक्शन 5ए, सियोसी और अगारो जैसे कुछ लम्बे अरेबिका के अन्तर प्रभेदीय संकरों से विकसित किए गए एफ$_1$ संकर संततियों का उद्विदीय एवं पैदावार घटक गुणों हेतु अध्ययन किया गया। एस 4897 (एस 2464x एच डी टी.) सन्तति, उच्च उपज शक्ति, साफ कॉफी पैदावार (1817 कि ग्रा/हे) और किट्ट के प्रति क्षेत्र सहनशीलता के विषय पर उत्कृष्ट पाई गई।
- अलग अलग अर्धबौना समपित्रैकों के स्वनिषेचित संततियों को पत्ती किट्ट के विरुद्ध क्षेत्र सहनशीलता जानने के लिए मॉनीटर किया गया। उनमें से सार्चिमोर लाइन (एस 4940) ने किट्ट के विरुद्ध उच्च क्षेत्र सहनशीलता दर्शाई । इसमें 17.34% संख्या में पौधों में पत्ती किट्ट की घटना बहुत कम थी और अधिकतम साफ कॉफी पैदावार 1643 कि ग्रा/हे देखा गया।
- जर्मप्लासम लक्षणवर्णन और मूल्यांकन कार्यक्रम के अधीन, सी आर एस एस चेट्टल्ली में स्थापित किए गए अरेबिका के विश्व संग्रह को पत्ती किट्ट एवं वाइट स्टेम बोरर के क्षेत्र घटना, पैदावार, फल एवं फली (बीन) पैरामीटर जानने के लिए मूल्यांकित किया गया। लक्षण रुपरेखा तथा महत्वपूर्ण कर्षण विशेषकों पर एक मोनोग्राफ तैयार किया गया।
- एस 4422 x एच डी टी संकर के एफ$_2$ संतति के क्षेत्र निष्पादन का सी आर एस एस चेट्टल्ली में मूल्यांकन किया गया और उच्च उपज स्तर वाले(5 कि ग्रा एवं अधिक) तथा ए श्रेणी फलियों के उच्च प्रतिशतता (>80%) प्रवर पौधों को स्वनिषेचित किया गया जिससे एफ$_3$ संतति उत्पन्न किए जा सकें।
- सिलेक्शन 5 बी x सिलेक्शन 9 संतति के प्रवर पौधों के निष्पादन को आर सी आर एस थाण्डीगुडी में मॉनीटर किया गया। संतति ने तीन वर्ष के सतत उपज के साथ औसतन 1385.7 कि ग्रा/हे रिकार्ड किया और अच्छी पत्ती किट्ट सहनशीलता दर्शाई।
- केवीमोर ए किस्म के पौधों के स्वनिषेचित संतति ने आर सी आर एस थाण्डीगुडी में 1281.7 कि ग्रा/हे (सात वर्ष) का औसत उपज रिकार्ड किया।
- आर सी आर एस, आर वी नगर एवं टी ई सी मिनीमुल्लूर में स्थापित आशाजनक नस्लों एस 4595 के बृहद् (बल्क) परीक्षण प्लाटों को मॉनीटर किया गया। संततियों में एकरुपता का गुण देखा गया और

उन्होंने सशक्त बढ़त दर्शाई और कॉफी पत्ती किट्ट से भी मुक्त थे।

- पुलपल्ली संपर्क जोन के पेरीकल्लूर क्षेत्र से संग्रहित एस 880, एस 1932, एस 3399, डी आर-5 तथा दो स्टेशन रिलीज रोबस्टा सिलेक्शन एस 274 एवं सी x आर के कृन्तक संततियों से क्षेत्र परीक्षण चलाया गया ताकि सूखा स्थिति को सहने में इनकी शक्यता का मूल्यांकन किया जा सके।
- एस आर ए पी प्राइमर्स की स्क्रीनिंग जारी रखी गई और परीक्षित 375 प्राइमर संयोजनों में से 22 बहुरुपी पाए गए। इसके अलावा, 350 एस आर ए पी प्राइमर संयोजनों को, दो रोबस्टा कॉफी नमूनों में बहुरुपी की खोज करने में उनकी क्षमता जानने के लिए जाँचा गया। दो अरेबिका समपित्रैकों पर बहुरुपता के लिए 25 नए एस आर ए पी को स्क्रीन किया गया।
- किट्ट प्रतिरोध हेतु बी ए 12412 के.के साथ एस सी ए आर आमापन और एस$_{एच}$3 जीन से जुडे एस ए टी 244 मार्कर्स को एस$_{एच}$3 से समयुग्मक पौधों के मार्कर्स असिस्टेड सिलेक्शन हेतु इस्तेमाल किया गया और उनका इस्तेमाल संजनन हेतु किया। एफ$_1$ और एफ$_2$ संकर संततियों से एस$_{एच}$3 समयुग्मक पौधों को खोजने में भी इनका इस्तेमाल किया गया।
- बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम के तहत, 6978.5 कि ग्रा अरेबिका तथा 2011.5 कि ग्रा रोबस्टा को मिला कर कुल 8990 कि.ग्रा बीज पारम्परिक क्षेत्र के कॉफी उपजकर्ताओं को आपूरित किए गए। गैर पारम्परिक क्षेत्र में, कुल 4411.25 कि.ग्रा बीज जिसमें 4410.75 कि ग्रा अरेबिका और 0.5 कि ग्रा रोबस्टा जो आर सी आर एस, आर वी नगर तथा टी ई सी मिनीमुल्लूरु में उगाए गए थे, आई टी डी ए एवं अलग अलग उपजकर्ताओं को आपूरित किया गया।
- सी सी आर आई, सी आर एस एस, चेट्टल्ली और आर सी आर एस, चुन्देल से सीxआर के 21,165 जड़दार कृन्तक आपूरित किए गए। आगे, उपजकर्ताओं को आपूरित करने के लिए 26,265 जड़दार कृन्तक, ट्टढीकरण स्थिति मे थे।
- कॉफी पत्ती किट्ट पर आई सी ओ-सी एफ सी प्रायोजित बहु-देशीय परियोजना 31 मार्च 2013 को समाप्त हुई। इस परियोजना से सम्बन्धित समापन तथा प्रसारण कार्यशाला दिनांक 19 एवं 20 मार्च 2013 को येरकाड, तमिल नाडु में आयोजित हुई।
- एस$_{एच}$3 जीन्स के लिए एस सी ए आर मार्कर्स के वैधीकरण के तहत एस 795 पर अनुरक्षण संजनन के लिए पत्ती किट्ट 1 एवं VIII को संरोपित किया गया। एस 795 के समयुग्मक पौधों को एस$_{एच}$3 जीन्स के साथ सी आर एस एस चेट्टल्ली फार्म में कलमीकरण द्वारा स्थापित किया गया और बढ़त पैरामीटर्स तथा पत्ती किट्ट घटना को रिकार्ड किया गया।
- अलग अलग कृषि-जलवायवीय स्थानों में स्थापित एस 2800, एस 2794 एवं सी x आर समपित्रैकों के ऊतक संवर्धन परीक्षण प्लाटों से आकृतिमूलक एवं उपज आँकडे संग्रहित किए गए।
- जैव प्रभाविकता की जांच करने के लिए कोडगु के एक एस्टेट के तेईस अरेबिका पौधों में बेसिलस थुरिनजिएनसिस (बी टी) नामक बेक्टेरियम द्वारा पैदा किए गए कीट क्रिस्टल प्रोटीन (आई सी पी)का अनुप्रयोग किया गया।
- एकीकृत पोषक प्रबन्धन पर बहु स्थानीय क्षेत्र प्रयोगों पर आँकडों ने दर्शाया कि शोधनों से स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया। केवल अजैविक स्रोतों के जरिए पोषकों की आपूर्ति या जैविक खादों और जैव उर्वरकों के साथ एकीकृत करते हुए उर्वरकों के कम खुराक से दिए गए पोषक तत्व अपर्याप्त हैं। परन्तु जैव उर्वरक और जैविक खाद के साथ किए गए शोधनों में अणुजीवी जीवसंख्या उच्च थी और इसने यह दर्शाया कि मिट्टी जैव गुणों में सुधार हुआ।
- मिट्टी भौतिक रसायनिक गुणों अरेबिका कॉफी की

उपज और क्वालिटी पर विभिन्न जैविक पोषक स्रोतों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किए गए क्षेत्र प्रयोग से प्राप्त आँकडों ने दर्शाया कि तरह तरह के शोधनों के कारण प्रमुख और सूक्ष्म पोषकों की स्थिति में सार्थक रुप से भिन्नता नहीं देखी गई। परन्तु वर्ष के लिए निपज आँकडों ने भी वर्मी काम्पोस्ट के 50% के साथ अनुपूरित 50% रसायनिक उर्वरक को शामिल कर उपचार से नियंत्रण की अपेक्षा एक स्पष्ट एवं सार्थक निपज सुधार दिखाई दिया ।

- विभिन्न क्षेत्रों के उपजकर्ताओं से प्राप्त कुल 8096 मिट्टी, 64 पत्ती और 844 कृषि रसायन नमूनों का विश्लेषण कर सलाह दिए गए।
- कॉफी की मिट्टी में कार्बन पृथक्करण पर भिन्न जैविक खादों के प्रभाव के अध्ययन के लिए सी सी आर आई, सी आर एस एस चेट्टल्ली और आर सी आर एस, थाण्डीगुडी के अनुसन्धान फार्मों में क्षेत्र प्रयोग किए गए।
- क्षेत्र विशिष्ट पोषक प्रबन्धन पैकेज विकसित करने के लिए तमिल नाडू के कॉफी उपजने वाले मिट्टी के माध्यमिक और सूक्ष्म पोषण स्थिति पर डेटा बेस तैयार किया गया। तमिल नाडू के चुने गए कॉफी उपजने वाले प्रान्तों से संग्रहित 169 मिट्टी नमूनों में मेगनेशियम और जिंक अधिकतम सीमाकारी पोषक पाए गए।
- रोपण डिज़ाइन और कर्तन विधियों पर क्षेत्र प्रयोगों ने दर्शाया कि विभिन्न कर्तन उपायों में बिना शीर्षकर्तन के बहु तना पर हेज रो पद्धति (अन्तरण-लम्बी अरेबिका के लिए 6X3 और अर्ध बौना अरेबिका के लिए (5X3) प्रत्येक कटाई के बाद चक्र कर्तन) अपनाने पर उच्च मात्रा में साफ कॉफी की फसल रिकार्ड की गई।
- तीन प्रकार के कटाई मशीन यथा बैटरी संचालित दो प्रकार की कॉफी कटाई मशीन (आयातित एवं देशीय) एक पेट्रोल इंजन संचालित बहु उद्देश्य कटाई मशीन (आयातित) का मूल्यांकन रोबस्टा कॉफी फलों का हाथ से कटाई (स्ट्रिपिंग) की तुलना में उनकी निपुणता के लिए किया गया। प्रति दिन कटाई किए गए पौधों की कुल संख्या और तोडे गए फलों की कुल संख्या बहु उद्देशीय कटाई मशीन की सहायता से की गई कटाई से अधिक थी। बैटरी चालित देशीय कटाई मशीन का निष्पादन इससे थोडा कम था।
- बढ़े हुए कॉफी पौधों के कालर छंटाई (कर्तन) पर एक अध्ययन ने दर्शाया कि वाणिज्यिक रुप से उपलब्ध, पेड़ कर्तन करने वाले मशीन को पौधों के कालर कर्तन (छंटाई करने) के लिए हस्त विधि की तुलना में और अधिक निपुणता से प्रयोग में लाया जा सकता है।
- ब्रश कटर का प्रयोग करते हुए यांत्रिक खरपतवार नाश करना हाथ से खरपतवार नाश की तुलना में कहीं ज्यादा निपुण है। मानव दिवसों और प्रति इकाई क्षेत्र के कुल लागत के सन्दर्भ में यह निपुण है। यांत्रिक खरपतवार नाश में प्रति एकड प्रयुक्त कुल मानव दिवस 2.97 था जब कि हाथ से खरपतवार नाश में 7.01 दिन लगे।
- टेलेस्कोपिक पोल प्रूनर को, छाँव उठाने के लिए हस्त विधि से 70% अधिक क्षम पाया गया। पोल प्रूनर का प्रयोग करते हुए छाँव उठाने हेतु प्रति पेड़ के लिए हुई लागत प्रति पेड 2.69 रू. थी जबकि हस्त विधि में यह 3.89रू. प्रति पेड़ थी।
- मौसम पैरामीटर्स के सम्बन्ध में फसल व्यवहार के अध्ययन के लिए तीन अनुसन्धान स्टेशनों के चयनित अरेबिका एवं रोबस्टा किस्मों से निपज रिकार्ड किए गए। नशिकीट और रोगों के आपतन को भी रिकार्ड किया गया।
- परम्परागत और गैर परम्परागत क्षेत्रों के कृषि मौसमी परिस्थितियों के अन्तर्गत स्थानिक रुप से उपलब्ध अवशिष्टों को कम्पोस्ट करने के उपयुक्त विधियों को मानकीकृत करने के लिए नए प्रयोग किए गए।

- हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विषहरण के लिए किण्वाण्विक क्रिया कलाप का मूल्यांकन जो ऑक्सीकरण से हुई क्षति से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, से पता चला कि जब कभी भी पेरोक्साइड क्रिया कलाप उच्च था कैटालेस क्रिया कलाप निम्न और विपरीत था। कुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड विषहरण अरेबिका किस्म चन्द्रगिरि में अधिक था।
- युग्म प्रतीप संकर प्रजनन एस.4932 (बी बी टी सी x सार्चिमोर) और एस 4933(सार्चिमोर x बी बी टी सी) और उनके मूल एस 4202 (सार्चिमोर) और एस.4754 (बी बी टी सी)का मूल्यांकन मानसून पूर्व अवधि के दौरान कायिकी और जैव रसायनिक प्राचलों के लिए किया गया। संकर एस 4933 को कायिकी रुप से अधिक सक्षम पाया गया।
- जल छिड़काव की तुलना में सी सी आर आई में विकसित एक फार्मूलेशन लान्टाना केमरा पत्ती निस्सार + डी एम ओ एस के छिड़काव ने चार महीने के उपचार के बाद पत्तों की संख्या (70.59%), कुल गांठ (102.49%), और फलन गांठों (25.97%), की संख्या को बढ़ाया। जबकि एक स्वामीय फार्मूलेशन श्रेष्ठत्तम उगाओ (ग्रो बेस्ट) का पत्तों पर छिड़काव, पत्तों, कुल गांठ, और फलन गांठों को क्रमश: 16.34%, 11.94%, और 4.24%, बढ़ा सका।
- सी आर एस एस, चेट्टल्ली में एस एल एन 9, एस 795, एस 4864(सीxआर और एस एल एन 12 के चतुर्गुणित जीन आकृति के बीच संकर) और भिन्न मिट्टी नमी क्षेत्रों में एक रोबस्टा सी xआर कल्टीवर जैसे कायिकी रुप से सक्षम जीन आकृतियों की पहचान ने जल दबाव परिस्थिति में सभी कल्टीलवर्स में क्लोरोफिल अंश और कुल क्लोारोफिल तत्व में बढ़त को इंगित किया।
- सी आर एस एस, चेट्टल्ली में भिन्न जीन आकृतियों में असमय फलों के गिरने के मूल्यांकन ने दर्शाया कि मानसून अवधि में फलों का गिरना 19.72% से 36.78% के बीच था। सबसे अधिक फलों का असमय गिरना एस 4857 में 36.78% था उसके बाद एस 4864 में 36.45% और एस 4862 में 35.63% था। एस.795 में निम्नत्तम 19.72% था उसके बाद एस 4860 में 22.51% और एस 4859 में 22.62% था। सबसे अधिक फलों का गिरना जून में था यद्यपि इस अवधि के दौरान वृष्टि निम्न थी।
- नियंत्रण की तुलना में मासिक अन्तरालों में अगस्त और सितम्बर के दौरान 200 लीटर पानी में 4 लीटर के खुराक पर मेपीकत क्लोराइड (चमत्कार) का पर्णीय प्रयोग फसल गांठ को 6.88%, प्रति प्रमूल कलियों की संख्या में 12.59% और प्रति फसल गांठ फलों की संख्या को नियंत्रण की तुलना में 2.25%, सुधार दिया।
- कर्नाटक और तमिल नाडू के विभिन्न कॉफी क्षेत्रों के किट्ट प्रजाति पादपों को मानीटर करने के लिए अध्ययन को जारी रखा गया। आठ स्थानों में पैंतीस किट्ट भिन्नकों और 24 ए किस्म पौधों को किट्ट उपक्रमण के लिए आवधिक रुप से प्रेक्षण किया गया। कोडगू क्षेत्र में किट्ट भिन्नकों के तीन दुर्लभ कृन्तक अर्थात 681/7, 829/1 और 1621/13 ग्यारह वर्षों के बाद भी सभी तीन स्थानों में मुक्त रहे, जबकि अन्य सभी भिन्नकों को सुग्राही पाया गया।
- अवधि के दौरान भिन्नीकृत छब्बीस किट्ट नमूनों में से, सामान्य किट्ट प्रजाति अर्थात I, VIII, XII, XXIII, XXXVII, XLI और विषालु जीन सहित नई किट्ट प्रजातियों को अलग किया गया।
- चौदह नामोद्दिष्ट किट्ट प्रजाति और पहले भिन्नीकृत पन्द्रह नई प्रजातियों का रख रखाव बोर्बोन कॉफी पौदों पर किया गया।
- बारह वर्ष के सात नए संकर एफ$_2$ सन्तति और सात वर्ष के ग्यारह एफ$_1$ संकरों को पत्ती किट्ट के क्षेत्र आपतन के लिए मूल्यांकित किया गया, एफ$_2$ संकरों में से दो संकरों में किट्ट आपतन निम्न था। एफ$_1$ सन्तति के विभिन्न संकरों में सबसे कम रोग आपतन

एस. 4933 (1.93%) पर रिकार्ड किया गया जबकि अधिकतम रोग आपतन एस 4901 (16.38%) में रिकार्ड किया गया।

- सी आर एस एस, चेट्टल्ली में, प्रेक्षित 10 नए संकरों में किट्ट आपतन एस.4864 में शून्य था । शेष संकरों में किट्ट आपतन एस 4862 में 0.33% से एस 4864 में 16.96% (सेलेक्शन 4xएस 4197) तक भिन्न था।
- किट्ट प्रतिरोधक और सहिष्णु कल्टीवर्स को पहचानने के लिए सी आर एस एस, चेट्टल्ली के कॉफी जीन बैंक में छियत्तर विश्व संग्रहणों पर पत्ती किट्ट आपतन को रिकार्ड किया गया। विभिन्न संग्रहणों पर किट्ट आपतन 1 से 64% तक के बीच था, कोई भी संग्रहण पूर्णत: पत्ती किट्ट के लिए प्रतिरोधक नहीं था।
- कॉफी पत्ती किट्ट के विरुद्ध सम्पर्क और सर्वांगीण फफूँदनाशी के साथ स्प्रे अनुसूची विकसित करने के लिए अध्ययन को अरेबिका कल्टीवार एस. 795 पर जारी रखा गया। मानसून पूर्व और मानसूनोत्तर अवधि में बोर्डो मिश्रण और मध्य मानसून के दौरान कोंटाफ (हेक्साकोनाजोल) का तत्स्थान स्प्रे प्राप्त करने वाले पौधों पर औसत किट्ट आपतन निम्नतम था।
- बोर्डो मिश्रण स्प्रे के साथ कॉफी पत्ती किट्ट प्रबन्धन के लिए जैव-नियंत्रण एजेन्टो और वानस्पतिकों के प्रभाव की तुलना ने दर्शाया कि बोर्डो मिश्रण छिडकाए पौधों पर पत्ती किट्ट निम्नत्तम था, उसके बाद बेसिलस ब्रेविस, सूडोमोनास- फ्लोटरेसन्स, एन्टीरोबेक्टर इन्टरमिडयस, नीम गूदा रस का निचोड और रीठा पाउडर घोल स्प्रे प्राप्त करने वाले पौधों पर।
- पर्णीय पोषकों के साथ हेक्सोकोनाजोल का संयुक्त स्प्रे ने कोमल पत्तियों में झुर्रियाँ उत्पन्न की और बडे. पत्तों पर भी क्लोरोटिक स्पाट दिखाई दिए जो पादप विषालुता को दर्शाता है।
- कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के प्रबन्धन के लिए क्रास वेन फेरामोन ट्रेप्स के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कॉफी उपजकर्ताओं को कम मूल्यों पर प्रलोभन सहित 43473 ट्रेप्स सप्लाॉई किए गए।
- दक्षिण भारत के अरेबिका कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के प्रभावी प्रबन्धन पर उपजकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए मिशन मोड कार्य कार्यक्रम का तीसरा फेज़ सितम्बर में आरम्भ किया गया। एक वर्ष की अवधि के लिए खेतों में काम करने हेतु छ: टीम गठित किए गए। पाँच टीम कर्नाटक में बोरर तीव्र क्रिया कलापों के स्थान में और एक को तमिल नाडू में भेजा गया। 3900 उपजकर्ताओं को लाभान्वित करते हुए कुल 162 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के प्रभावी प्रबन्धन के लिए उपलब्ध सभी उपायों के प्रयोग की विधि के प्रत्यक्ष प्रदर्शन के साथ कन्नड में एक डी वी डी फिल्म तैयार कर प्रमुख कॉफी उपजकर्ता संघ, अनुसन्धान स्टेशन और विस्तरण विभाग को वितरित किए गए। फिल्म का तमिल भाषा में रुपान्तरण कर तमिल नाडू में प्रयोग के लिए रिलीज़ किया गया।
- डी बी टी परियोजना के अन्तर्गत कार्य- "कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के प्रतिरोधी लिए अरेबिका कॉफी पौधा प्रतिरोधी का विकास" जारी रहा। 616 बी टी विकृतियों/पृथक्कों को कृत्रिम खुराक देते हुए बोरर लार्वा के विरुद्ध विषालुता के लिए स्क्रीन किया गया। बोरर लार्वा के विरुद्ध क्रिया कलापों के साथ 11 पृथक्कों और 80 विकृतियों को पहचाना गया।
- मेसर्स पेस्ट कँट्रोल (इण्डिया) लि. बेंगलूर के सहयोग से मादा लिंग फेरामोन की पहचान और समागम सफलता में उसकी भूमिका और कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर द्वारा पोषद पौधा चयन के लिए उत्तरदायी कैरामोन की पहचान परियोजना के अन्तर्गत पत्ती उत्पतों का प्रयोग करते हुए एलेक्ट्रो एन्टोनोग्राम और विण्ड टनल ओलफाक्टो-मीटर जैसे जैव निर्धारण किए गए। विण्ड टनल ओलफाक्टो-मीटर प्रयोगों में नर फेरामोन के लिए मादा प्रत्युत्तर लगभग 60% था जबकि उसने पत्ती

उत्पत के साथ नर फेरामोन के संयोग के लिए 80% प्रत्युत्तर दर्शाया।

- भारतीय बागबानी अनुसन्धान संस्थान, कार्षिक रुप से महत्वपूर्ण कीट राष्ट्रीय ब्यूरो और केला राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र और पेस्ट कन्ट्रोल इण्डिया जैव-नियंत्रण अनुसन्धान प्रयोगशालाओं जैसे आई सी ए आर, संस्थानों को शामिल कर कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के प्रबन्धन के लिए पर्यावरण हितैषी पहुँच नामक एक बहु संस्थान सहयोग अनुसन्धान कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत आई आई एच आर से सीलर-कम-हीलर, एन बी ए आई आई से एण्टोमोपैथोजेनिक फँगाई फार्मूलेशन और नैनो फेरामोन्स के साथ प्रयोग किए गए।
- कॉफी बेरी बोरर के आपतन को काटने के लिए कर्नाटक और केरल में उपजकर्ताओं को प्रलोभन के साथ 53735 ट्रेप्स सप्लाई किए गए । पिछले वर्षों में सप्लाई किए गए ट्रेप्स में प्रलोभन सामग्री को फिर से भरने के लिए 3180 लीटर प्रलोभन सप्लाई किया गया।
- मूल ऊतक की आपूर्ति, आवधिक संदर्शन और क्वालिटी मूल्यांकन के द्वारा, कॉफी बेरी बोरर का एक प्राकृतिक नियंत्रक एन्टोमोपैथोजेनिक फफूँदी बेवेरिया बासियाना के फार्म पर उत्पादन को एस्टेट स्तर पर प्रोत्साहित किया गया। 318 कि ग्रा चावल संवर्ध और 16.7 लीटर तरल संवर्ध सप्लाई किए गए।
- कॉफी मिली बग के जैव नियंत्रण के लिए परजीव्याभ लेप्टोमास्टिक्स डेक्टिलोपाई को पाला गया और वायनाड, नेलियमपती और कोडगू क्षेत्रों के उपजकर्ताओं को 47,350 परजीव्याभ सप्लाई किए गए।
- एक इन्सटेन्ट, एक आर एण्ड जी कॉफी और तेरह हरी मानसूनीकृत कॉफी नमूनों को शामिल कर पन्द्रह कॉफी नमूनों को ओक्राटाक्सिन-ए संदूषण की उत्पति के लिए परीक्षित किया गया। परीक्षित सभी कॉफी नमूनों में संदूषण का स्तर बी डी एल-3.78 पी पी बी की सीमा में था। यह इंस्टेंट कॉफी में 0.92 पी पी बी और भुनी एवं पिसी नमूनों में 0.30 था।
- व्यापारियों से प्राप्त दो इन्टेंट कॉफी, अठारह हरी कॉफी, आठ भुनी एवं पिसी कॉफी और तीन भुनी एवं पिसी कॉफी चिकोरी नमूनों को शामिल कर सताईस कॉफी नमूनों का विश्लेषण विभिन्न पी एफ ए प्राचल के लिए किया गया। परिणामों ने इंगित किया कि सभी नमूने पी एफ ए द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर थे।
- संसाधकों/व्यापारियों/निर्यातकों/अनुसन्धान से प्राप्त 57 डिजिटल, 37 सिनार और चार कप्पा माइश्चर मीटर को शामिल कर कुल 98 माइश्चर मीटर को हरी कॉफी नमूनों में नमी स्तर के यथार्थ माप के लिए अनुसंशोधित किया गया और सम्बन्धित उपयोक्ता को रिपोर्ट भेजा गया।
- आई सी ओ/सी एफ सी परियोजना के अन्तर्गत कॉफी अनुसन्धान उप स्टेशन, चेट्टल्ली से प्राप्त अडतीस हरी कॉफी नमूनों का विश्लेषण कैफीन तत्व के लिए किया गया। आंकडों ने इंगित किया कि परीक्षित नमूनों में कैफीन तत्व 1.18 से 2.07 तक की सीमा में थे।

क्वालिटी मूल्यांकन केन्द्र, बेंगलूर

- निर्यातकों, उपजकर्ताओं और व्यापारियों से प्राप्त 293 वाणिज्यिक नमूनों और अनुसन्धान स्टेशनों से प्राप्त 145 अनुसन्धान नमूनों को शामिल कर 438 कॉफी नमूनों का मूल्यांकन कायिक और स्वाद क्वालिटी प्राचलों के लिए किया गया।
- कॉफी क्वालिटी प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2011-12 बैच के पांच छात्रों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम को पूरा किया। 2012-13 बैच में सात छात्र अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
- काप्पी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कॉफी भूनने, पीसने और पैकेजिंग में नवीनतम प्रौद्योगिकियों और अच्छी क्वालिटी कॉफी बनाने

के लिए तकनीकों पर जागरुकता लाने के लिए 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें पचास लोगों ने भाग लिया।

- कप्पिंग, रिटेल बिक्री करने और कॉफी का अच्छा कप बनाने पर चार एक-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 179 लोग लाभान्वित हुए।
- नई प्रजनन नस्लों से कॉफी नमूनों को क्वालिटी विशेषता के लिए मूल्यांकित किया गया। पौधा प्रजनन प्रभाग से प्राप्त कुल 56 नमूनों को भुनाई के विभिन्न तापमानों पर कप्पिंग किया गया और प्रोफाइल प्रलेखित किए गए ।
- एम एस रामय्या कॉलेज, बेंगलूर के होटल मैनेजमेन्ट के अन्तिम वर्ष के छात्रों और वायनाड, केरल के कॉफी उपजकर्ता संघ के सदस्यों के लाभ के लिए दो क्वालिटी जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- द फ्लेवर ऑफ इण्डिया-द फाइन कप अवार्ड-कप्पिंग प्रतियोगिता 2012 के अन्तर्गत प्राप्त हुए 219 नमूनों में से 39 नमूनों को अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा कप्पिंग के अन्तिम राउण्ड के लिए चुना गया। अन्तिम कप्पिंग सत्र का आयोजन मेलबोर्न अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी एक्स्पो, (एम आई सी ई) आस्ट्रेलिया से पहले, मेलबोर्न में 3 मई 2012 को हुआ और विजेताओं की घोषणा की गई।
- द फ्लेवर ऑफ इण्डिया-फाइन कप अवार्ड-कप्पिंग प्रतियोगिता 2013 के लिए 221 कॉफी नमूने प्राप्त हुए जिनमें से 40 नमूनों को एस सी ए ई के वार्षिक सम्मेलन और प्रदर्शनी से पहले नाइस, फ्रांस में होने वाले कप्पिंग के अन्तिम राउण्ड के लिए चुना गया।
- कॉफी संसाधन मशीनरी हेतु समर्थन - योजना के अन्तर्गत उपदान प्रदान करने के लिए 14 रोस्टिंग यूनिट का निरीक्षण किया गया। ।

विस्तरण एवं विकास

क) परम्परागत क्षेत्र

- वर्ष 2012-13 के दौरान विस्तरण कार्मिकों ने लगभग 23,277 एस्टेट संदर्शन किए। उन्होंने कॉफी खेती के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए 207 से भी अधिक ग्राम स्तरीय समूह बैठकें/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं/मीडिया मुहिम आयोजित करने के अलावा विभिन्न कॉफी प्रौद्योगिकियों पर 5,738 क्षेत्र प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया और उपजकर्ताओं को 2,404 सलाहकारी पत्र जारी किए।
- कॉफी खेती, नाशिकीट/रोगों का एकीकृत प्रबन्धन, क्वालिटी कॉफी बनाने आदि के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए और कॉफी बोर्ड के योजनाओं के व्यापक प्रचार के लिए भी 20 समूह संचार/सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- भारतीय बागान प्रबन्ध संस्थान, बेंगलूर के सहयोग से आयोजित विभिन्न लघु अवधि कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम और पहुँच कार्यक्रमों में 376 कॉफी पणधारियों ने भाग लिया।
- वर्ष के दौरान 3120 हे के क्षेत्र को पुनर्रोपण के अधीन लाया गया। विकास समर्थन योजना के जल आवर्धन के अन्तर्गत 4153 इकाइयों को और क्वालिटी उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत 2973 इकाइयों को उपदान दिए गए।
- फार्म संक्रियाओं के यंत्रीकरण योजना के अन्तर्गत 5920 मशीनरियों को समर्थन दिया गया जिससे 3,714 उपजकर्ता लाभान्वित हुए।

ख) गैर परम्परागत क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश एवं ओडिशा)

- वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के विस्तरण कार्मिकों ने इन राज्यों के कॉफी उपजकर्ताओं के लाभ के लिए 4296 जोतों का संदर्शन किया, 1136 क्षेत्र प्रदर्शनियों का आयोजन किया और 347 समूह बैठकों का आयोजन किया।

- ग्राम स्तर पर एक दिवसीय फार्म पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 1000 उपजकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।
- क्वालिटी कॉफी तैयार करने के लिए फार्म पर संसाधन, सुखाने के पक्के यार्ड बनाने की आवश्यकता, पल्पर्स का प्रयोग करते हुए धुली कॉफी तैयार करना, कॉफी के उचित भण्डारण, आदि के बारे में उपजकर्ताओं के लिए आयोजित क्वालिटी जागरुकता मुहिमों से कुल 795 उपजकर्ता लाभान्वित हुए। 36 उपजकर्ताओं को परम्परागत कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में अध्ययन दौरे के लिए ले जाया गया।
- भारतीय बागान प्रबन्ध संस्थान के सहयोग से आयोजित गैर परम्परागत उपजकर्ताओं के लिए व्यापार माडल पहुँच कार्यक्रम में गै प क्षे के भिन्न प्रान्तों के 50 जनजातीय कॉफी उपजकर्ताओं ने भाग लिया।
- आई टी डी ए के समर्थन से कुल 3403 हे को कॉफी के अधीन लाया गया। क्वालिटी उन्नयन योजना के लिए समर्थन के अन्तर्गत 519 पक्का सुखाने के यार्ड का निर्माण किया गया।
- श्रम कल्याण उपाय के अन्तर्गत 1037 छात्रों को 17.67 लाख रु. की सहायता दी गई।

पूर्वोत्तर क्षेत्र

- कॉफी खेती के विभिन्न पहलुओं पर कॉफी उपजकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए 660 सलाहकारी पत्र जारी करने के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र में बोर्ड के विस्तरण कार्मिकों ने 2,410 कॉफी जोतों का संदर्शन किया, 1211 क्षेत्र प्रदर्शनियों, 326 समूह बैठकें और 95 फार्म पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिससे 2239 उपजकर्ता लाभान्वित हुए। 58 क्वालिटी जागरुकता मुहिमों का आयोजन किया गया जिससे 1204 उपजकर्ता लाभान्वित हुए।
- भारतीय बागान प्रबन्धन संस्थान, बेंगलूर के सहयोग से आयोजित गै प क्षे के उपजकर्ताओं के लिए व्यापार मॉडल पर पहुँच कार्यक्रम में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न प्रान्तों के 25 जनजातीय कॉफी उपजकर्ताओं ने भाग लिया। 35 आन्तरिक अध्ययन दौरा कार्यक्रम और 2 बाह्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 358 उपजकर्ता लाभान्वित हुए।
- लगभग 191 हे में कॉफी विस्तारण और लगभग 129 हे में समेकन का काम लिया गया है। क्वालिटी उन्नयन योजना के अन्तर्गत उपजकर्ताओं को 407 सुखाने के ट्रे देते हुए समर्थन दिया गया।
- मिज़ोरम के बुआलपुई में मिनी कॉफी क्यूरिंग वर्क्स और गुवाहाटी के लोखरा में कॉफी संसाधन कारखाने में लगभग 175 मे ट कॉफी का प्रसंस्करण किया गया। बोर्ड ने इस क्षेत्र में उत्पन्न कॉफी के संग्रहण, प्रसंस्करण, परिवहन और निपटान के लिए वित्तीय समर्थन देना जारी रखा।
- श्रम कल्याण योजना के अन्तर्गत 54 छात्रों को 95,000.00रु की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

प्रोन्नति

- बाह्य कॉफी प्रोन्नति क्रिया कलापों के रुप में बोर्ड ने भारतीय कॉफी निर्यातकों के सक्रिय अन्तर्ग्रस्तता से सं रा अ, आस्ट्रेलिया, चीन, आस्ट्रिया, जापान, जर्मनी, मॉस्को, टर्की, यूक्रेन, इटली, कोरिया, दुबई, रुस और स्विटजरलैण्ड में 17 समुद्रपारीय प्रदर्शनियों / खरीददार विक्रेता बैठक / विशेष इवेन्ट्स में भाग लिया।
- बोर्ड ने देश के भिन्न स्थानों जिसमें चण्डीगढ़, कोलकाता, कोयम्बत्तूर, मुम्बई, त्रिवेन्द्रम, जयपुर, चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलूर, कोचिन और हैदराबाद शामिल है, में 52 आन्तरिक प्रदर्शनियों में भाग लिया।

बाजार अनुसंधान और इंटेलिजेंस :

- इकाई ने मार्केट विश्लेषण के लिए मूलभूत एवं तकनीकी घटकों के साथ मूल्य, आपूर्ती एवं मांग पर

दैनिक मार्केट सूचना को एकत्रित एवं समेकित कर उद्योग के विभिन्न सेक्टर के साथ-साथ सरकार को देने का कार्य जारी रखा।

- वर्ष के दौरान इकाई ने जुलाई 2012, नवम्बर 2012 जनवरी 2013 और मार्च 2013 के महीनों के लिए 'कॉफी पर डेटा बेस' प्रकाशित किया।
- 2011-12 का अन्तिम प्राक्कलन और 2012-13 के लिए पुष्पणोत्तर और मानसूनोत्तर प्राक्कलन के साथ फसल प्रागुक्ति की गई।
- डब्ल्यू टी ओ और कॉफी के व्यापार नीति से सम्बन्धित मामलों पर आर्थिक एवं विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान किया।
- इकाई ने (1) कॉफी उपजकर्ताओं के लिए वृष्टि बीमा योजना (आर आई एस सी), (2) भारत सरकार का मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना, (3)वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के कार्यान्वयन का समन्वयन किया।
- आर आई एस सी के तहत 1078हे. के क्षेत्र को आच्छादित करते हुए 1163 कॉफी उपजकर्ताओं ने मानसूनोत्तर पालिसी लिया है। फरवरी 2013 के दौरान 810 हे. के क्षेत्र को आच्छादित करते हुए कुल 949 कॉफी उपजकर्ताओं ने पॉलिसी लिया।
- इकाई ने आई आई पी एम, बेंगलूर द्वारा किए "भारतीय कॉफी निर्यातों का पण्यावर्त लागत" पर बाजार अध्ययन और मेसर्स डेटामेशन कनसलटन्ट्स प्रा.लि.नई दिल्ली द्वारा किए कॉफी उपभोग रुझान व व्यापार अवसरों पर अध्ययन का समन्व्यन किया।
- इकाई ने निर्यात क्रिया कलापों, बोर्ड के वेबसाइट का रख-रखाव और घरेलू कॉफी प्रोन्नति के लिए समर्थन -मीडिया योजना का समन्वयन किया।

प्रशासन :

- वर्ष 2012-13 के दौरान दो बोर्ड की बैठकें, कार्यकारी समिति, प्रचार समिति, विपणन समिति, अनुसन्धान समिति, विकास समिति और क्वालिटी समिति प्रत्येक की एक बैठक का आयोजन किया गया। गैर सांविधिक समितियों में लेखा परीक्षा समिति की दो बैठकों का भी अयोजन किया गया।
- 31.3.2013 को यथास्थिति बोर्ड की स्टाफ संख्या 946 थी जिसमे 88 वर्ग क अधिकारी, 207 वर्ग ख अधिकारी और 651 वर्ग ग कर्मचारी थे।
- कॉफी बागानों और कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में स्थित कॉफी संसाधन संस्थापनों में नियुक्त श्रमिकों के बच्चों के हित के लिए शैक्षणिक वृत्तियों, प्रोत्साहन पुरस्कारों और वित्तीय सहायता के लिए 2012-13 के दौरान श्रम कल्याण उपाय के तहत 1,84,12,000/-रु. की राशि मंजूर की गई। लाभानुभोगियों की कुल संख्या 8,972 थी।
- वर्ष के दौरान वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम के लिए कर्मचारियों को 90,000.00/- रु की राशि प्रदान की गई। अवधि के दौरान बोर्ड ने सवारी खरीद अग्रिम के लिए 30,000.00/- रु. की राशि की भी स्वीकृति दी।
- बोर्ड के इंजीनियरिंग प्रभाग ने 2.55 करोड रुपयों के व्यय के साथ विभिन्न संरचनात्मक विकास एवं अनुरक्षण कार्य किया है।

सतर्कता एवं कानूनी

- सतर्कता प्रभाग ने जुर्माना लगाते हुए दो मामलों का निपटान किया और वर्ष के अन्त तक चौदह मामले निपटान के लिए लम्बित हैं।
- देशभर में स्थित कॉफी बोर्ड के कार्यालयों में 29 अक्तूबर से 3 नवम्बंर 2012 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।
- वर्ष के आरंभ में 46 अदालती मामले लम्बित थे और 8 नए मामले जोड़े गए। ये 54 मामले विपणन मामले, सेवा मामले और अन्य मामलों से संबंधित थे। वर्ष के दौरान 13 मामलों को निपटाया गया।

अन्य महत्व पूर्ण घटनाएं/क्रिया कलाप

- श्री शान्तकुमार, माननीय सांसद, राज्य सभा एवं हिमाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री की अध्यक्षता

में वाणिज्य विभाग सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति ने चाय और कॉफी उद्योगों के निष्पादन अध्ययन के लिए 6-12 जून 2012 के दौरान कर्नाटक और केरल राज्यों के बागान क्षेत्रों का संदर्शन किया।

- वर्ष के दौरान कॉफी बोर्ड ने सीधी भर्ती के अन्तर्गत 73 कर्मचारियों को नियुक्त किया।

राजभाषा स्कन्ध

- राजभाषा स्कन्ध ने राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपने कार्यों को करना जारी रखा और राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार अपने कार्य का निष्पादन किया।
- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया और सरकार को भेजे जाने वाले सभी रिपोर्ट विशेषकर कॉफी बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा को द्विभाषी रुप में तैयार और प्रकाशित कर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए गए।
- बोर्ड में एक विशेष प्रोत्साहन योजना जारी है जिसमें कोई भी कर्मचारी नेमी कार्यालय फाइलों में हिन्दी में 5000 शब्द लिखने पर प्रति वर्ष 2,000.00 रु की राशि पाने का हकदार होता है। 10 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया और मूल कार्य हिन्दी में करने के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- नियमित हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई और इनमें 45 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- मुख्य कार्यालय से 5 बहु कार्य कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामित किया गया।
- कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के लिए सी सी आर आई और मुख्य कार्यालय में 116 कम्प्यूटरों में साफ्टवेयर पैकेज की स्थापना की गई और कम्प्यूटरों में यूनिकोड को सक्रिय किया गया ।
- बोर्ड में नियमित कार्यालय विषयों में हिन्दी के प्रयोग और प्रगति को देखने के लिए मुख्य कार्यालय के विभिन्न अनुभागों और उप कार्यालयों का आवधिक निरीक्षण किया गया और सम्बन्धित अनुभाग/कार्यालयों को रिपोर्ट भेजे गए ताकि वे अपनी कमी के क्षेत्रों में सुधार ला सकें।
- भारतीय स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव पर एक चल वैजयन्ती की स्थापना की गई थी। इस अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूर के अन्तर्गत आने वाले सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए प्रति वर्ष एक हिन्दी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 10 अगस्त 2012 को इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और एअर फोर्स स्टेशन, जालहल्ली को रोलिंग शील्ड मिला।
- 14.09.2012 को हिन्दी दिवस मनाया गया और हिन्दी दिवस से पहले हिन्दी पखवाडे के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेता प्रतिभागियों को हिन्दी दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किया गया।
- केन्द्रीय कॉफी अनुसन्धान संस्थान, चिक्कमगलूर में हिन्दी कार्यशाला और हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया।
- वाणिज्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूर की बैठकों में नियमित सहभागिता को सुनिश्चित किया गया।

सूचना का अधिकार

- सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अधीन वर्ष 2012-13 के दौरान सूचना/कागज़ात की मांग करते हुए भारत के नागरिकों से बोर्ड ने 91 आवेदन प्राप्त किए। पिछले वर्ष के बाकी बचे 10 आवेदनों को शामिल कर कुल 101आवेदन निपटान हेतु मौजूद थे। वर्ष के दौरान 93 आवेदनों को निपटाया गया और 8 आवेदन निपटान हेतु लम्बित हैं। वर्ष के दौरान 12 अपील प्राप्त हुए जिनमें से 10 को निपटाया गया और 2 आवेदन लम्बित हैं।

✦ ✦ ✦

अध्याय - II

बोर्ड का गठन एवं कार्य

कॉफी बोर्ड, संसद द्वारा अधिनियमित कॉफी अधिनियम 1942 के तहत गठित वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रण अधीन एक सांविधिक संगठन है।

बोर्ड में अध्यक्ष जो मुख्य कार्यपालक हैं, को शामिल कर 33 सदस्य होते हैं और सांसदों, कॉफी उद्योग के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को शामिल कर 32 सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

वर्तमान बोर्ड को 05.11.2009 से 04.11.2012 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया।

वर्ष 2012-13 के दौरान कॉफी बोर्ड के सदस्य (01.04.2012 से 04.11.2012 तक)

रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान श्री जावेद अख़्तर, आई.ए.एस बोर्ड के अध्यक्ष और समिति के पदेन अध्यक्ष भी थे।

01.04.2012 से 04.11.2012 तक की उपरोक्त अवधि के दौरान बोर्ड के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है :

01.04.2012 से 04.11.2012 तक बोर्ड के सदस्यों की सूची

क्र सं	श्रेणी	कॉफी नियम 1955 के अधीन नियुक्त	सदस्यों की संख्या	नाम
1	सांसद (लोक सभा)	नियम 3 (1)	2	**श्री नलिन कुमार कटील (28 सितम्बर 2012 से)** **श्री पी.टी. थामस**
	सांसद (राज्य सभा)	नियम 3 (1)	1	**श्री ऑस्कर फर्नांडिस**
2	प्रमुख कॉफी उगाने वाले राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	नियम 3(2)(क)	4	**डॉ. ए. विद्यासागर आई.ए.एस.** प्रधान सचिव (जन जातीय कल्याण) समाज कल्याण विभाग आन्ध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद **श्रीमती वन्दिता शर्मा, आई ए एस** (27-08-2012 से) **श्री एम के शंकरलिंगे गौडा, आई ए एस** (28.8.2012 से) सचिव, कर्नाटक सरकार, बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार, बेंगलूर

क्र सं	श्रेणी	कॉफी नियम 1955 के अधीन नियुक्त	सदस्यों की संख्या	नाम सर्वश्री
				श्री वी. सोमसुन्दरन, आई.ए.एस. अपर मुख्य सचिव, उद्योग व वाणिज्य विभाग, केरल सरकार, तिरुवनन्तपुरम **श्री सन्दीप सक्सेना, आई.ए.एस.** कृषि उत्पादन आयुक्त व सचिव तमिलनाडु सरकार, चेन्नई
3	बड़े कॉफी उपजकर्ता प्रतिनिधि	नियम 3(2)(ख)	3	**श्री अनिल कुमार भण्डारी** **श्री अजय तिप्पय्या** **श्री ए. नन्दा बेल्लियप्पा**
4	छोटे कॉफी उपजकर्ता प्रतिनिधि	नियम 3(2)(ख)	7	**श्री डी. एम. विजय** **श्रीमती ए. तारा अय्यम्मा** **श्रीमती चन्द्रमति गणेश** **श्री एच.एन. देवराज** **श्री जे. गणेश** **श्री जबीर असगर** (एक सदस्य की मृत्यु के कारण 26-12-2011 से एक रिक्ति)
5	कॉफी व्यापार हित प्रतिनिधि	नियम 3(2)(ग)	3	**श्री एच. बी. बालराज** **श्रीमती आशा शशिधर** **डॉ. प्रदीप केंजिगे**
6	कॉफी संसाधन स्थापना प्रतिनिधि	नियम 3(2)(ग)	2	**श्री पी.एफ. सलदान्हा** **श्री फयाज मूसाकुट्टी**
7	श्रम हित प्रतिनिधि	नियम 3(2)(ग)	4	**श्री वी.आर. जगन्नाथन** **प्रो. के.पी. थॉमस** **श्री एन.एम. अड्यन्ताया** (एक सदस्य की मृत्यु के कारण 18-11-2010 से एक रिक्ति)

क्र सं	श्रेणी	कॉफी नियम 1955 के अधीन नियुक्त	सदस्यों की संख्या	नाम सर्वश्री
8	प्रमुख कॉफी उगाने वाले राज्यों को छोडकर अन्य राज्यों के प्रतिनिधि	नियम 3(2)(ग)	2	**श्री टी. रामचन्द्रु, आई ए एस** आयुक्त सह सचिव, उद्योग विभाग ओड़िशा सरकार, भुवनेश्वर **सुश्री एल.एच. तंगी मन्नन** (21.09.2011 से) आयुक्त सह सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नागालैण्ड सरकार, कोहिमा
9	उपभोक्ताओं के हित प्रतिनिधि	नियम 3(2)(ग)	2	**श्रीमती राधिका यतिराज** **श्री अल्फा राजन**
10	इन्स्टेन्ट कॉफी विनिर्माता प्रतिनिधि	नियम 3(2)(ग)	1	**श्री सी. राजेन्द्र प्रसाद**
11	कॉफी के अनुसंधान/विपणन/ प्रबंधन /प्रोन्नति के क्षेत्र में एक विशिष्ट व्यक्तित्व	नियम 3(2)(ग)	1	**डॉ. एच पी. सिंह, डी डी जी** आई सी ए आर, नई दिल्ली

बोर्ड के कार्य

बोर्ड को सौंपे गए प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं :

- कॉफी उद्योग के हित में कृषि एवं प्रौद्योगिक अनुसंधान का संवर्धन।
- कॉफी एस्टेटों को उनकी अभिवृद्धि हेतु सहायता।
- भारत में उत्पादित कॉफी का भारत में तथा अन्यत्र बिक्री एवं खपत का संवर्धन।
- बेहतर कार्य स्थिति सुरक्षित करना और कामगारों के लिए सुविधा एवं प्रोत्साहन में सुधार और प्रावधान लाना।
- कॉफी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य सभी प्रचालनों का प्रबन्धन।

इसके अलावा, बोर्ड उद्योग से सम्बन्धित सांख्यिकीय और अन्य संगत आंकडे संग्रहित कर उद्योग के विभिन्न खंडों में सूचना को प्रसारित भी करता है और उद्योग की तरफ से सरकार, मीडिया व्यापार और सामान्य जनता के लिए मान्य प्रवक्ता के रुप में कार्य करता है और देश में कॉफी उद्योग के सम्पूर्ण बढ़त और विकास के लिए मार्गदर्शन देता है।

कॉफी बोर्ड, अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान संगठनों, स्पेशियालिटी कॉफी संघों जैसे अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में भारतीय कॉफी उद्योग का प्रतिनिधित्व भी करता है और कॉफी उद्योग के लाभ के लिए उनके साथ काम करता है।

सांविधिक समितियां:

बोर्ड अपनी छः सांविधिक समितियों के जरिए काम करता है। प्रत्येक समिति एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त की जाती है। कॉफी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक समिति के कार्य निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	समिति का नाम	कार्य
1.	कार्यकारी समिति	कॉफी नियम के अधीन उसको विशेषतया सौंपे गए कार्यों को करती है। इसके अलावा प्रचार, विपणन, अनुसन्धान या बोर्ड द्वारा गठित अन्य समितियों को विशेषतया न दिए गए कार्यों को करती है।
2.	प्रचार समिति	भारत में उत्पादित कॉफी के भारत में तथा अन्यत्र बिक्री की प्रोन्नति तथा उपभोग को बढ़ाने से संबंधित विषयों पर काम करती है।
3.	विपणन समिति	अधिनियम तथा नियम में निर्धारित कॉफी विपणन योजना के कार्यों को करती है।
4.	अनुसंधान समिति	भारत में कॉफी उद्योग के हित में कृषि एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान की प्रोन्नति से संबंधित कार्यों को करती है।
5.	विकास समिति	कॉफी एस्टेटों के विकास हेतु किए जानेवाले उपायों से संबंधित कार्य करती है।
6.	क्वालिटी समिति	भारत में उत्पादित कॉफी की गुणता में सुधार से संबंधित सभी मामलों को संभालने का काम करती है।

गैर सांविधिक समिति :-

बोर्ड में एक गैर-सांविधिक समिति भी है अर्थात् लेखा परीक्षा समिति, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	समिति का नाम	कार्य
1.	लेखा परीक्षा समिति	यह समिति वार्षिक लेखा से संबंधित विषयों को देखती है और लेखों पर लेखा परीक्षा की स्थिति का अध्ययन भी करती है ।

01.04.2012 से 31.03.2013 तक की अवधि के दौरान बोर्ड, सांविधिक समितियों तथा गैर-सांविधिक समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	समिति का नाम	बैठक का नाम
1	बोर्ड की बैठकें	16.07.2012 को 196 वीं बैठक 17.10.2012 को 197 वीं बैठक
2	कार्यकारी समिति	16.07.2012 को 178 वीं बैठक
3	प्रचार समिति	16.07.2012 को 162 वीं बैठक
4	विपणन समिति	16.07.2012 को 305 वीं बैठक
5	अनुसंधान समिति	04.06.2012 को 156 वीं बैठक
6	विकास समिति	16.07.2012 को 91 वीं बैठक
7	क्वालिटी समिति	16.07.2012 को 95 वीं बैठक
8	लेखा परीक्षा समिति	25.06.2012 को 22 वीं बैठक 17.10.2012 को 23 वीं बैठक

अध्याय - III

प्रशासन एवं स्थापना

कॉफी बोर्ड, कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 के अधिनियम) के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक निकाय है जिसका निरन्तर उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा है और उसे सम्पत्ति प्राप्त करने और उसको अपने पास रखने, संविदा करने, मुकदमा चलाने और मुकदमा चलवाए जाने का अधिकार है।

अध्यक्ष

1. श्री जावेद अख़्तर, आई ए एस,बोर्ड के अध्यक्ष हैं ।

विभागों के प्रधान

रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित विभागों के प्रधान उनके नामों के सम्मुख दर्शाए पदों पर कार्यरत थे।

1. श्री एम. चन्द्रशेखर, आई टी एस, सचिव

2. श्रीमती रूपराशि, आई ए व ए एस,वित्त निदेशक (02.09.2012 तक)

3. डॉ आरती दीवान गुप्ता, आई डी ए एस, वित्त निदेशक (22.10.2012 से)

4. डॉ जयराम, अनुसंधान निदेशक

अलग अलग विभागों एवं स्कन्धों को सौंपे गए उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

1 सचिवालय विभाग

सचिवालय विभाग सभी प्रशासनिक (स्टाफ और कार्यालय स्थापना) और सतर्कता मामले, बोर्ड के विभिन्न प्रभागों/इकाईयों में कार्य आवंटन और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना प्रस्तुत करने के अनुपालन को मानीटर करने के लिए जिम्मेदार है। यह विभाग श्रम कल्याण उपायों सम्बन्धी स्कीम का मानीटर करने के अलावा बोर्ड और सांविधिक समितियों की बैठकें आयोजित करने का कार्य भी करता है।

सचिवालय विभाग के साथ सम्बद्ध 6 इकाइयां निम्नानुसार हैं :

i) प्रशासन इकाई

ii) राजभाषा इकाई

iii) सतर्कता इकाई

iv) कानूनी इकाई

v) इंजीनियरिंग इकाई और

vi) सूचना का अधिकार इकाई

2 अनुसन्धान विभाग

अनुसन्धान विभाग विभिन्न अनुसंधान क्रियाकलाप कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेदार है जो पौधा प्रजनन, पौधा प्रबन्धन, रोग और नाशिकीट प्रबन्धन को शामिल कर पौधा संरक्षण, फार्म पर एवं फार्म के बाहर संसाधन की फसलोत्तर कार्य प्रणाली, प्रदूषण उपशमन आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर केन्द्रित रहे। अनुसंधान विभाग रोपण समुदाय को सलाहकारी सेवाएं देने के साथ साथ विभिन्न पणधारियों के हित के लिए बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। विश्लेषिक प्रयोगशाला तथा क्वालिटी प्रभाग, अनुसंधान विभाग के अन्य इकाईयां हैं जो उद्योग को क्वालिटी मूल्यांकन सहयोग प्रदान करते हैं।

3. विस्तरण तथा विकास विभाग

बोर्ड के विस्तरण विभाग ने कॉफी की उच्च उत्पादकता तथा क्वालिटी स्तरों को प्राप्त करने के उद्देश्य से लगातार प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु अनुसन्धान समुदाय तथा कॉफी उपजकर्ताओं के बीच कड़ी स्थापित किया। विभाग ने

कॉफी खेती से संबन्धित विभिन्न क्रिया कलापों, उत्पादन एवं क्वालिटी की उन्नति पर कॉफी उपजकर्ताओं को विकास सहायता भी प्रदान किया।

4. बाजार व प्रोन्नति विभाग

विभाग का निर्यात इकाई, निर्यातकों के पंजीकरण, पंजीकरण का नवीकरण, निर्यात परमिट जारी करने, भारत से कॉफी के निर्यात के लिए आई सी ओ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, भारत से निर्यातित कॉफी पर मंत्रालय एवं आई सी ओ को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है, इसके साथ दूरस्थ बाजारों को उच्च मूल्य कॉफी के निर्यात हेतु प्रोत्साहन समर्थन देने और इण्डियन ब्रैंड के रूप से मूल्य संवर्धित कॉफी के निर्यात को बढ़ाने और कॉफी निर्यातों में सर्वोत्तम निष्पादन की पहचान में निर्यात पुरस्कार देने का काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इवेन्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन के संविमर्श में भाग लेने और ब्रैंड प्रोन्नति क्रिया कलापों के जरिए बाह्य प्रोन्नति की गई थी।

घरेलू प्रोन्नति के अन्तर्गत संवर्धनीय क्रिया कलापों को घरेलू घटनाओं में भाग लेने, मीड़िया मुहिम और कॉफी रोस्टिंग, ग्राईडिंग और पैकेजिंग इकाई लगाने के लिए भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के जरिए किया गया। यह प्रशिक्षण, "प्रसंस्करण इकाइयां लगाने के लिए स्कीम" का पूरक था।

मार्केट अनुसंधान और इंटेलिजेन्स इकाई ने कॉफी निर्यात के सम्बन्ध में उद्योग के सुगमीकारक के रुप में बोर्ड की भूमिका को निभाते हुए अपनी बाजार सूचना और इन्टेलिजेंस क्रिया कलापों को जारी रखा। यह इकाई फसल स्थिति, फसल प्राक्कलन तथा बाजार आँकडे/ सूचना, उद्योग से सम्बन्धित निर्यात और उपयोगी व्यापार सम्बन्धी आंकडे का दैनिक आधार पर मानीटर करते हुए उनकी सूचना देती है ।

5. लेखा व वित्त विभाग

बोर्ड का लेखा और वित्त विभाग, बोर्ड के बजट का विनिधान/प्रशासन, बोर्ड के लेखों का प्रबन्धन और वित्त प्रबन्धन से सम्बन्धित सभी मामलों को देखता है। बोर्ड की आन्तरकि लेखा परीक्षा पार्टी (आई ए पी) विभाग का एक अंश है। यह बोर्ड के कार्यों और रिकार्डों के रख रखाव में सुचारुता को सुनिश्चित करने हेतु मुख्य कार्यालय और उप कार्यालयों के वित्त और लेखा की आन्तरिक जांच करती है। इस संबंध में मुख्य कार्यालय में परामर्शियों की नियुक्ति की गई है ।

सचिवालय विभाग

प्रशासन इकाई :

(क) सीधी भर्ती :

वर्ष के दौरान, सीधी भर्ती के तहत 73 अधिकारियों की भर्ती की गई। विवरण निम्नानुसार हैं :

- विषय विशेष विशेषज्ञ 5
- सहा.विशेषज्ञ 1
- अनुसन्धान सहा.ग्रेड-I 13
- विस्तरण निरीक्षक 54

(ख) पदोन्नतियाँ :

वर्ष के दौरान निम्नलिखित काडरों में 60 अधिकारियों/ कर्मचारियों को पदोन्नतियां दी गई।

- संयुक्त निदेशक (विस्तरण) 1
- उप निदेशक (विस्तरण) 5
- वरिष्ठ संपर्क अधिकारी 4
- विषय विशेष विशेषज्ञ 2
- सहा. विशेषज्ञ 5
- क. संपर्क अधिकारी 32
- ड्राइवर ग्रेड-I 30
- ड्राइवर ग्रेड-II 7
- ड्राइवर साधारण ग्रेड 3

(ग) संशोधित आश्वस्त सेवाकालीन उन्नयन योजना (एम ए सी पी एस) :

वर्ष के दौरान संशोधित आश्वस्त सेवाकालीन उन्नयन योजना(एमएसीपीएस)के अन्तर्गत 83 कार्मिकों को वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया ।

(घ) संशोधित नम्य पूरक योजना(एम एफ सी एस):

योजना अधीन वर्ष के दौरान संशोधित नम्य पूरक योजना (एम एफ सी एस) के अन्तर्गत 2 वैज्ञानिकों को यथावत पदोन्नति दी गयी।

ङ) स्थानान्तरण : सामान्य स्थानान्तरण के दौरान 108 अधिकारी/कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया जो इस विषय पर मार्गदर्शनों के आधार पर किए गए थे और जिनका विवरण निम्न है:

वर्ग	स्थानान्तरित अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्या
क	16
ख	25
ग	67

च) कर्मचारी कल्याण उपाय

i) **सवारी खरीद अग्रिम** सवारी खरीद अग्रिम के लिए एक कर्मचारी को 30,000/-रु. की राशि अनुमोदित की गई।

ii) **वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम :** वैयक्तिक कम्प्यूटर अग्रिम के लिए 3 कचारियों को 90,000/- रु. की राशि अनुमोदित की गई।

iii) **सामूहिक बचत सहबद्ध बीमा योजना :** बोर्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से सामूहिक बचत सहबद्ध बीमा योजना को संचालित करता है। विभिन्न श्रेणी के 935 कर्मचारी इस योजना में नामांकित हैं। वर्ष के दौरान 44 सदस्यों को 15,08,168/- रु. की राशि का निपटारा किया गया।

छ) श्रम कल्याण उपाय

i) **शैक्षणिक वृत्ति:-** शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में एस एस एल सी पास करने वाले छात्रों और शैक्षणिक वर्ष 2012-13 में एस एस एल सी के पश्चात प्रथम वर्ष पी यू सी, पोलीटेकनीक/ व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे उच्च अध्ययन लेने वाले छात्रों को प्रति छात्र 1500/- रु. के दर पर छात्रवृत्ति दिए गए।

ii) **[redacted]साहन पुरस्कार :-** शैक्षणिक वर्ष 2011-12 में एस एस एल सी की परीक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त कर आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए प्रत्येक प्रभाग में एक छात्रा को 1500/-रु. और एक छात्र को 1000/-रु. का प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया ।

iii) **[redacted]वित्तीय सहायता :** व्यावसायिक पाठ्यक्रम लेकर पढ़ने वाले छात्रों के अलावा ग्रेजुएट छात्रों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से योजना को 2009-2010 से संशोधित किया गया। वित्तीय सहायता का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र सं	पाठ्यक्रम का विवरण	पाठ्यक्रम के सम्पूर्ण अवधि के लिए प्रति वर्ष प्रति छात्र को राशि
1.	मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कृषि, फार्मेसी, बी एस सी व एम एस सी नर्सिंग और ए एन एम पाठ्यक्रम जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रम	5,000/- रु.
2.	ग्रेजुएशन	2,500/- रु.

श्रम कल्याण उपाय के अन्तर्गत बोर्ड ने 2012-13 के दौरान 8,972 लाभानुभोगियों को 1,84,12,000/- रु. की राशि प्रदान की।

ज) 31.03.2012 को यथास्थिति कॉफी बोर्ड की कुल स्टाफ संख्या

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति और महिला स्टाफ की संख्या के साथ 31.03.2013 को यथास्थिति कॉफी बोर्ड की वर्गवार स्टाफ संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र सं	कुल		अ.जा/अ.ज.जा				महिला	
	वर्ग	कर्मचारियों की संख्या	अ.जा. सं	अ ज.जा.सं	कुल सं का %		महिला कार्मिक	कुल सं का %
					अ.जा.	अ ज.जा		
1	क	88	16	6	18.18	6.82	11	12.50
2	ख	207	38	8	18.36	3.86	29	14.01
3	ग	651	120	39	18.43	5.99	136	20.89
	योग	**946**	**174**	**53**	18.39	5.60	176	18.60

राजभाषा स्कन्ध

2012-2013 की अवधि के दौरान राजभाषा स्कंध ने राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अपने कार्यों को करना जारी रखा और भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2012-2013 के लक्ष्यों पर ध्यान केन्द्रित किया।

- मंत्रालय और क व ख क्षेत्र में स्थित सभी कार्यालयों को लिखे गए सभी पत्र द्विभाषी रुप अर्थात हिन्दी और अंग्रेजी में थे। हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया।
- राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया और सरकार को भेजे जाने वाले सभी रिपोर्ट द्विभाषी रुप में भेजे गए। कॉफी बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा 2012-13 को द्विभाषी रुप में तैयार और प्रकाशित कर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रस्तुत किए गए।
- बोर्ड में एक विशेष प्रोत्साहन योजना जारी है जिसमें कोई भी कर्मचारी कार्यालय फाइलों में हिन्दी में 5000 शब्द लिखने पर प्रति वर्ष 2000 रु. की राशि पाने का हकदार होता है। 10 कर्मचारियों ने इसमें भाग लिया और मूल कार्य हिन्दी में करने के लिए उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया ।
- नियमित हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई और इनमें 45 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- मुख्य कार्यालय से 5 बहु कार्य कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के विभिन्न पाठ्यक्रमों में नामित किया गया।
- कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कुछ उप कार्यालयों में साफ्टवेयर पैकेज की स्थापना की गई और कम्प्यूटरों में यूनिकोड को सक्रिय किया गया ।
- बोर्ड में नियमित कार्यालय विषयों में हिन्दी के प्रयोग और प्रगति को देखने के लिए मुख्य कार्यालय के विभिन्न अनुभागों और उप कार्यालयों का आवधिक निरीक्षण किया गया और सम्बन्धित अनुभाग/कार्यालयों को रिपोर्ट भेजे गए ताकि वे अपनी कमी के क्षेत्रों में सुधार ला सकें।
- भारतीय स्वतंत्रता की 50 वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव पर एक चल वैजयन्ती की स्थापना की गई थी। इस अवसर पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूर के अन्तर्गत आने वाले सभी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए प्रति वर्ष एक हिन्दी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 10 अगस्त 2012 को इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 15 कार्यालयों से 28 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया और एअर फोर्स स्टेशन, जालहल्ली को रोलिंग शील्ड मिला।

- 14.09.2012 को हिन्दी दिवस मनाया गया और हिन्दी दिवस से पहले हिन्दीं पखवाडे के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और विजेता प्रतिभागियों को हिन्दी दिवस के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किया गया।
- राजभाषा हिन्दी से सम्बन्धित आदेशों के कार्यान्वयन की दिशा में अत्युत्तम कार्य करने के लिए वाणिज्य विभाग के ग क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में कॉफी बोर्ड को वर्ष 2011-12 के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। यह ट्रॉफी कॉफी बोर्ड को अगस्त 2012 के दौरान सम्पन्न हुई हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय वाणिज्य राज्य मंत्री ने प्रदान की।
- केन्द्रीय कॉफी अनुसन्धान संस्थान, चिकमगलूर में हिन्दी कार्यशाला और हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया।
- वाणिज्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बेंगलूर की बैठकों में नियमित सहभागिता को सुनिश्चित किया गया।
- रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान 39,473 रु. की हिन्दी पुस्तकों की खरीद की गई।
- लोकप्रिय हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में कॉफी पर हिन्दी विज्ञापनों के लिए 39,15,990/- रु. की राशि खर्च की गई।

सतर्कता इकाई

सतर्कता इकाई निम्न्लिखित कार्यों को संपादित करने के लिए जिम्मेदार है:-

- शिकायतें दर्ज करना और उन पर कार्रवाई लेना।
- बोर्ड की सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन ।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को प्रेषित करने के लिए आवधिक विवरणी तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना।
- भिन्न उद्देश्यों के लिए कॉफी बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारियों का सतर्कता पार अनुज्ञा जारी करना।
- कॉफी निर्यातकों के रूप में पंजीकरण हेतु निर्यातकों को सतर्कता पार अनुज्ञा जारी करना।
- बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चल/अचल संपत्ति प्राप्त करने के लिए दिए गए आवेदनों को साधित करना। वर्ग क और वर्ग ख अधिकारियों के अचल संपत्ति विवरणी की संवीक्षा करना।
- उपकार्यालयों/मुख्य कार्यालय के विभिन्न अनुभागों की आकस्मिक सतर्कता जाँच।
- आनुशासनात्मक क्रियाविधि के लिए फाइल प्रस्तुत करना।

सतर्कता मामलों का विवरण:

बोर्ड के अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध किए गए अनुशासनिक कार्यवाहियों का विवरण निम्नानुसार है ।

क्र सं	विवरण	सं.
(i)	वर्ष के आरम्भ में अर्थात् 1.04.2012 को यथास्थिति लम्बित मामले	10
(ii)	वर्ष के दौरान जोड़े गए नए मामले	04
(iii)	सरकार को संदर्भित किए गए मामले	02
(iv)	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों की सं	02
(v)	31.03.2012 को यथास्थिति निपटान हेतु लम्बित मामलों की संख्या	14

विशेष उपलब्धियाँ

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यालयों/अनुभागों के कार्यों पर निरन्तर चौकसी रखी गयी, मुख्य कार्यालय के विभिन्न विभागों और उप-कार्यालयों में आकस्मिक जाँच किए गए। इसके परिणाम स्वरूप 2 मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई की गई। शिकायतें प्राप्त होने पर 11 मामलों पर आगे जाँच की जा रही है।

देश भर में कॉफी बोर्ड के सभी कार्यालयों में 29 अक्तूबर 2012 से 03 नवम्बर 2012 तक सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया।

कानूनी इकाई

कानूनी प्रकोष्ठ, निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए जिम्मेंदार है :

- विपणन/स्टाफ/बिक्री/खरीद/सेवा कर, श्रम आदि से सम्बन्धित बोर्ड के सभी कानूनी विषयों को देखता है।
- कानूनी प्रकोष्ठ विभिन्न न्यायालयों जैसे सर्वोच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, श्रम न्यायालय तथा संबंधित राज्य के विक्रय कर अपीलेट फोरम, आदि के समक्ष लम्बित बोर्ड के सभी मुकदमेबाजी को देखता आया है।
- कानूनी प्रकोष्ठ वाद-पत्र/जवाबी और विवादों को तैयार करने के लिए बोर्ड के वकीलों को संगत रिकार्ड देते हुए समन्वयन और सहायता करता है ।
- कानूनी प्रकोष्ठ कर (विक्रय कर और सेवा कर दोनों) सेवा मामलों, कॉफी अधिनियम के संशोधन से सम्बन्धित पत्राचारों को संभालता है और कानूनी विषयों पर वाणिज्य मंत्रालय से पत्राचार करता है ।
- कानूनी प्रकोष्ठ ने वैट, सेवा कर, वृत्ति कर आदि के अन्तर्गत आवधिक प्रविवरणों को दायर करने से सम्बन्धित कार्यों को भी किया और जहाँ कहीं भी देय हो वहाँ देय करों को अदा किया ।
- कानूनी प्रकोष्ठ विभिन्न अनुभागों जैसे निर्यात, पेंशन, इंजीनियरिंग, सेवा रिकार्ड अनुभाग आदि द्वारा सन्दर्भित विषयों पर विभिन्न नियमों को सन्दर्भित करते हुए अपना मत भी देता आया है ।

न्यायालय मामलों की स्थिति :

वर्ष के आरंभ में 46 न्यायालय मामले लम्बित थे और 8 नए मामले जोड़े गए। इन 54 मामलों में 16 विपणन मामले, 20 सेवा मामले, 4 सी डी आर पी 9 एस एल पी (6 सेवा मामले और 3 अन्य मामले) और 5 अन्य मामलों से सम्बन्धित थे। वर्ष के दौरान 13 मामलों को निपटाया गया।

विशेष उपलब्धियाँ :

मेसर्स कोठारी ऑयल प्रोडक्ट्स लि. के विरुद्ध बोर्ड द्वारा दायर वसूली मुकदमा ओ एस सं 6087/90 आदेश दिनांक 4.6.2011 के तहत बोर्ड के पक्ष में आज्ञप्त हुआ। निर्यातक ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में आर एफ ए दायर करते हुए आदेश को चुनौती दी । जब मामला लम्बित था, माननीय उच्च न्यायालय के सलाह अनुसार बोर्ड और निर्यातक ने संयुक्त ज्ञापन दायर किया। संयक्त ज्ञापन के अनुसार, बोर्ड को पूर्ण एवं अंतिम निपटारे के रुप में निर्यातक से दिनांक 11.12.2012 को 28,14,404 रु. प्राप्त हुए।

क्रय कर-विक्रय कर विवाद की स्थिति :

तमिल नाडू सरकार : बोर्ड ने कर/जुर्माना/ब्याज के बकाए के निपटारे के लिए समाधान योजना का उपयोग किया और 12 करोड रुपये और ब्याज/जुर्माने की माँग के सम्मुख 6.80 करोड़ रुपयों का पूर्ण और अंतिम निपटान किया। बोर्ड ने मूल्यांकन वर्ष 1983-84, 1987-88 से 1996-97 तक के वर्षों के लिए समाधान योजना का उपयोग करते हुए पिछले वर्ष के दौरान कम किए गए कर देयों को निपटाने के बाद देय शेष कर और ब्याज की छूट पर पुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तमिल नाडू सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों से विषय को लिया।

केरल सरकार : केरल उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.8.2008 के तहत 1984-85 से 1990-91,1994-95 से 1996-97 तक के वर्षों के लिए केन्द्रीय विक्रय कर के आरोपण की पुष्टि करते हुए एस टी ए टी द्वारा जारी किए आदेश को अस्वीकृत कर दिया और मामले की विधि अनुसार पुन: जांच करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। इसी प्रकार सी एस टी के तहत वर्ष 1991-92 से 1993-94 एवं 2000-2001 तथा के जी एस टी के तहत वर्ष 1991-92 से 1993-94, 1996-97 एवं 1997-98 से सम्बन्धित अपीलों को एस टी ए टी ने अपने दिनांक 26-9-2012 के आदेश के तहत मूल्यांकन अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। मूल्यांकन अधिकारी ने वर्ष 1984-85 से 1990-91, 1994-95 से 1996-97 के लिए सी एस टी के आरोपण की पुष्टि करते हुए नोटिस दिनांकित 11-3-2013 जारी किया। नोटिस के प्रति विस्तृत उत्तर दायर कर दिया गया है।

इंजीनियरिंग इकाई

कॉफी बोर्ड के देश भर में विभिन्न स्थानों पर अपने कार्यालय/ आवासीय भवन हैं। बेंगलूर, नई दिल्ली, मैसूर, चेन्नई, गुवाहाटी और सिलचर (असम,) चिन्तापल्ली, अरकूवेली (आ.प्र,) में कॉफी बोर्ड के अपने कार्यालय/आवास भवन हैं और बेंगलूर, नई दिल्ली व हासन में भी आवासीय फ्लैट्स हैं। इसके अलावा, कर्नाटक के चिकमगलूर जिले में केन्द्रीय कॉफी अनुसन्धान संस्थान, चेट्टल्ली में (मडिकेरि के पास) कॉफी अनुसन्धान उप स्टेशन, केरल के चुन्देल में क्षेत्रीय कॉफी अनुसन्धान स्टेशन, तमिल नाडू में थाण्डीगुडी, आन्ध्र प्रदेश में आर वी नगर, और असम के डीफू में कॉफी बोर्ड के अनुसन्धान स्टेशन तथा आवासीय क्वार्टस और कर्नाटक, तमिल नाडू, केरल, आन्ध्र प्रदेश, ओडिशा राज्य और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों में विस्तरण विभाग के कॉफी निरुपण फार्म/मूल्यांकन केन्द्र भी हैं। बेंगलूर में इण्डिया कॉफी हाउस और भोपाल में इण्डिया कॉफी सेन्टर का स्वामित्व और रख-रखाव भी कॉफी बोर्ड करता है।

इंजीनियरिंग प्रभाग, भवनों के रख-रखाव के साथ अवस्थापना विकास के अधीन प्रत्यक्ष रुप से भवन निर्माण और कुछ कार्य सम्बन्धित प्राधिकारियों से सम्पर्क करते हुए जमा योगदान के जरिए कर रहा है।

वर्ष के दौरान 1,83,77,000 रुपयों के प्राक्कलित लागत पर हासन में प्रशासनिक/प्रदर्शन केन्द्र के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है और यह पूरा होने जा रहा है। सी सी आर आई बालेहोन्नूर में प्रशिक्षण केन्द्र एवं अतिथि गृह के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित किए गए हैं जिसे अंतिम रुप दिया जा रहा है। आर सी आर एस थाण्डीगुडी में चार स्टाफ क्वार्टर्स के निर्माण हेतु 54,76,695 रुपयों का कार्य प्रगति पर है और डोब्वासपेट, बेंगलूर में केन्द्रीकृत रोस्टिंग व ग्राईंडिंग ईकाई के निर्माण हेतु तैयार किए गए अनुमान को अनुमोदन मिल गया है और निविदा आमंत्रित की जा रही है।

वर्ष 2012-13 के दौरान किए गए कार्यों का व्यय विवरण निम्नानुसार है:

क्र सं	किए गए कार्य	राशि में
1	वित्तीय वर्ष में योजना के अन्तर्गत लिए गए सिविल कार्य/ इलेक्ट्रिकल कार्य, जमा अंशदान कार्यों पर पूँजी और परिव्यय पर हुआ कुल व्यय -	1,50,85,118.00
2	भवनों /आस्तियों के रख-रखाव एवं छोटे मोटे सिविल/बिजली/ कम्प्यूटर कार्य पर कुल व्यय। -	1,03,74,234.00
	योग	**2,54,59,352.00**

सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन वर्ष 2012-13 के दौरान सूचना/ अभिलेखों की मांग करते हुए भारत के नागरिकों से बोर्ड ने 91 आवेदन प्राप्त किए। पिछले वर्ष के बाकी बचे 10 आवेदनों को शामिल कर कुल 101 आवेदन निपटान हेतु मौजूद थे। वर्ष के दौरान 93 आवेदनों को निपटाया गया और 08 आवेदन निपटान हेतु लम्बित हैं। वर्ष 2012-13 के दौरान 12 अपीलें प्राप्त हुई और वर्ष के दौरान 10 अपीलों को निपटाया गया है और 02 अपीलें लम्बित हैं।

✦ ✦ ✦

अध्याय - III (क)

अशक्त व्यक्तियों का ब्यौरा

रिपोर्ट अधीन वर्ष के दौरान 2 अशक्त व्यक्तियों की भर्ती हुई है। बोर्ड में 9 शारिरिक रुप से अशक्त कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका ब्यौरा (काडर वार) निम्नानुसार है :

क्र सं	काडर	विद्यमान	वर्ग	अशक्त व्यक्तियों की संख्या		श्रेणीवार अशक्त कर्मचारी		
				सं.	कुल सं %	अ.आ.	अ.जा.	अ.ज.जा.
1.	प्रभागीय प्रधान	6	क	1	16.67	1	-	-
2.	विषय वस्तु विशेषज्ञ	33	क	1	3.03	1	-	-
3.	क. हिन्दी अनुवादक	4	ख	1	25.00	1	-	-
4.	विस्तरण निरीक्षक	125	ग	2	1.60	2	-	-
5.	व लिपिक	103	ग	3	2.91	3	-	-
6.	एम टी एस	277	ग	1	0.36	1	-	-
	योग	**548**		**9**	**1.64**	**9**	**-**	**-**

✦ ✦ ✦

अध्याय - IV

कॉफी अनुसंधान

वर्तमान वर्ष 2012-13 के दौरान कॉफी बोर्ड के अनुसंधान विभाग ने "धारणीय कॉफी उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी हेतु अनुसंधान एवं विकास" के तहत बहुत से अनुसंधान अध्ययनों का कार्यान्वयन किया।

अनुसंधान परियोजनाओं का कार्यान्वयन केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान (सी सी आर आई) के अधीन कार्यरत विभिन्न अनुसंधान स्टेशनों के जरिए हुआ। ये स्टेशन चेट्टल्ली (कोडगु, कर्नाटक), चुन्देल (वयनाड, केरल), थाण्डीगुड़ी (पुलनीज, तमिलनाडु), आर वी नगर (वैज़ाग जिला, आन्ध्र प्रदेश) और डिफु (कर्बी अंगलोंग जिला, असम) में स्थित हैं। इन के अलावा, दो अनुसंधान प्रभाग यथा, जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र, मैसूर और क्वालिटी प्रभाग, बेंगलूर में भी अनुसंधान कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए।

उपरोक्त के अलावा, जैव प्रौद्योगिकी (डी बी टी), नई दिल्ली, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (एम ओ सी एण्ड एफ), भारत सरकार, वस्तु सामान्य निधि (सी एफ सी) एमस्टरडम जैसे बाह्य निधिकरण एजेन्सियों द्वारा प्रयोजित विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं का भी कार्यान्वयन हुआ।

विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं के तहत 2012-13 के दौरान हुए महत्वपूर्ण अनुसंधान खोज यहां प्रस्तुत हैं।

स्कीम : धारणीय कॉफी उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी हेतु अनुसंधान एवं विकास

घटक 1: धारणीय कॉफी उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी हेतु प्रौद्योगिकी का विकास

उप.घटक 1.1: प्रमुख नाशिकीट और रोग तथा अनावृष्टि के प्रतिरोधक के साथ उन्नत कॉफी किस्मों को विकसित करना।

पौधा प्रजनन और आनुवंशिकी

चन्द्रगिरी किस्म पत्ती किट्ट के विरुद्ध प्रतिरोध के स्थायित्व को बढाने के लिए प्रदाता अभिभावक के रुप में कवीसारी एवं कवीमोर का प्रयोग करते हुए चन्द्रगिरी में संकर उत्पन्न किए गए।

अर्ध बौना फीनोटाइप में डिप्लायड ओरिजिन के किट्ट प्रतिरोधी जीन्स के अनुक्रमण के लिए कवीमोर एवं एस. 3827 के चुने हुए पौधों के बीच पारस्परिक संकरण किया गया।

एस 3827 (सिलेक्शन 10), एस.3822 (सार्चीमोर), कोलम्बियन केटीमोर एवं एस 4808(काटुवाई xएच डी टी) के चुने हुए पौधों के बीच विकसित किए गए संकरों के F 1 संकर संततियों को सी सी आर आई के क्षेत्र में रोपित किया गया।

(सिलेक्शन 7.3 x सिलेक्शन 6=एस 3822) x सिलेक्शन 10, के बीच अन्तर प्रभेदीय संकरों के एफ1 संकर बीज जिसका निर्माण विभिन्न किट्ट प्रतिरोधी जीन्स के पिरामिडीकरण के उद्देश्य से किया गया था उनको पुन: अधिकृत किया गया और क्षेत्र रोपण के लिए उनकी संततियां उत्पन्न की गई।

क्षेत्र में स्थापित किए गए एच डी टी x काटुवई, एच डी टी एवं सिलेक्शन 10 के बीच के एफ 1 संकरों को जुवेलाइन विगर (तारुण्य ओज) हेतु मूल्यांकित किया गया। एस.5055 (सिलेक्शन 101/6 x एच डी टी 1/1.) को उत्कृष्ट पाया गया।

चन्द्रगिरी के एफ3 एफ 4 एफ 5 संततियों की मानीटरिंग से पता चला कि इस किस्म ने पत्ती किट्ट के प्रति उच्च क्षेत्र सहनशीलता प्रकट करना जारी रखा और इसमें सतत उपज एवं उन्नत फली (बीन) क्वालिटी लक्षण मौजूद थे। तथापि, एफ4 और एफ5 के आधारभूत पौधों में पत्ती किट्ट की हल्की घटना देखी गई जो यह इंगित करता है कि किट्ट का रोगाणु, नए विषाक्त जीन संयोजन में विक्रिया करते हुए इस किस्म पर अनुयुक्त होने की कोशिश कर रहा था।

ब्लू माउंटेन एस्टेट, चिकमगलूर और लम्बे समपित्रैक जैसे एस 1934, सिलेक्शन 5 बी और सिलेक्शन 9 से केटीमोर संग्रह को लेकर किए गए संकरों के सात एफ1 संकर सन्ततियों को प्रतिरोध की स्थिरता के लिए मॉनीटर किया गया। एस 4817

(कोलम्बियन केटीमोर x केट. एस 1934) संन्तति ने किट्ट प्रतिरोध और बीन (फली) क्वालिटी लक्षणों के संबंध में आशाजनक निष्पादन रिकार्ड किया। प्रवर पौधों को चिन्हित किया गया और आगे के चयन हेतु एफ2 संन्तति उत्पन्न करने हेतु स्वनिषेचित किया गया।

एच डी टी, एस 2464, सिलेक्शन 5ए, सियोसी और अगारो जैसे कुछ लम्बे अरेबिका के अन्तर प्रभेदीय संकरों से विकसित किए गए एफ1 संकर संततियों का उद्विदीय एवं पैदावार घटक गुणों हेतु अध्ययन किया गया। एस 4897 (एस 2464 x एच डी टी.) सन्तति, उच्च उपजशक्ति, साफ कॉफी पैदावार (1817 कि ग्रा/हे) और किट्ट के प्रति क्षेत्र सहनशीलता के विषय पर उत्कृष्ट पाई गई।

सिलेक्शन 5 ए एवं अन्य लम्बे अरेबिका जैसे एच डी टी एवं सिलेक्शन 9के संकर संततियों में एस 4936 (सिलेक्शन 5ए x सिलेक्शन 8) ने बढ़त पैरामीटर्स, साफ कॉफी उपज (1671 कि ग्रा/हे) और पत्ती किट्ट के क्षेत्र सहनशीलता के संबंध में उत्कृष्ट कार्य निष्पादन रिकार्ड किया। अलग अलग संकर सन्ततियों में वांछित लक्षण गुणों के साथ बारह उत्कृष्ट पौधों को वर्तमान सीजन के दौरान स्वनिषेचित किया गया।

मूल्यांकन अधीन स्थित अर्धबौना केटीमोर, सार्चीमोर तथा एस 4180 के मध्य संकरित एफ1 संकर संततियों में, एस 4932 (बी बी टी सी केटीमोरxसर्चिमोर) की संतति ने उत्कृष्ट बढत पैरामीटर्स तथा 1378 कि ग्रा/हे का अधिकतम प्रक्षिप्त पैदावार रिकार्ड किया। एस 4933(सार्चिमोर x बी बी टी सी केटीमोर) की अन्योन्य सन्तति ने किट्ट के प्रति अधिकतम क्षेत्र सहनशीलता दर्शाई। इसके 8.98% पौधों में ही किट्ट का हल्का आपतन देखा गया।

पंद्रह अलग अलग अर्धबौना समपित्रैकों के स्वनिषेचित संततियों को पत्ती किट्ट के विरुद्ध क्षेत्र सहनशीलता जानने के लिए मॉनीटर किया गया। उनमें से सार्चिमोर लाइन (एस 4940) ने किट्ट के विरुद्ध उच्च क्षेत्र सहनशीलता दर्शाई। इसमें 17.34% संख्या में पौधों में पत्ती किट्ट की घटना बहुत कम थी और अधिकतम साफ कॉफी पैदावार 1643 कि ग्रा/हे देखा गया।

जर्मप्लाज्म लक्षणवर्णन और मूल्यांकन कार्यक्रम के अधीन, सी आर एस एस, चेट्टल्ली में स्थापित किए गए अरेबिका के विश्व संग्रह को पत्ती किट्ट एवं वाइट स्टेम बोरर के क्षेत्र घटना, पैदावार, फल एवं फली (बीन) पैरामीटर जानने के लिए मूल्यांकित किया गया। लक्षण रुपरेखा तथा महत्वपूर्ण कर्षण विशेषकों पर एक मोनोग्राम तैयार किया गया।

सी आर एस एस, चेट्टल्ली में स्थापित अरेबिका के बारह अन्तर प्रभेदीय एफ1 संकर संततियों का फल उपज, श्रेणी प्रतिशत तथा फली लक्षण को जानने के लिए मूल्यांकन किया गया। उत्कृष्ट निष्पादन दर्शाने वाले प्रवर पौधे जिनमें 1540 से 2178 कि ग्रा/हे की प्रक्षिप्त उपज प्राप्त हुई थी उनको दो आशाजनक संततियों एस 4877(एस 795x सिलेक्शन 9) एवं एस 4861(सिलेक्शन 6 x एस 795) में चिन्हित किया गया और आगे चयन एवं समुपयोजन हेतु स्वनिषेचित किया गया।

एस 4422 x एच डी टी संकर के एफ2 संतति के क्षेत्र निष्पादन का सी आर एस एस चेट्टल्ली में मूल्यांकन किया गया और उच्च उपज स्तर वाले (5 कि ग्रा फल/पौधा) तथा ए श्रेणी फलियों के उच्च प्रतिशतता (80%) प्रवर पौधों को स्वनिषेचित किया गया जिससे एफ3 संतति उत्पन्न किए जा सकें।

आर सी आर एस थाण्डीगुडी में कावेरी x सिलेक्शन 7.3, सिलेक्शन 5 बी सिलेक्शन 9, सिलेक्शन 5 बी x सिलेक्शन 7.3 और केटीमोर जैसे संकर संततियों से प्राप्त साफ कॉफी नमूनों की कप क्वालिटी का विश्लेषण किया गया। इन नस्लों में अधिकांश ने औसत से अच्छे कप के साथ 66 एवं उससे ऊपर तक कप वर्गक्रम प्राप्त किया।

सिलेक्शन 5 बीxसिलेक्शन 9 संतति के प्रवर पौधों के निष्पादन को आर सी आर एस थाण्डीगुडी में मॉनीटर किया गया। संतति ने तीन वर्ष के सतत उपज के साथ औसतन 1385.7 कि ग्रा/हे रिकार्ड किया और अच्छी पत्ती किट्ट सहनशीलता दर्शाई।

केटीमोर ए किस्म के पौधों के स्वनिषेचित संतति ने आर सी आर एस थाण्डीगुडी में 1281.7 कि ग्रा/हे (सात वर्ष) का औसत उपज रिकार्ड किया।

सिलेक्शन 5 ए तथा अन्य लम्बे अरेबिका यथा सिलेक्शन 4ए एवं सिलेक्शन 3.4 के बीच बने संकरों के एफ1 संततियों का क्षेत्र मूल्यांकन आर सी आर एस, आर वी नगर में जारी रखा गया। प्रवर पौधों को आगे मूल्यांकन हेतु एफ2 संततियां उत्पन्न करने के लिए चिन्हित एवं स्वनिषेचित किया गया।

आर सी आर एस, आर वी नगर एवं टी ई सी मिनीमुल्लूरु में स्थापित आशाजनक नस्लों के बृहद् (बल्क) परीक्षण प्लाटों को मॉनीटर किया गया। संततियों में एकरुपता का गुण देखा गया और उन्होंने सशक्त बढ़त दर्शाई। वे कॉफी पत्ती किट्ट से भी मुक्त थे।

रोबस्टा में उपज और क्वालिटी के लिए विषम रुप संकरों के विकास एवं मूल्यांकन की दिशा में, एस 274 एवं सी x आर के साथ प्रवर रोबस्टा के बीच किए गए अन्योन्य संकरों के एफ1 संततियों को आर सी आर एस, चुन्देल में स्थापित किया गया।

(पुलपल्ली संपर्क जोन के पेरीकल्लूर क्षेत्र से संग्रहित) रोबस्टा में सूखा सहनशीलता के लिए प्रजनन कार्यक्रम में सूखा सहनशील जड़ किस्मों यथा एस 1932 एवं एस 3399 के बीच संकरों को उत्पन्न किया गया और स्टेशन सिलेक्शनों एस 274 एवं सीxआर एवं एफ 1 संततियों को आर सी आर एस चुन्देल में स्थापित किया गया।

एस 880, एस 1932, एस 3399, डी आर-5 तथा दो स्टेशन प्रजनित रोबस्टा सिलेक्शन एस 274 एवं सीxआर के कृन्तक संततियों से क्षेत्र परीक्षण चलाया गया ताकि सूखा स्थिति को सहने में इनकी शक्यता का मूल्यांकन किया जा सके।

सूखा सहनशीलता के विभिन्न पैरामीटर्स के लिए बौने अरेबिका के मूल्यांकन करने हेतु, सीxआर बौना उद्वेदियों के तीन प्रकार के वियोक्ताओं से एकल गाँठ कलमों यथा बौना, अन्तस्थ, एवं सामान्य किस्म को जड़ गुण लक्षण एवं जल उपयोजन क्षमता की स्क्रीनिंग हेतु रोपित किया गया।

एस 274 रोबस्टा पौधों पर प्रारंभिक स्क्रीनिंग की गई ताकि एम्ब्रोसिया फफूँद के प्रति सहनशील पौधों की पहचान की जा सके। शॉट होल बोरर प्रतिरोध हेतु प्रजनन नीति बनाने के लिए ऐसा किया गया।

आनुवंशिक संकेतक विकसित करने के लिए, 111 एस एस आर प्राइमर्स के साथ संकर प्रजाति आवर्धन पर आँकडों को समेकित किया गया। परीक्षण किए गए 111 प्राइमरों में से 73% प्राइमर्स को कॉफी प्रजातियों के बीच कार्य करता पाया गाया जिसमें से 37% बहुरुपी थे, 20% एकरुपी थे तथा 16% केवल कुछ प्रजातियों में कार्य कर रहे थे। 27% प्राइमर्स आवर्धित ही नहीं हुए।

सीक्वेन्स रिलेटेड एम्पलीफाइड पॉलीमोर्फिज्म (एस आर ए पी) प्राइमर्स की स्क्रीनिंग जारी रखी गई और परीक्षित 375 प्राइमर संयोजनों में से 22 बहुरुपी पाए गए। इसके अलावा, 350 एस आर ए पी प्राइमर संयोजनों को 2 रोबस्टा कॉफी नमूनों में बहुरुपी की खोज करने में उनकी क्षमता जानने के लिए जाँचा गया। दो अरेबिका समपित्रैकों पर बहुरुपता के लिए 25 नए एस आर ए पी को स्क्रीन किया गया।

किट्ट प्रतिरोध हेतु बी ए 12412 के. के साथ एस सी ए आर आमपन और एस$_H$3 **जीन से जुडे एस ए टी 244 मार्कर्स को** एस$_H$3 से समयुग्मक पौधों के मार्कर्स असिस्टेड सिलेक्शन हेतु इस्तेमाल किया गया और उनका इस्तेमाल संजनन हेतु किया। एफ1 और एफ2 संकर संततियों से एस$_H$3 समयुग्मक पौधों को खोजने में भी इनका इस्तेमाल किया गया।

बीज उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम के तहत, 6978.5 कि ग्रा अरेबिका तथा 2011.5 कि ग्रा रोबस्टा को मिला कर कुल 8990 कि.ग्रा बीज पारम्परिक क्षेत्र के कॉफी उपजकर्ताओं को आपूरित किए गए। गैर पारम्परिक क्षेत्र में, कुल 4411.25 कि.ग्रा बीज जिसमें 4410.75 कि ग्रा अरेबिका और 0.5 कि ग्रा रोबस्टा जो आर सी आर एस, आर वी नगर तथा टी ई सी मिनीमुल्लूरु में उगाए गए थे, आई टी डी ए एवं अलग अलग उपजकर्ताओं को आपूरित किया गया।

4908 कि.ग्रा चन्द्रगिरी बीज तैयार किए गए और उन्हें विस्तरण कार्यालयों के जरिए कॉफी उपजकर्ताओं को अनुसंधान फार्म तथा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्रों में स्थापित बीज प्लाटों से वितरित किए गए।

सी सी आर आई, सी आर एस एस, चेट्टल्ली और आर सी आर एस, चुन्देल से सी x आर के 25,430 जड़दार कृन्तक आपूरित किए गए। आगे, उपजकर्ताओं को आपूरित करने के लिए, 22,000 जड़दार कृन्तक दृढ़ीकरण स्थिति में थे।

सी xआर के पहचाने गए (चयनित)प्रवर कृन्तकों सहित तीन वुड गार्डन आर सी आर एस, चुन्देल, टी ई सी, मानन्तवाड़ी एवं सी आर एस एस, चेट्टल्ली में रोपे गए ताकि कृन्तक संवर्धन हेतु ऊर्ध्वमुख मूलांकुर संग्रहित किया जा सके।

कॉफी पत्ती किट्ट पर आई सी ओ-सी एफ सी प्रायोजित बहु-देशीय परियोजना 31 मार्च 2013 को समाप्त हुई। इस परियोजना से सम्बन्धित समापन तथा प्रसारण कार्यशाला दिनांक 19 एवं 20 मार्च 2013 को येरकाड, तमिल नाडु में आयोजित हुई।

जैव प्रौद्योगिकी प्रभाग

एस$_H$3 जीन्स के लिए एस सी ए आर मार्कर्स के वैधीकरण के तहत एस 795 पर अनुरक्षण संजनन के लिए पत्ती किट्ट 1 एवं VIII को संरोपित किया गया। एस 795 के समयुग्मक पौधों को एस$_H$3 जीन्स के साथ सी आर एस एस चेट्टल्ली फार्म में कलमीकरण द्वारा स्थापित किया गया और बढ़त पैरामीटर्स तथा पत्ती किट्ट घटना को रिकार्ड किया गया।

भ्रूण संवर्ध तथा कायिक भ्रूणों को सिलेक्शन 9 एवं एस 795 समपित्रैकों के पत्र ऊतकों से परिप्रेरित एंव गुणित किया गया।

अलग अलग कृषि-जलवायवीय स्थानों में स्थापित एस 2800, एस 2794 एवं सीxआर समपित्रैकों के ऊतक संवर्धन परीक्षण प्लाटों से आकृतिमूलक एवं उपज आँकडे संग्रहित किए गए।

इंन्सेक्टिसाइडल क्रिस्टल प्रोटीन (आई सी पी), जो बेक्टेरियम बेसिलस थ्यूरिनजिएनसिस (बी टी) द्वारा उत्पन्न होता है, को कोडगु के एक एस्टेट के तेईस अरेबिका पौधों में लगाया गया ताकि उसकी जैव फलोत्पादकता की परीक्षा हो सके।

उप घटक 1.2

उन्नत मिट्टी स्वास्थ्य और प्रबन्धन प्रयासों के जरिए फसल उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकियाँ

फसल प्रबंधन

कृषि रसायन प्रभाग

एकीकृत पोषक प्रबन्धन पर बहु स्थानीय क्षेत्र प्रयोगों पर आँकडों ने दर्शाया कि शोधनों से स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा गया। केवल अजैविक स्रोतों के जरिए पोषकों की आपूर्ति या जैविक खादों और जैव उर्वरकों के साथ एकीकृत करते हुए उर्वरकों के कम खुराक से दिए गए पोषक तत्व अपर्याप्त हैं। सभी शोधन जैसे 100% अनुशंसित उर्वरक की खुराक, 70% रसायनिक उर्वरक तथा जैव उर्वरक ने उच्च उपज रिकार्ड किया पर एक दूसरे के समतुल्य बने रहे। जैव उर्वरक और जैविक खाद के साथ किए गए शोधनों में अणुजीवी जीवसंख्या उच्च थी और इसने यह दर्शाया कि मिट्टी जैव गुणों में सुधार हुआ।

मिट्टी भौतिक रसायनिक गुणों, अरेबिका कॉफी की उपज और क्वालिटी पर विभिन्न जैविक पोषक स्रोतों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किए गए क्षेत्र प्रयोग से प्राप्त आँकडों ने दर्शाया कि तरह तरह के शोधनों के कारण प्रमुख और सूक्ष्म पोषकों की स्थिति में सार्थक रुप से भिन्नता नहीं देखी गई। रसायनिक उर्वरकों में 50% की कटौती कर, फार्म यार्ड खाद, वर्मी कम्पोस्ट या कॉफी गूदा कम्पोस्ट जैसे विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक के प्रतिस्थापन ने पौधों में पोषक उपलब्धता को प्रभावित नहीं किया। नियंत्रण, जिसमें जैविकों का प्रयोग शामिल नहीं है की तुलना में जैविकों के भिन्न प्रकारों के प्रयोग को सूडोमोनास फ्लोरेसेंन्स, फोसफोरस विलयशील बैक्टेरिया और अजोसपिरिलम के उच्च कॉलोनी बनानेवाले इकाई के रुप में पाया गया। वर्ष के लिए निपज आँकडों ने भी वर्मी काम्पोस्ट के 50% के साथ अनुपूरित 50% रसायनिक उर्वरक को शामिल कर उपचार से नियंत्रण की अपेक्षा एक सांख्यिकीय सार्थक निपज सुधार को स्पष्ट रुप से इंगित किया।

विभिन्न क्षेत्रों के उपजकर्ताओं से प्राप्त कुल 8118 मिट्टी, 64 पत्ती और 844 कृषि रसायन नमूनों का विशलेषण कर सलाह दिए गए।

कॉफी के लिए मिट्टी सस्योत्पादन में कार्बन पृथक्करण पर भिन्न जैविक खादों के प्रभाव के अध्ययन के लिए सी सी आर आई, सी आर एस एस चेट्टल्ली और आर सी आर एस, थाण्डी गुडी के अनुसन्धान फार्मों में क्षेत्र प्रयोग किए गए।

क्षेत्र विशिष्ट पोषक प्रबन्धन पैकेज विकसित करने के लिए तमिल नाडू के कॉफी उपजने वाले मिट्टी के माध्यमिक और सूक्ष्म पोषण स्थिति पर डेटा बेस तैयार किया गया। तमिल नाडू के चुने गए कॉफी उपजने वाले प्रान्तों से संग्रहित 169 मिट्टी नमूनों में मेगनेशियम और जिंक अधिकतम सीमाकारी पोषक पाए गए।

सस्य विज्ञान प्रभाग

रोपण डिज़ाइन और कर्तन विधियों पर क्षेत्र प्रयोगों ने दर्शाया कि विभिन्न कर्तन उपायों में बिना शीर्षकर्तन के बहु तना पर हेज रो पद्धति (अन्तरण-लम्बी अरेबिका के लिए 6x3 और अर्ध बौना अरेबिका के लिए 5x3) प्रत्येक फसल कटाई के बाद चक्र कर्तन ने सार्थक रुप से उच्च क्लीन कॉफी निपज को रिकार्ड किया।

तीन प्रकार के कटाई मशीन यथा बैटरी संचालित कॉफी कटाई मशीन (आयातित और देशीय) और एक पेट्रोल इंजन संचालित बहु उद्देश्य कटाई मशीन का मूल्यांकन रोबस्टा कॉफी फलों का हाथ से कटाई (स्ट्रिपिंग) की तुलना में उनकी निपुणता के लिए किया गया। प्रति दिन कटाई किए गए पौधों की कुल संख्या और तोडे गए फलों की कुल संख्या बहु उद्देशीय कटाई मशीन की सहायता से अधिक थी। बैटरी चालित देशीय कटाई मशीन का निष्पादन इससे थोडा कम था।

बढ़े हुए कॉफी पौधों के कालर छँटाई(कर्तन) पर एक अध्ययन ने दर्शाया कि वाणिज्यिक रुप से उपलब्ध पेड़ कर्तन करने वाले मशीन को पौधों के कालर कर्तन (छंटाई करने) के लिए हस्त विधि की तुलना में और अधिक निपुणता से प्रयोग में लाया जा सकता है।

ब्रश कटर का प्रयोग करते हुए यांत्रिक खरपतवार नाश करना हाथ से खरपतवार नाश की तुलना में कहीं ज्यादा निपुण है। मानव दिवसों और प्रति इकाई क्षेत्र के कुल लागत के सन्दर्भ में यह निपुण है। यांत्रिक खरपतवार नाश में प्रति एकड प्रयुक्त कुल मानव दिवस 2.97 था जब कि हाथ से खरपतवार नाश में 7.01 दिन लगे।

टेलेस्कोपिक पोल प्रूनर को, छाँव उठाने के लिए हस्त विधि से 70% अधिक क्षम पाया गया। पोल प्रूनर का प्रयोग करते हुए छाँव उठाने हेतु प्रति पेड़ के लिए हुई लागत प्रति पेड 2.69 रू. थी जबकि हस्त विधि में यह 3.89 रू. प्रति पेड़ था।

मौसम पैरामीटर्स के सम्बन्ध में फसल व्यवहार के अध्ययन के लिए तीन अनुसन्धान स्टेशनों के चयनित अरेबिका एवं रोबस्टा किस्मों से निपज रिकार्ड किए गए। नशिकीट और रोगों के आपतन का भी रिकार्ड किया गया।

परम्परागत और गैर परम्परागत क्षेत्रों के कृषि मौसमी परिस्थितियों के अन्तर्गत स्थानिक रुप से उपलब्ध अवशिष्टों को कम्पोस्ट करने के उपयुक्त विधियों को मानकीकृत करने के लिए नए प्रयोग किए गए।

पौधा कायिकी प्रभाग

हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विषहरण के लिए किण्वाण्विक क्रिया कलाप का मूल्यांकन जो ऑक्सीकरण द्वारा क्षति से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है, से पता चला कि जब कभी भी पेरोक्साइड क्रिया कलाप उच्च था कैटालेस क्रिया कलाप निम्न था और विपरीत। कुल हाइड्रोजन पेरोक्साइड विषहरण अरेबिका किस्म चन्द्रगिरि में अधिक था।

युग्म प्रतीप संकर प्रजनन एस. 4932 (बी बी टी सीx सार्चिमोर) और एस 4933 (सार्चिमोर x बी बी टी सी) और उनके मूल एस 4202 (सार्चिमोर) और एस. 4754 (बी बी टी सी) का मूल्यांकन मानसून पूर्व अवधि के दौरान कायिकी और जैव रसायनिक प्राचलों के लिए किया गया। संकर एस 4933 को कायिकी रुप से अधिक सक्षम पाया गया।

जल छिड़काव की तुलना में सी सी आर आई में विकसित एक फार्मूलेशन लान्टाना केमरा पत्ती निस्सार + डी एम एस के छिड़काव ने चार महीने के उपचार के बाद पत्तों की संख्या (70.59%), कुल गांठ (102.49%), और फलन गांठों (25.97%), की संख्या को बढ़ाया। जबकि एक एकायत फार्मूलेशन "श्रेष्ठत्तम उगाओ" (ग्रो बेस्ट्) का फोलियर छिड़काव पत्तों, कुल गांठ और फलन गांठों को क्रमश: 16.34%, 11.94%, और 4.24%, बढ़ा सका।

सी आर एस एस, चेट्टल्ली में अरेबिका में फल सेट पर अध्ययनों ने दर्शाया कि यह अरेबिका किस्म चन्द्रगिरि में उच्चत्तम था उसके बाद एस. 795 और एस एल एन 9 में रोबस्टा कॉफी में फल सेट एस 274 में 53.57% और सी x आर में 54.26% था।

सी आर एस एस, चेट्टल्ली में अरेबिका और रोबस्टा कॉफी में फलों की बढ़त और विकास पर प्रेक्षण ने निम्न वृष्टि के कारण पिछले वर्ष की तुलना में अगस्त के पहले पखवाड़े तक कम ताजा भार को दर्शाया।

सी आर एस एस, चेट्टल्ली में एस एल एन 9, एस 795, एस 4864 (सीxआर और एस एल एन 12 के चतुर्गुणित जीन आकृति के बीच संकर) और भिन्न मिट्टी नमी क्षेत्रों में एक रोबस्टा सीxआर कल्टीवर्स जैसे कायिकी रुप से सक्षम जीन आकृतियों की पहचान ने जल दबाव परिस्थिति में सभी कल्टीवर्स में क्लोरोफिल अंश और कुल क्लोरोफिल तत्व में बढ़त को इंगित किया।

सी आर एस एस, चेट्टल्ली में भिन्न जीन आकृतियों में असमय फलों के गिरने के मूल्यांकन ने दर्शाया कि मानसून अवधि में फलों का गिरना 19.72% से 36.78% के बीच था। सबसे अधिक फलों का असमय गिरना एस 4857 में 36.78% था उसके बाद एस 4864 में 36.45% और एस 4862 में 35.63% था। एस.795 में निम्नतम 19.72% था उसके बाद एस 4860 में 22.51% और एस 4859 में 22.62% था। सबसे अधिक फलों का गिरना जून में था यद्यपि इस अवधि के दौरान वृष्टि निम्न थी।

नियंत्रण की तुलना में मासिक अन्तरालों में अगस्त और सितम्बर के दौरान 200 लीटर पानी में 4 लीटर के खुराक पर मेपीकत क्लोराइड (चमत्कार) का पर्णीय प्रयोग से फसल गांठ को 6.88%, प्रति प्रमूल कलियों की संख्या में 12.59% और प्रति फसल गांठ फलों की संख्या को 2.25%, सुधार दिया।

उप घटक 1.3

कॉफी के नाशिकीट और रोगों के प्रबन्धन के लिए पर्यावरण हितैषी उपायों का विकास

पौधा रोग विज्ञान प्रभाग

कर्नाटक और तमिल नाडू के विभिन्न कॉफी क्षेत्रों के किट्ट प्रजाति पेड़ पौधों को मानीटर करने के लिए अध्ययन को जारी रखा गया। आठ स्थानों में पैंतीस किट्ट भिन्नकों और 24 ए किस्म पौधों को किट्ट उपक्रमण के लिए आवधिक रुप से प्रेक्षण किया गया। कोडगू क्षेत्र में किट्ट भिन्नकों के तीन दुर्लभ कृन्तक अर्थात 681/7, 829/1 और 1621/13 ग्यारह वर्षों के बाद भी सभी तीन स्थानों में मुक्त रहे, जबकि अन्य सभी भिन्नकों को सुग्राही पाया गया।

अवधि के दौरान भिन्नीकृत छब्बीस किट्ट नमूनों में से सामान्य किट्ट प्रजाति अर्थात् I, VIII, XII, XXIII, XXXVII, XLI और विषालु जीन सहित नई किट्ट प्रजातियों को अलग किया गया।

चौदह नामोद्दिष्ट किट्ट प्रजाति और पहले से भिन्नीकृत पन्द्रह नई प्रजातियों का रख रखाव बोर्बोन कॉफी पौदों पर किया गया।

बारह वर्ष पुराना सात नए संकर एफ 2 सन्तति और सात वर्ष पुराना ग्यारह एफ1 संकरों को पत्ती किट्ट के क्षेत्र आपतन के लिए मूल्यांकित किया गया। एफ2 संकरों में से दो संकरों में किट्ट आपतन निम्न था। एफ1 सन्तति के विभिन्न संकरों में सबसे कम रोग आपतन एस. 4933 (1.93%), पर रिकार्ड किया गया जबकि अधिकतम रोग आपतन एस 4901 (16.38%) में रिकार्ड किया गया।

सी आर एस एस, चेट्टल्ली में, प्रेक्षित 10 नए संकरों में, किट्ट आपतन एस.4864 में शून्य था उसके बाद एस. 4862 (0.33%), एस. 4859 (4.06%), एस. 4858 (4.37%), एस.4856 (4.56%), एस. 4860 (5.79%), एस. 4857 (11.96%), एस. 4861 (12.76%), एस. 4863 (15.72%), और एस. 4864 (एस एल एन 4Xएस4179) (16.96%)।

किट्ट प्रतिरोधक और सहिष्णु (कल्टीवर्स को पहचानने के लिए सी आर एस एस, चेट्टल्ली के कॉफी जीन बैंक में छियत्तर विश्व संग्रहणों पर पत्ती किट्ट आपतन को रिकार्ड किया गया। विभिन्न संग्रहणों पर किट्ट आपतन 1 से 64% तक के दर पर था और कोई भी संग्रहण पूर्णत: पत्ती किट्ट के लिए प्रतिरोध नहीं था।

कॉफी पत्ती किट्ट के विरुद्ध सम्पर्क और सर्वांगीण फफूँदनाशी के साथ स्प्रे अनुसूची विकसित करने के लिए अध्ययन को अरेबिका कल्टीवर्स एस. 795 पर जारी रखा गया। मानसून पूर्व और मानसूनोत्तर अवधि में बोर्डो मिश्रण और मध्य मानसून के दौरान कोनटाफ (हेक्साकोनाजोल) का तत्स्थान स्प्रे प्राप्त करने वाले पौधों पर औसत किट्ट आपतन निम्नतम था।

बोर्डो मिश्रण स्प्रे के साथ कॉफी पत्ती किट्ट प्रबन्धन के लिए जैव-नियंत्रण एजेन्टों और वानस्पातिकों के प्रभाव की तुलना ने दर्शाया कि बोर्डो मिश्रण छिडकाए पौधों पर पत्ती किट्ट निम्नतम था उसके बाद बेसिलस ब्रेविस, सूडामोनास फ्लोरेसन्स, एन्टरोबेक्टर इन्टरमीडियस, नीम गूदा रस का निचोड और रीठा पाउडर घोल स्प्रे प्राप्त करने वाले पौधों पर।

अन्त: पात्र और क्षेत्र परिस्थितियों के अधीन बोरक्स और ज़िंक सल्फेट जैसे पर्णीय पोषकों के साथ कोन्टाफ (हेक्साकोनाजोल) की अनुकूलता पर एक प्राथमिक अध्ययन ने इंगित किया कि जिंक सल्फेट के साथ मिलाने पर कोन्टाफ घोल का पी एच अत्यधिक कम हो गया जबकि बोरक्स के साथ मिलाने पर यह बढ़ गया। कोन्टाफ के साथ जिंक सल्फेट और बोरक्स को मिलाने से अवक्षेप का निर्माण हुआ जिसने असंगतता को इंगित किया।

पर्णीय पोषकों के साथ हेक्साकोनाजोल का संयुक्त स्प्रे ने कोमल पत्तियों में झुर्रियाँ उत्पन्न की और बडे पत्तों पर भी क्लोरोटिक स्पॉट दिखाई दिए जो पादप विषालुता को दर्शाता है।

कीट विज्ञान प्रभाग

कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के प्रबन्धन के लिए क्रास वेन फेरामोन ट्रेप्स के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कॉफी उपजकर्ताओं को कम मूल्य पर प्रलोभन सहित 43473 ट्रेप्स सप्लाई किए गए।

दक्षिण भारत के अरेबिका कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के प्रभावी प्रबन्धन पर उपजकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए मिशन मोड कार्य कार्यक्रम का तीसरा फेज़ सितम्बर में आरम्भ किया गया। एक वर्ष की अवधि के लिए खेतों में काम करने हेतु छ: टीम गठित किए गए। पाँच टीम कर्नाटक में बोरर तीव्र क्रिया कलापों के स्थान में और एक को तमिल नाडू में भेजा गया। 3900 उपजकर्ताओं को लाभान्वित करते हुए कुल 162 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के प्रभावी प्रबन्धन के लिए उपलब्ध सभी बाधाओं के प्रयोग की विधि के प्रत्यक्ष प्रदर्शन के साथ कन्नड में एक डी वी डी फिल्म तैयार कर प्रमुख कॉफी उपजकर्ता संघ, अनुसन्धान स्टेशन और विस्तरण विभाग को वितरित किए गए। फिल्मी का तमिल भाषा में रुपान्तरण कर तमिल नाडू में प्रयोग के लिए रिलीज़ किया गया।

डी बी टी परियोजना के अन्तर्गत कार्य - कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के लिए अरेबिका कॉफी पौधा प्रतिरोधी का विकास जारी रहा । 616 बी टी विकृतियों/पृथक्कों को कृत्रिम खुराक देते हुए बोरर लार्वा के विरुद्ध विषालुता के लिए स्क्रीन किया गया। बोरर लार्वा के विरुद्ध क्रिया कलापों के साथ 11 पृथक्कों और 80 विकृतियों को देखा गया।

मेसर्स पेस्ट कंट्रोल (इण्डिया) लि. बेंगलूर के सहयोग से मादा लिंग फेरामोन की पहचान और समागम सफलता में उसकी भूमिका और कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर द्वारा पोषद पौधा चयन के लिए उत्तरदायी कैरोमन की पहचान परियोजना के अन्तर्गत पत्ती उत्पतों का प्रयोग करते एलेक्ट्रो एन्टेनोग्राम और विण्ड टनल ओलफाक्टोमीटर जैसे जैव निर्धारण किए गए। विण्डन टनल ओलफाक्टो-मीटर प्रयोगों में नर फेरामोन के लिए मादा प्रत्युत्तर लगभग 60% था जबकि उसने पत्ती उत्पत के साथ नर फेरोमोन के संयोग के लिए 80% प्रत्युत्तर दर्शाया।

भारतीय बागबानी अनुसन्धान संस्थान कार्षिक रुप से महत्वपूर्ण कीट राष्ट्रीय ब्यूरों और केला राष्ट्रीय अनुसन्धान केन्द्र और पेस्ट कन्ट्रोल इण्डिया जैव-नियंत्रण अनुसन्धान प्रयोगशालाओं जैसे आई सी ए आर संस्थानों को शामिल कर कॉफी व्हाइट स्टेम बोरर के प्रबन्धन के लिए पर्यावरण हितैषी पहुँच नामक एक बहु संस्थान सहयोग अनुसन्धान कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत बिना किसी अच्छे परिणाम के आई आई एच आर से सीलर-कम-हीलर, एन बी ए आई आई से एण्टोमोपैथोजेनिक फँगाई निर्माण और नैनो फेरोमोन्स के साथ प्रयोग किए गए।

कॉफी बेरी बोरर के आपतन की जांच करने के लिए कर्नाटक और केरल में उपजकर्ताओं को प्रलोभन के साथ 53735 ट्रेप्स सप्लाई किए गए। पिछले बर्षों में सप्लाई किए गए ट्रेप्स में प्रलोभन सामग्री को फिर से भरने के लिए 3180 लीटर प्रलोभन सप्लाई किया गया।

मूल उपज की आपूर्ति, आवधिक संदर्शन और क्वालिटी मूल्यांकन के द्वारा कॉफी बेरी बोरर का एक प्राकृतिक नियंत्रण एन्टोमोपैथोजेनिक फफूंदी बेवेरिया बासियाना के फार्म पर उत्पादन को एस्टेट स्तर पर प्रोत्साहित किया गया। 318 कि ग्रा चावल उपज और 16.7 लीटर तरल उपज सप्लाई किए गए।

कॉफी मिली बग के जैव नियंत्रण के लिए जीव्याभ लेप्टोमास्टिक्स डेक्टीलोपाई को पाला गया और वायनाड, नेलियमपती और कोडगू क्षेत्रों के उपजकर्ताओं को 47,350 परजीव्याभ, सप्लाई किए गए।

उप-घटक 1.4

कॉफी की क्वालिटी को बढ़ाने और कॉफी निस्सार प्रदूषण उपशमन हेतु प्रौद्योगिकी

क्वालिटी प्रभाग

विश्लेषिक प्रयोगशाला, बेंगलूर

एक इन्सटेन्ट, एक आर एण्ड जी कॉफी और तेरह हरी, मानसूनीकृत कॉफी नमूनों को शामिल कर पन्द्रह कॉफी नमूनों को ओक्राटॉक्सिन-ए (ओ टी ए) संदूषण की उत्पति के लिए परीक्षित किया गया। परीक्षित सभी कॉफी नमूनों में संदूषण का स्तर बी डी एल-3.78 पी पी बी के दर में था । यह इंस्टेंट कॉफी में 0.92 पी पी बी और भुनी एवं पिसी नमूनों में 0.30 था।

व्यापारियों से प्राप्त दो इन्स्टेंट कॉफी, अठारह हरी कॉफी, आठ भुनी एवं पिसी कॉफी और तीन भुनी एवं पिसी कॉफी चिकोरी नमूनों को शामिल कर सताईस कॉफी नमूनों का विश्लेषण विभिन्न पी एफ ए पैरामीटर्स के लिए किया गया। परिणामों ने इंगित किया कि सभी नमूने पी एफ ए द्वारा निर्धारित सीमा के अन्दर थे।

संसाधकों/व्यापारियों/निर्यातकों/अनुसन्धान से प्राप्त 57 डिजिटल, 37 सिनर और चार कप्पा माइश्चर मीटर को शामिल कर कुल 98 माइश्चर मीटर को हरी कॉफी नमूनों में नमी स्तर के यथार्थ माप के लिए अनुसंशोधित किया गया और सम्बन्धित उपयोक्ता को रिपोर्ट भेजा गया।

आई सी ओ/सी एफ सी परियोजना के अन्तर्गत कॉफी अनुसन्धान उप स्टेशन, चेट्टल्ली से प्राप्त अडतीस हरी कॉफी नमूनों का विश्लेषण कैफीन तत्व के लिए किया गया। आंकडे ने इंगित किया कि परीक्षित नमूनों में कॉफी तत्व 1.18 से 2.07% तक के दर में थे।

क्वालिटी मूल्यांकन केन्द्र, बेंगलूर

निर्यातकों, उपजकर्ताओं और व्यापारियों से प्राप्त 293 वाणिज्यिक नमूनों और अनुसन्धान स्टेशनों से प्राप्त 145 अनुसन्धान नमूनों को शामिल कर 438 कॉफी नमूनों का मूल्यांकन कायिक और स्वाद क्वालिटी प्राचलों के लिए किया गया।

कॉफी क्वालिटी प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम को पूरा गया। 2011-12 बैच के पाँच छात्रों ने पाठ्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा किया। 2012-13 बैच में सात छात्रों ने प्रवेश लिया है।

काप्पी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत कॉफी भूनने, पीसने और पैकेजिंग में नवीनतम प्रौद्योगिकियों और अच्छी क्वालिटी कॉफी बनाने के लिए तकनीकों पर जागरुकता लाने के लिए 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें पचास लोगों ने भाग लिया।

कप्पिंग रिटेल, बिक्री करने और अच्छी कॉफी कप बनाने पर चार एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे 179 लोग लाभान्वित हुए।

नई प्रजनन नस्ल से कॉफी नमूनों को क्वालिटी विशेषता के लिए मूल्यांकित किया गया। पौधा प्रजनन प्रभाग से प्राप्त कुल 56 नमूनों को भुनाई के विभिन्न तापमानों पर कप्पिंग किया गया और प्रोफाइल प्रलेखित किए गए।

एम एस रामय्या कॉलेज, बेंगलूर के होटल मैनेजमेन्ट के अन्तिम वर्ष के छात्रों और वायनाड़, केरल के कॉफी उपजकर्ता संघ के सदस्यों के लाभ के लिए दो क्वालिटी जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

द फ्लेवर ऑफ इण्डिया-द फाइन कप अवार्ड-कप्पिंग प्रतियोगिता 2012 के अन्तर्गत 219 नमूनों में से 39 नमूनों को अन्तरर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा कप्पिंग के अन्तिम राउण्ड के लिए चुना गया। अन्तिम कप्पिंग सत्र का आयोजन मेलबोर्न अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी एक्स्पो, आस्ट्रेलिया से पहले मेलबोर्न में 3 मई 2012 को हुआ।

द फ्लेवर ऑफ इण्डिया-फाइन कप अवार्ड-कप्पिंग प्रतियोगिता 2013 के लिए 221 कॉफी नमूने प्राप्त हुए जिनमें से 40 नमूनों को एस सी ए ई के वार्षिक सम्मेलन और प्रदर्शनी से पहले नाइस, फ्रांस में होने वाले कप्पिंग के अन्तिम राउण्ड के लिए चुना गया ।

कॉफी संसाधन मशीनरी हेतु समर्थन योजना के अन्तर्गत उपदान प्रदान करने के लिए 14 रोस्टिंग यूनिट का निरीक्षण किया गया।

कुशालनगर में स्थित मेसर्स लूइस ड्रेफस कमोडिटिज़, बेंगलूर के एक क्यूरिंग वर्क्स का निरीक्षण क्यूरिंग लाइसेंस के अनुमोदन/नवीनीकरण के लिए किया गया।

नौ घरेलू कॉफी संवर्धन कार्यक्रमों में बोर्ड की सहभागिता के लिए प्रदर्शन हेतु कॉफी के निर्यात योग्य श्रेणी के साथ-साथ भुने बीज भी दिए गए।

राजस्थन के जोधपुर, तमिल नाडू के कुन्नूर और हरियाणा के सूरजकुण्ड में तीन घरेलू व्यारपार मेलों/प्रदर्शनियों में क्वालिटी प्रभाग के कार्मिकों ने भाग लिया।

भुनी एवं पिसी कॉफी नमूने, उपहार बक्से और निर्यात योग्य श्रेणी के कॉफी पाउडर और बीजों को गीडा विश्व खाद्य इस्तानबुल 2012, टर्की, जापान में इण्डिया शो, ग्रीष्म ओलम्पिक्स, लन्दन, इटली में ट्रियस्टी कॉफी मेला, यूक्रेन में विश्व खाद्य, दुबई में गल्फुड दुबई, राष्ट्रीय कॉफी संघ बैठक, सैन फ्रैंसिस्को, सियोल, कोरिया में मैन केफे शो-2012, ताईपी में अन्तर्राष्ट्रीय चाय व कॉफी एकस्पो और दावोस, स्वीट्ज़रलैण्ड में इण्डिया अड्डा/विश्व आर्थिक फोरम को भेजा गया ।

क्वालिटी प्रभाग से कार्मिक ओरेगॉन, मेलबोर्न, वियन्ना, लन्दन, टोक्यो, सियोल और दावोस में आयोजित सात अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में सम्मिलित हुए ।

✦ ✦ ✦

अध्याय - V

विस्तरण तथा विकास

क) परम्परागत क्षेत्र :-

परंपरागत कॉफी उगाने वाले क्षेत्र में तीन दक्षिणी राज्य आते हैं यथा कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। परम्परागत क्षेत्र में कॉफी अधीन कुल क्षेत्र 3,47,236 हेक्टर है जो देश के कुल कॉफी अधीन क्षेत्र 4,15,341 हेक्टर का 84 प्रतिशत है। परम्परागत क्षेत्र में कुल जोतों की संख्या 1,64,479 है जो कि देशभर के 2,90,918 जोतों का लगभग 57% है।

परम्परागत क्षेत्र में कॉफी अधीन क्षेत्र :-

वर्ष 2012-13 के दौरान 3 परम्परागत कॉफी उगाने वाले राज्यों में रोपित क्षेत्र, फलन क्षेत्र और जोतों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

राज्य	रोपित क्षेत्र(हे)			फलन क्षेत्र(हे)			जोतों की संख्या		
	अरेबिका	रोबस्टा	योग	अरेबिका	रोबस्टा	योग	<10हे	>10हे	योग
कर्नाटक	109003	121330	230333	100323	113063	213386	69367	2005	71372
केरल	4175	81184	85359	3865	80548	84413	77110	275	77385
तमिलनाडु	25939	5605	31544	24461	5535	29996	15379	343	15722
परम्परागत क्षेत्र का योग	**139117**	**20819**	**347236**	**128649**	**199146**	**327795**	**161856**	**2623**	**164479**

2012-13 के लिए मौसम परिस्थिति और फसल उत्पादन :-

अधिकांश कॉफी उगाने वाले क्षेत्रों में मार्च-अप्रैल 2012 के दौरान समय पर और पर्याप्त मात्रा में हुए पुष्पण और समर्थन फुहारों के कारण 2012-13 सीजन के लिए अच्छा पुष्पण और फसल सेट हुआ। मौसमीय स्थिति और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व मानसून अवधि के दौरान हुई वर्षा फसल विकास के लिए अनुकूल साबित हुई।

समग्र स्थिति और फसल प्राप्ति पर विचार करते हुए, परम्परागत क्षेत्र के लिए 2012-13 सीजन के लिए अंतिम फसल प्राक्कलन 3,11,795 मेट्रिक टन रखा गया है जिसमें 92,300 मे.टन अरेबिका और 2,19,495 मे.टन रोबस्टा शामिल है। राज्य वार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(मात्रा मे. टन में)

राज्य	उत्पादन प्राक्कलन		
	अरेबिका	रोबस्टा	योग
कर्नाटक	77,425	1,52,800	2,30,225
केरल	2,075	62,125	64,200
तमिलनाडु	12,800	4,570	17,370
परम्परागत क्षेत्र का योग	**92,300**	**2,19,495**	**3,11,795**

नाशिकीट और रोग :-

अरेबिका का प्रमुख नाशिकीट वाईट स्टेम बोरर की भरमार कम वृष्टिपात जोन और स्थानीय क्षेत्रों को छोडकर सामान्यतया धीमी रही। अधिकांश कॉफी उगाने वाले इलाकों में कॉफी बेरी बोरर की भरमार भी धीमी रही। अन्य नाशिकीटों की भरमार जैसे रोबस्टा में शॉट होल बोरर और चूषक कीट सामान्यतः कम स्तर पर थे।

रोगों में, अरेबिका का प्रमुख रोग, पत्ती किट्ट रोग की घटना का स्तर धीमे से मध्यम के बीच रहा। उच्च उन्नतांश एवं भारी वृष्टिपात क्षेत्रों में स्थित कॉफी बागानों में सामान्यतया देखा जाने वाला ब्लैक रॉट रोग कम रहा। कॉफी में अपक्षय (डाय बैक) और जड़ रोगों की भरमार कम स्तर पर थी।

विस्तरण एवं विकास क्रिया कलापों का अनुश्रवण और समीक्षा :-

- सम्पूर्ण विस्तरण विभाग अनुसंधान निदेशक, सी सी आर आई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आता है।
- सचिव, कॉफी बोर्ड, विकास समर्थन स्कीम के कार्यान्वयन की देखरेख करते हैं।
- हासन स्थित संयुक्त निदेशक (विस्तरण) कर्नाटक के चार उप निदेशक (विस्तरण), सात वरिष्ठ संपर्क अधिकारी और सभी कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के विस्तरण/विकास क्रियाकलापों की देखरेख करते हैं।
- कलपेट्टा स्थित संयुक्त निदेशक (विस्तरण) दो उप निदेशक (विस्तरण), आठ वरिष्ठ संपर्क अधिकारी और केरल और तमिल नाडु के सभी कनिष्ठ संपर्क अधिकारियों के विस्तरण क्रियाकलापों की देखरेख करते हैं।

विस्तरण क्रियाकलापः

कॉफी कर्षण के वैज्ञानिक तरीकों पर ज्ञान एवं कुशलता में सुधार लाने की मंशा से प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु बोर्ड के विस्तरण कार्मिकों ने कॉफी उपजकर्ताओं के साथ मेल जोल बनाए रखा। सामान्यतः उपजकर्ता और विशेषकर छोटे उपजकर्ताओं को प्रौद्योगिकी के अन्तरण हेतु विविध व्यक्तिगत और सामूहिक विस्तरण दृष्टिकोण और साधनों का प्रयोग किया गया। इसके साथ साथ कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी में सुधार करने के लिए विकास समर्थन भी दिए गए।

इस सम्बन्ध में अवधि के दौरान किए गए कार्यकलाप और प्रयुक्त हुए केन्द्रित पहुँच सिद्धांतों में व्यक्तिगत सम्पर्क, कॉफी जोतों का संदर्शन, प्रेक्षणों एवं सुझावों को पुष्ट करने हेतु सलाहकारी पत्र जारी करना, संक्रियाओं को प्रभावी रूप से संपन्न करने की कुशलता में सुधार लाने लिए पद्धति निरूपण/फार्म पर निरूपण आयोजित करना, ग्राम स्तर/सामूहिक बैठकें एवं सेमीनार, समूह संचार/संपर्क कार्यक्रम, मीडिया मुहिम और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं जिससे कॉफी उपजकर्ता और कामगारों में दक्षता और ज्ञान के स्तर में उन्नति लाई जा सके।

विस्तरण कार्मिकों ने नाशिकीट एवं रोगों की भरमार का प्रबन्धन एवं अनुश्रवण, फसल का आवधिक मूल्यांकन, बीज कॉफी के प्रापण एवं वितरण आदि क्रिया कलाप चलाए। वर्ष के दौरान चलाए गए विभिन्न विस्तरण क्रिया कलापों का सार निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	क्रिया कलाप	उपलब्धियाँ (सं.)
1.	एस्टेट भेंट	23277
2.	क्षेत्र निरूपण	5738
3.	सलाहकारी पत्र	2404
4.	समूह बैठकें/सेमीनार/ग्राम स्तरीय बैठकें	138
5.	समूह संचार/संपर्क कार्यक्रम	20
7.	मीडिया मुहिम	69
8.	प्रौ.मू. केन्द्रों में कॉफी कर्षण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	1477
9.	महिला कामगारों/उपजकर्ताओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	804

समूह संचार कार्यक्रम :-

प्रमुख नाशिकीट और रोगों के एकीकृत प्रबन्धन पर छोटे कॉफी उपजकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए कुल 14 समूह संचार कार्यक्रम चलाए गए। पारम्परिक क्षेत्र के विभिन्न जोन में इन कार्यक्रमों के तहत लगभग 917 छोटे उपजकर्ताओं को शिक्षित किया गया।

समूह संपर्क कार्यक्रम :-

परम्परागत क्षेत्र के विभिन्न कॉफी उगाने वाले प्रदेशों में छः समूह संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए ताकि कॉफी कर्षण के उन्नत पद्धतियों पर छोटे उपजकर्ता समूह को शिक्षित किया जा सके। इन कार्यक्रमों में बहुत से क्रियाकलाप सम्मिलित किए गए यथा, अलग अलग एस्टेटों से मिट्टी नमूना इकट्ठा करना, इन नमूनों का विश्लेषण करना और मिट्टी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर मिट्टी सुधार उपाय तथा खाद प्रयोग करने की मात्रा तय करने की योजना बनाना आदि। इसके अलावा, वैज्ञानिकों एवं विस्तरणकर्ताओं से गठित एक टीम ने एस्टेटों का दौरा किया और कॉफी जोतों के समग्र उन्नति हेतु मूल्यांकन किया और परामर्श दिए। कार्यक्रम के एक भाग के रुप में उस क्षेत्र के उपजकर्ताओं के साथ अन्तर संवाद बैठक हुई। ऐसे छः समूह संचार कार्यक्रम के तहत 777 उपजकर्ताओं को सम्मिलित किया गया।

प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र (टीईसी) :-

परंपरागत क्षेत्रों के अलग अलग कृषि जलवायवीय स्थितियों में स्थापित किए गए 10 प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्रों(टी ई सी)ने कार्य करना जारी रखा और उत्पादन तथा उत्पादकता में उन्नति लाने के लिए प्रत्येक टी ई सी के लिए बनाए गए वार्षिक कार्य योजना के अनुसार समय पर कर्षण संक्रिया को चलाए रखा। ये प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र (टी ई सी)क्षेत्र/स्थान विशिष्ट कृषिकर्म प्रणालियों द्वारा विभिन्न पौधा सामग्रियों के निष्पादन के मूल्यांकन केन्द्र और साथ में प्रशिक्षण तथा बीज उत्पादन केन्द्रों के रूप में कार्य करते रहें।

प्रौ. मू. केन्द्रों में फील्ड डे :-

टी ई सी अरसिनगुप्पे,चिकमगलूर,कर्नाटक में 10.01.2013 को एक फील्ड डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 900 उपजकर्ताओं ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों के दौरान क्षेत्र संदर्शन, तकनीकी कार्यशाला और एस्टेट संक्रिया में उपयोगी मशीनरियों का प्रदर्शन सह निरुपण आयोजित किए गए।

विकास समर्थन योजना :-

बोर्ड के विस्तरण कार्मिक,विकास समर्थन स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपदान आवेदन पत्रों/दावों के पंजीकरण, जाँच, क्रिया-पद्धति एवं संवितरण के कार्य में लगे रहे। कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता और गुणता (क्वालिटी)में उन्नति लाने के लिए पुनःरोपण, जल आवर्धन, गुणता उन्नयन और प्रदूषण उपशमन कार्यों को संचालित करने की दिशा में पारम्परिक क्षेत्र के कॉफी उपजकर्ताओं को उपदान दिए गए।

भारत सरकार ने, विद्यमान लागत मानदण्डों, व्यय के पैटर्न के अनुसार XI योजना स्कीम को, XII योजना अवधि के पहले वर्ष के दौरान अर्थात 2012-13 में जारी रखने हेतु अपने अनुमोदन से अवगत कराया है 2012-13 के दौरान विस्तारित किए गए विभिन्न घटकों के लिए विवरण और उपदान का पैमाना निम्नानुसार है :-

1 पुनः रोपण :- संघटित क्षेत्रों और सहकारी जोतों को छोड़कर जोतों के आकार को ध्यान में रखे बिना उपदान के लिए पात्र एकैक कॉफी उपजकर्ताओं को यह उपदान दिया गया। स्कीम के प्रयोजनार्थ विचार किया गया इकाई लागत अरेबिका के मामले में 1,00,000.00/-रू प्रति हेक्टर तथा रोबस्टा के मामले में 70,000.00/-रू प्रति हेक्टर था। उपदान का पैमाना जोत के आकार के अनुसार बदल जाता था; कॉफी क्षेत्र (i) 2 हेक्टर जोत आकार के मालिक उपजकर्ता को इकाई लागत का 40%(ii)2 हेक्टर जोत आकार से अधिक और 10 हेक्टर तक के मालिक उपजकर्ता को इकाई लागत का 30%और (iii)10 हेक्टर से ज्यादा जोत के मालिक उपजकर्ता को 25% देने का प्रावधान है।

2 जल आवर्धनः- 20 हेक्टर तक जोत के उपजकर्ता और उपदान के लिए पात्र एकैक उपजकर्ताओं को जल आवर्धन के तहत भिन्न कार्यों के लिए इकाई लागत के 25%की दर से उपदान दिया गया। भिन्न क्रियाकलापों के लिए निर्धारित की गई इकाई लागत जोत के आकार के अनुसार बदलती है और प्रति जोत 27,000.00 से 5 लाख रुपए के बीच रहती है।

3 गुणता (क्वालिटी) उन्नयन:- 20 हेक्टर तक जोत के उपजकर्ता और उपदान के लिए पात्र एकैक उपजकर्ताओं को गुणता उन्नयन के तहत भिन्न कार्यों के लिए इकाई लागत के 20%की दर से उपदान दिया गया। भिन्न क्रियाकलापों के लिए निर्धारित की गई इकाई लागत जोत के आकार के अनुसार बदलती है और प्रति जोत 25,000.00 से 4.5 लाख रुपए के बीच रहती है।

4 प्रदूषण उपशमन : प्रदूषण उपशमन कार्य करने के लिए 20 हेक्टर तक जोत के उपजकर्ताओं को इकाई लागत के 20%की दर से उपदान दिया गया। भिन्न क्रियाकलापों के लिए निर्धारित की गई इकाई लागत जोत के आकार के अनुसार बदलती है और प्रति जोत 4,000.00 से 4 लाख रुपए के बीच रहती है।

वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यों के तहत प्रत्यक्ष उपलब्धियां निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	घटक	लाभानुभोगियों/इकाईयों की संख्या	लाभान्वित क्षेत्र हे.में
1.	पुनः रोपण	1567	3120
2.	जल आवर्धन	4153	12366
3.	गुणता उन्नयन	2973	10712
	योग	**8693**	**26198**

कॉफी एस्टेट संक्रिया के मशीनीकरण हेतु समर्थन :-

इस स्कीम का उद्देश्य, विशेषकर फार्म श्रमिकों की कमी के सन्दर्भ में सम्बन्धित महत्वपूर्ण फार्म संक्रियाओं को समय पर दक्षतापूर्वक करने में तथा उत्पादन और प्रभाविता को सुधारने के लिए फार्म मशीनरी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कॉफी उपजकर्ताओं को समर्थन देना है।

विभिन्न आकार वाले जोतों और स्व स स/उपजकर्ता समष्टियों के लिए प्रयोज्य उपदान के पैमाने निम्नानुसार हैं।

जोतों की श्रेणी	उपदान का पैमाना
20 हे. तक के उपजकर्ता	50% बशर्ते 2.00 लाख रूपयों की सीलिंग
20 हे. से ज्यादा के उपजकर्ता	25% बशर्ते 4.50 लाख रूपयों की सीलिंग
स्व स स/उपजकर्ता समष्टि	50% बशर्ते 5.00 लाख रूपयों की सीलिंग

इस स्कीम के तहत 2012-13 के दौरान 5920 मशीनरी के लिए समर्थन दिया गया जिससे 3714 उपजकर्ता लाभान्वित हुए।

ख.गैर-परम्परागत क्षेत्र (एन टी ए)(आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा) :-

ख)आन्ध्र प्रदेश (आ प्र)एवं ओडिशा राज्यों में कॉफी कर्षण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करने के लिए 1950 के प्रारंभिक वर्षों में कॉफी बोर्ड ने एक तकनीकी साध्यता सर्वेक्षण चलाया । सर्वेक्षण रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के आधार पर, आन्ध्र प्रदेश के वन विभाग ने 1961 में विशाखापट्टनम के एजेन्सी क्षेत्रों में पहली बार वाणिज्यिक कॉफी कर्षण शुरु किया। इन बागानों को बाद में इनके उचित रखाव हेतु आन्ध्र प्रदेश वन विकास निगम लि. (ए पी एफ डी सी) को सौंप दिया । 1976 में, एकीकृत जनजाति विकास अभिकरण (आई टी डी ए) ने एक विकास पहल के रुप में कॉफी की शुरुआत की। गैर पारम्परिक क्षेत्र में कॉफी फार्मिंग की सम्भाव्यता को समझते हुए कॉफी बोर्ड ने IX पंचवर्षीय योजना के बाद से आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में कॉफी विकास के लिए अपने समर्थन को क्रियान्वित किया।

गै प क्षे में क्षेत्र का वितरण

आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा में कॉफी अधीन क्षेत्र और जोतों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :

राज्य	रोपित क्षेत्र (हे)			फलन क्षेत्र (हे)			जोतों की संख्या		
आन्ध्रप्रदेश	अरेबिका	रोबस्टा	योग	अरेबिका	रोबस्टा	योग	<10 हे	>10 हे	योग
मिनीमुलूरू	25582	1	25583	17860	1	17861	61281	1	61282
चिन्तापल्ली (पू)	9467	181	9648	6687	181	6868	16244	2	16246
चिन्तापल्लीप (प)	13436	86	13522	10779	86	10865	18014	2	18016
अरक्कूवेली	9378	0	9378	7072	0	7072	20338	1	20339
योग	57863	268	58131	42398	268	42666	115877	6	115883
ओडिशा		-							
कोरापुट	3935	0	3935	3049	0	3049	2525	20	2545
योग	3935	0	3935	3049	0	3049	2525	20	2545
महायोग	**61798**	**268**	**62066**	**45447**	**268**	**45715**	**118402**	**26**	**118428**

मौसम परिस्थिति और फसल उत्पादन :-

आन्ध्र प्रदेश में 2012-13 सीजन के दौरान कॉफी के विकास के लिए मौसम संतोषजनक और अनुकूल रहा। अप्रैल 2012 के पहले पखवाड़े में पुष्पण फुहार हुई तथा उसके बाद अप्रैल 2012 के दूसरे पखवाड़े के दौरान समर्थन फुहारें हुई। इससे सन्तोषजनक पुष्पण और फलों की सेटिंग हुई। जून 2012 में जमा मॉनसून बड़ा सक्रिय रहा। पूरे सीज़न में वृष्टिपात का वितरण संतोषजनक था।

ओडिशा में, 2012-13 सीजन के दौरान कॉफी के विकास के लिए मौसम संतोषजनक और अनुकूल था। मार्च 2012 के दूसरे पखवाड़े के दौरान पुष्पण फुहारें हुई और उसके बाद अप्रैल 2012 में फुहारें हुई। मानसून जून 2012 में सेट हुआ और पूरे सीजन में वृष्टिपात का फैलाव संतोषजनक था।

सम्पूर्ण परिस्थिति और फसल प्राप्ति पर विचार करते हुए 2012-13 सीजन के लिए गै प क्षे हेतु कॉफी का अंतिम प्राक्कलन 6230 मे.टन था जिसमें 6200 मे. टन अरेबिका और 30 मे.टन रोबस्टा शामिल है।

नाशिकीट और रोग :-

वर्ष 2012-13 के दौरान नाशिकीट और रोग की किसी प्रमुख उद्रेक की रिपोर्ट नहीं आई। अरकूवेली और मिनीमुलूरू के क्षीण छाया वाले कुछ क्षेत्रों में ग्रीन स्केल की घटना रिपोर्ट की गई। ओडिशा में, कॉवेरी जैसे संवेदी किस्मों में पत्ती किट्ट की घटना मध्यम स्तर की पाई गई ।

विस्तरण क्रिया कलाप :-

आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा के विस्तरण कार्मिकों द्वारा लिए गए विस्तरण क्रियाकलाप कुछ निर्दिष्ट कार्यों पर केन्द्रित थे। वे थे सम्पर्क एवं कॉफी जोतों की किए गए अनुवर्ती दौरों के जरिए प्रौद्योगिकी का अन्तरण, क्षेत्र निरूपणों का आयोजन, सामूहिक विचार विमर्श, सलाहकारी पत्र जारी करना ताकि जनजाति सेक्टर में कॉफी के उत्पादन, उत्पादकता और क्वालिटी में सुधार हो।

वर्ष 2012-13 के दौरान गैर परम्परागत क्षेत्र में किए गए विभिन्न विस्तारण क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :-

क्रिया कलाप	उपलब्धियां (सं)
एस्टेट संदर्शन	4296
विधि निरुपण	1136
सम्बोधित समूह बैठकें	347
परम्परागत कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में अध्ययन दौरा	36
क्वालिटी जागरुकता मुहिम	795

प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र (टी ई सी) :-

गैर परम्परागत क्षेत्र में कार्यरत दो प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र एक मिनीमुलूरू (आन्ध्र प्रदेश) और दूसरा कोरापुट (ओडिशा) में है। ये दोनों फार्म, बीज कॉफी के उत्पादन केन्द्रों के रूप में कार्य करने के अलावा निरूपण सह प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करते रहे।

मिनी कॉफी क्यूरिंग वर्क्स :-

2004-05 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के चिन्तापल्ली में स्थापित मिनी कॉफी क्यूरिंग वर्क्स ने आन्ध्र प्रदेश के जन जाति उपजकर्ताओं द्वारा पूलित कच्ची कॉफी के संसाधन को जारी रखा।

गैर परम्परागत क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम :-

वर्ष 2012-13 के लिए गैर पारम्परिक क्षेत्र में कार्यान्वित विभिन्न उपदान स्कीम के अधीन प्रत्यक्ष उपलब्धि निम्नानुसार है :-

क्रियाकलाप	क्षेत्र/इकाई
कॉफी विस्तारण (क्षे.हे.में)	3,403
क्वालिटी उन्नयन	
क) सुखाने के यार्ड (इकाई संख्या)	519

ग.पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) :-

असम के कचर जिले में वर्ष 1953 में कॉफी कर्षण का आरंभ किया गया। कॉफी विस्तरण कार्यक्रम प्रारम्भिक रुप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के निगमों द्वारा किया गया था। क्यों कि कर्षण प्रोत्साहजनक था इसलिए कॉफी बोर्ड ने 1982-1990 के दौरान एक बृहत सर्वेक्षण चलाया और उ पू क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में कॉफी कर्षण हेतु उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान की। इसके बाद, IX योजना अवधि (1997-2002)के बाद से कॉफी विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से बोर्ड सीधे जुड़ गया।

उ पू क्षे में क्षेत्र का वितरण :

पूर्वोत्तर राज्यों में कॉफी अधीन क्षेत्र और जोतों की संख्या को बताता विवरण निम्नानुसार है :-

संपर्क क्षेत्र/राज्य	रोपित क्षेत्र (हे)			फलन क्षेत्र (हे)			जोतों की संख्या		
	अरेबिका	रोबस्टा	योग	अरेबिका	रोबस्टा	योग	<10 हे	>10 हे	योग
अरूणाचल प्रदेश	0	203	203	0	154	154	166	2	168
असम	595	358	953	385	305	690	895	3	898
मणिपुर	197	0	197	20	0	20	174	0	174
मेघालय	299	369	668	216	199	415	980	0	980
मिजोरम	1877	4	1881	614	3	617	3564	3	3567
नागालैंड	1563	196	1759	600	50	650	1467	1	1468
त्रिपुरा	329	49	378	200	49	249	756	0	756
योग	**4860**	**1179**	**6039**	**2035**	**760**	**2795**	**8002**	**9**	**8011**

मौसम परिस्थिति और फसल उत्पादन :

पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य जलवायु ज्यादातर सुस्पष्ट लक्षणों सहित उष्णकटिबन्धीय एवं उप उष्णकटिबन्धीय थी जिसमें लम्बे दिन,उच्च वृष्टिपात, दैनिक तापमान में बदलाव इत्यादि अनुभव हुए। परन्तु, पूर्वोत्तर क्षेत्र में बारिश ने कॉफी कर्षण में कोई सीमित करने वाला प्रभाव नहीं डाला।

नाशिकीट और रोग :-

सामान्यतः कुछ जगहों में वाइट स्टेम बोरर और पत्ती किट्ट के हल्के आपतन को छोड़कर पूर्वोत्तर क्षेत्र के कॉफी एस्टेट में किसी बड़े नाशिकीट और रोग का प्रदुर्भाव नहीं देखा गया ।

विस्तरण क्रिया कलाप :-

क्रिया कलाप	उपलब्धियां (संख्या में)
एस्टेट संदर्शन	2410
विधि निरुपण	1211
सम्बोधित समूह बैठकें	326
टी ई सी में प्रशिक्षण कार्यक्रम	61
परम्परागत कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में अध्ययन दौरे	18
क्वालिटी जागरुकता मुहिम	58

प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र (टी ई सी) :

पूर्वोत्तर क्षेत्र में चार प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र कार्य कर रहे हैं। ये दिओमली (अरूणाचल प्रदेश) हफलांग (एन सी हिल्स, असम) बुआलपुई (मिजोरम) तुलाकोना (अगरतला, त्रिपुरा) में स्थित हैं। टी ई सी, बुआलपुई, मिजोरम, बीज कॉफी के उत्पादन केन्द्र के साथ साथ निरूपण सह प्रशिक्षण केन्द्र के तौर पर भी सेवाएं प्रदान करता रहा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम के अधीन समर्थन :-

वर्ष के दौरान, कॉफी के उत्पादन और क्वालिटी की समग्र उन्नति के उद्देश्य के साथ बोर्ड ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कॉफी विकास कार्यक्रम के तहत विस्तारण, समेकन और क्वालिटी (गुणता) उन्नयन जैसे अलग अलग कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। वर्ष के दौरान विभिन्न कार्यकलापों की दिशा में दिए गए समर्थन की प्रत्यक्ष उपलब्धि नीचे प्रस्तुत है :-

क्रिया कलाप	क्षेत्र/इकाई
कॉफी विस्तारण (क्षे.हे.में)	191
कॉफी का समेकन (क्षे.हे.में)	129
क्वालिटी उन्नयन	
क) सुखाने के यार्ड (इकाई संख्या)	6
ख) सुखाने के ट्रे (इकाई संख्या)	401

उपरोक्त कार्यकलापों के लिए दिए गए वित्तीय समर्थन के अलावा, कॉफी विस्तारण और समेकन कार्यों को सहायता देने के लिए समूह नर्सरियों के जरिए कॉफी पौदों और छाया वृक्ष के पौदों को उगाकर वितरित करने के लिए भी बोर्ड ने समर्थन दिया।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में उत्पादित कॉफी के सम्बन्ध में, जनजाति उपजकर्ताओं से कच्ची कॉफी के संग्रहण, उसके संसाधन, परिवहन और निपटान की लागत को पूरा करने के लिए बोर्ड ने आवश्यक वित्तीय समर्थन प्रदान करना जारी रखा।

मिनी कॉफी क्यूरिंग वर्क्स :-

बुआलपुई में बोर्ड द्वारा स्थापित मिनी कॉफी क्यूरिंग वर्क्स में मिजोरम और त्रिपुरा के उपजकर्ताओं द्वारा पूल की गई कच्ची कॉफी का संसाधन कार्य जारी रहा।

घ.पणधारियों के लिए क्षमता निर्माण :-

कॉफी उद्योग के पणधारियों के क्षमता निर्माण के एक भाग के रूप में रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

- भारतीय बागान प्रबन्ध संस्थान, बेंगलूरु के सहयोग से देश के विभिन्न कॉफी उगाने वाले क्षेत्रों के 316 कॉफी उपजकर्ताओं के लिए 12 पहुँच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहुंच कार्यक्रम के अधीन लिए गए प्रमुख विषय है: (I) समष्टियों का निर्माण, कॉफी के विपणन एवं व्यापार में वर्तमान और भविष्य का रुझान (II) कॉफी उपजर्कताओं के लिए धारणीय कॉफी व्यापार हेतु वित्तीय और लागत प्रबन्धन(III) कॉफी सेक्टर में लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को सुनिश्चित करने हेतु नियामक फ्रेम वर्क और (IV) गैर परम्परागत क्षेत्रों में कॉफी उपजकर्ताओं के लिए व्यापार मॉडल।
- भारतीय बागान प्रबंध संस्थान, बेंगलूर ने बोर्ड के 135 कार्मिकों के लिए (I) सकारात्मक सोच, प्रोत्साहन व उच्च निष्पादन और (II) सू प्रौ समर्थ कार्यालय प्रशासन प्रणाली पर 6 लघु

अवधि कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

- कॉफी बोर्ड के प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्रों में 4935 कॉफी उपजकर्ताओं, एस्टेट कामगारों और पर्यवेक्षण स्टाफ के लाभ के लिए कॉफी खेती के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।
- कृषि विश्वविद्यालयों/आई सी ए आर के कृषि विज्ञान केन्द्रों के सहयोग से 804 महिला उपजकर्ताओं/कामगारों के लाभ के लिए महिला विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- काप्पी शास्त्र के 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम और कॉफी भूनने, पीसने और रिटेल विक्रय पर 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे क्रमश 50 और 179 लाभानुभोगी लाभान्वित हुए।

ङ) कार्य पूँजी ऋणों पर कॉफी उपजकर्ताओं को ब्याज उपदान :-

कॉफी के लिए विकास समर्थन स्कीम के एक भाग के रुप में, बोर्ड ने निम्नलिखित शर्तों पर कार्य पूंजी ऋणों पर उपजकर्ताओं को समान दर पर (5% से ज्यादा नहीं) ब्याज उपदान दिया :

1) प्रति अरेबिका कॉफी उपजकर्ता को 50,000/- रू. और प्रति रोबस्टा कॉफी उपजकर्ता को 40,000/-रू. की सीलिंग तक सीमित ब्याज उपदान दिया जायगा।

2) ब्याज उपदान देने के बाद, ब्याज दर 7% से कम नहीं होना चाहिए।

वर्ष के दौरान 1905 उपजकर्ताओं ने 118.58 लाख रू. के ब्याज उपदान का लाभ लिया ।

कॉफी ऋण राहत पैकेज 2010

2000 से 2004 के दौरान कॉफी उद्योग ने लम्बे संकट का सामना किया। लम्बे समय से संचित ऋण भार के कारण बहुत से कॉफी उपजकर्ता अपने ऋणों की चुकौती में लगातार मुश्किलें उठा रहे थे।

आगे प्रतिकूल मौसमी परिस्थिति विशेषकर वर्ष 2007-08 एवं 2008-09 की स्थिति से बडी मात्रा में फसल को नुकसान हुआ और इससे कॉफी ऋणों की चुकौती प्रयोज्यता पर बुरा प्रभाव पड़ा। इससे एक ऐसी स्थिति आन पहुँची जिस में उपजकर्ताओं के अशोधित कॉफी ऋण लेखे समय के साथ अदा न हुए (अदत्त) लेखे बन गए।

कॉफी उपजकर्ताओं के उच्च ऋण भार पर विचार करते हुए, भारत सरकार ने, आदेश संख्या 4-3-2008 (बागान) (बी) दिनांक 14-6-2010 के अधीन कॉफी ऋण राहत पैकेज 2010 को स्वीकृति दी। देश के ऋण भार से दबे छोटे कॉफी उपजकर्ताओं (10 हेक्टर तक आकार के) की कठिनाई को अवशमन करने के लिए यह एक सम्पूर्ण पैकेज है। यह 30 जून 2009 को यथास्थिति अशोधित रकम युक्त सभी कॉफी ऋणों के लिए लागू है।

कॉ. ऋ. रा. पै. (सी डी आर पी)2010 के कार्यान्वयन के पहले क्रम में बैंक से प्राप्त हुए 53 दावों को साधित किया गया और 241 करोड रू. के सरकार के शेयर को बैंको को प्रतिपूरित किया गया। भारत सरकार द्वारा रिलीज किए गए निधि का पूरा उपयोग करते हुए कर्नाटक, केरल, तमिल नाडू और ओडिशा के 1,20,025 उपजकर्ता इससे लाभान्वित हुए।

दूसरे क्रम में, बैंक से प्राप्त हुए लम्बित/अनुपूरक दावों को निपटाने के लिए सी डी आर पी - 2010 के तहत भारत सरकार ने 58.00 करोड रुपयों की अतिरिक्त निधि रिलीज की । इसमें से, सरकार के देयता शेयर की 52.45 करोड रु की राशि बैंक को प्रतिपूरित की गई । इससे मार्च 2013 के

अंत तक और भी 15,258 छोटे उपजकर्ताओं को लाभ हुआ। इस प्रकार अब तक प्रतिपूरित की गई कुल रकम 293.45 करोड रु. है और इससे 1,35,283 छोटे उपजकर्ता लाभान्वित हुए ।

✦ ✦ ✦

अध्याय - VI

बाजार विकास और संसाधन हेतु सहायता

एक मजबूत और धारणीय घरेलू कॉफी बाजार में घरेलू कॉफी उपभोग को बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में मंदी की अवधियों में उपजकर्ताओं, विशेषकर छोटे उपजकर्ताओं को अच्छा मुनाफा देने की दृष्टि से और मूल्य संवर्धन के लिए अवसर प्रदान करने हेतु 11 वीं योजना अवधि में कार्यान्वित किए गए निम्नलिखित दो योजनाओं को भारत सरकार के अनुमोदन के अनुसार 2012-13 के दौरान जारी रखा गया है ।

क. बाजार विकास हेतु स्कीम

ख. कॉफी संसाधन हेतु समर्थन

क. बाजार विकास

इस योजना के दो उप घटक है यथा 1) घरेलू प्रोन्नयन एवं 2) बाजार अनुसंधान एवं इंटेलिजंस

1) घरेलू प्रोन्नयन:

यह जाहिर है कि भारत में कॉफी सेक्टर में दीर्घकालीन धारणीयता हासिल करने के लिए सुदृढ़ घरेलू बाजार की संवृद्धि महत्वपूर्ण है। सेक्टर में मूल्य सृजित करने के अतिरिक्त,एक सुदृढ़ माँग, उत्पादकों के लिए किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उतार-चढ़ाव के विरूद्ध एक संघातसह बनाने में सहायक होता है। इस सन्दर्भ में, कॉफी रोस्टिंग, ब्रूइंग आदि पर प्रशिक्षण देते हुए उद्यमी निपुणता का विकास करने के साथ सामूहिक मीडिया (टी.वी. रेडियो,पत्रिकाओं)का प्रयोग करते हुए सामान्य प्रोन्नति मुहिमों के जरिए कॉफी/शुद्ध कॉफी पीने के बारे में जागरूकता लाने,उत्सवों में भाग लेने जैसे कार्य करते हुए घरेलू बाजार में संवृद्धि को सहज बनाया जा सकता है।

घरेलू प्रोन्नति नीति, बाजार इन्टेलिजेन्स इकाई द्वारा किए गए बाजार विश्लेषण से प्राप्त हुए सूचनाओं के आधार पर बनती है।

2) बाजार अनुसंधान और इंटेलिजंस :

यह घटक उपजकर्ताओं को वेब के जरिए बाजार रूझान का विशलेषण जुटाने और बोर्ड के विस्तरण नेटवर्क के जरिए इस विश्लेषण का विकीर्णन करने पर फोकस करता है ताकि उपजकर्ता बाजार में अच्छा मूल्य प्राप्त कर सकें। बाजार इन्टेलिजेन्स इकाई द्वारा किए गए कार्यों में वार्षिक फसल प्राक्कलन करते हुए सप्लाई प्राक्कलन, बाजार विश्लेषण, कॉफी पर डेटा बेस का रखाव, घरेलू सूचकांक मूल्य रिपोर्ट, घरेलू खपत और मनोवृत्ति सर्वेक्षण और साथ ही, आवधिक अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। घरेलू खण्ड में बाजार विकास हेतु विशेष सूचना एकत्रित करने के लिए घरेलू उपभोग पर आवधिक सर्वेक्षण किए जाते हैं। कॉफी उपभोग पर छठा क्षेत्र सर्वेक्षण प्रगति अधीन है।

घरेलू प्रोन्नतीय क्रियाकलाप:

उपभोग अध्ययनों ने घरेलू प्रोन्नति पहल/कार्यक्रमों के अभिविन्यास को विकसित करने के लिए खास ध्यान दिया है। उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत के यदाकदा पीने वाले सम्भाव्य बढ़त खण्ड हैं। अतः घरेलू प्रोन्नति ने घरेलू मेलों में भाग लेने, मीडिया के जरिए जागरूकता पैदा करने और गुणता नियंत्रण प्रभाग द्वारा आयोजित कापी शास्त्र प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए उद्यमकर्ता-संबंधी क्षमता विकसित करने के कार्य पर अपना ध्यान केन्द्रित किया।

आगे उपभोग अध्ययनों से पता चला कि कॉफी सेवन करने का मुख्य व्यवधान नकारात्मक स्वास्थ्य अनुभूति है। अत: मीडिया में किए गए कॉफी सेवन के सकारात्मक स्वास्थ्य तत्वों संबंधी प्रोन्नयन मुहिम, उपयोगी हस्तक्षेप प्रतीत होता है। चूँकि घरेलू प्रोन्नति में मेले सबसे अधिक दृश्यमान

घटक है, कॉफी बोर्ड ने उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर देश में 52 आन्तरिक मेलों में भाग लिया। आंतरिक व्यापार मेलों में सहभागिता दक्षिण में 24, उत्तर में 13, पूर्व में 11 और पश्चिम में 4 को आच्छादित किया गया । बोर्ड के स्टालों ने बडी संख्या में आगन्तुकों को आकर्षित किया और कॉफी बोर्ड ने सर्वोत्तम प्रदर्शनी के लिए अनेक सराहना और पुरस्कार भी प्राप्त किए। इन प्रदर्शनियों में कॉफी की प्रोन्नति ने स्वास्थ्य एवं जीवन शैली पहलुओं पर फोकस किया । घरेलू बाज़ार में उद्यम के विकास में सहायता के लिए प्रसंस्करण हेतु समर्थन योजना को भी प्रोन्नत किया। घरेलू सहभागिता के दौरान 'कॉफीज़ ऑफ इण्डिया' पर फिल्म के अलावा आगन्तुकों के लाभ के लिए 'कॉफी कैसे ब्रू की जाती है विषय पर एक लघू फिल्म' भी दिखाई गई। कॉफी ब्रूइंग पर प्रशिक्षण देने के लिए नई दिल्ली, चण्डीगढ़, कोलकाता आदि में आयोजित महत्वपूर्ण प्रदर्शनियों में कार्यशाला और कापी शास्त्र कार्यक्रम एक साथ आयोजित किए गए। निम्नलिखित घटनाओं में बोर्ड ने भाग लिया ।

क्र सं	घटना का नाम	महीना व तारीख
1	खाद्य और पेय प्रदर्शनी 2012, मुम्बई	25 से 27 अप्रैल 2012
2	राष्ट्रीय अखण्डता उत्सव नन्दी मेला गाँधी मेला 2012, कोलकाता	7 से 13 अप्रैल 2012
3	कोडगु हॉकी उत्सव 2012, अम्मती, कूर्ग	20 अप्रैल से 13 मई
4	कृषि आतिथ्य एक्स्पो 2012, चेन्नई	10 से 12 मई 2012
5	चौथा स्वदेशी प्रेम जागरण बागबानी एक्स्पो, भुवनेश्वर	28 से 31 मई 2012
6	वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी, ऊदकमण्डल	18 से 20 मई 2012
7	एग्री इन्टेक्स 2012, कोयम्बत्तूर	30 मई से 3 जून 2012
8	इण्डियन एक्स्प्रेस आतिथ्य, बेंगलूर	21 से 23 जून 2012
9	जिम वैश्विक निवेशकों की बैठक, बेंगलूर	6 से 8 जून 2012
10	दूसरा अन्तर्राष्ट्रीय कृषि बागबानी एक्स्पो 2012. कोयम्बत्तूर	5 से 8 जुलाई 2012
11	7 वाँ एग्रो टेक इण्डिया-ओ-शिल्प मेला, कोलकाता	7 से 11 जुलाई 2012
12	तीसरा एग्री एक्स्पो 2012, वेल्लूर, तमिल नाडू	27 से 30 जुलाई 2012

क्र सं	घटना का नाम	महीना व तारीख
13	आहार 2012, चेन्नई	23 से 25 अगस्त 2012
14	चौथा फूडेक्स 2012, बेंगलूर	25 से 27 अगस्त 2012
15	9वाँ एफ व बी आतिथ्य एक्स्पो 2012, गोआ	6 से 9 सितम्बर 2012
16	11 वाँ फुड टेक 2012, कोलकाता	7 से 9 सितम्बर 2012
17	उपासी 2012, कूनूर, तमिल नाडू	28 व 29 सितम्बर 2012
18	राजस्थान व्यापार मेला, राजस्थान एवं जोधपुर, राजस्थान में काप्पी ज्ञान कार्यशाला	16 व 17 सितम्बर 2012 22 से 30 सितम्बर 2012
19	अन्नपूर्णा विश्व खाद्य, मुम्बई	26 से 28 सितम्बर 2012
20	फाइन फुड टेक 2012, नई दिल्ली	7 से 19 सितम्बर 2012
21	आरोग्य 2012 प्रदर्शनी, हैदराबाद	12 से 15 अक्तूबर 2012
22	सी आई आई चण्डीगढ़ मेला 2012, चण्डीगढ़	7 से 11 नवम्बर 2012
23	7 वाँ मेरी दिल्ली उत्सव 2012, नई दिल्ली	3 से 5 नवम्बर 2012
24	आई आई टी एफ 2012, नई दिल्ली	14 से 27 नवम्बर 2012
25	बायो फैक इण्डिया 2012, बेंगलूर	29 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2012
26	पीटेक्स, पंजाब नेशनल ट्रेड एक्स्पो 2012, अमृतसर	6 से 10 दिसम्बर 2012
27	9 वाँ जातीय संकटी उत्सव कोलकाता	8 से 15 दिसम्बर 2012
28	कोडगू व्यापार समिट, मडिकेरि	18 दिसम्बर 2012
29	सी आर सी स्वर्ण जयन्ती किसान बैठक, अप्पंगला, मडिकेरि	20 से 22 दिसम्बर 2012
30	30 जैव विशाखन एक्स्पो 2012, बेंगलूर	8 से 11 दिसम्बर 2012
31	रजत जयन्ती आर सी आर एस, थाण्डीगुडी, तमिल नाडू	8 दिसम्बर 2012
32	नन्दी हिल्स, बेंगलूर में कॉफी सेवा	12 दिसम्बर 2012
33	8 वाँ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्सव, बैटकुची, गुवाहाटी	28 दिसम्बर 2012 से 10 जनवरी 2013

क्र सं	घटना का नाम	महीना व तारीख
34	दूसरा इण्डिया एसियन बिज़नेस, नई दिल्ली	18-20 दिसम्बर 2012
35	सुन्दरबन कृषि मेला 2012, कोलकाता	20 से 29 दिसम्बर 2012
36	राष्ट्रीय जैव विशाखन एक्स्पो 2012, त्रिवेन्द्रम	21 से 30 दिसम्बर 2012
37	100 भारतीय विज्ञान काँग्रेस, कोलकाता	3 से 7 जनवरी 2013
38	ग्यारहवाँ प्रवासी भारतीय दिवस 2013 कोचिन	7 से 8 जनवरी 2013
39	खाद्य एवं आतिथ्य दुनिया 2013, मुम्बई	10 से 12 जनवरी 2013
40	विन्टेज कार रैली, 2013, कोलकाता	13 जनवरी 2013
41	पी आई बी मुहिम भारत निर्माण मेला 2013 मन्नारकाड, पालक्काड	29 से 31 जनवरी 2013
42	तरल कॉफी सेवा टी ई सी, चिकमगलूर	10 जनवरी 2013
43	अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा मेला, बेंगलूर	28 व 29 जनवरी 2013
44	आचार्य सत्येन्द्रनाथ स्मारक बिजन प्रकृति मेला 2013, हेडुआ, कोलकाता	30 जनवरी से 3 फरवरी 2013
45	बागबानी एक्स्पो 2013, बी एच ई एल, दशहरा, भोपाल	1 से 3 फरवरी 2013
46	भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, उत्तरांचल मेला 2013, देहरादून	3 से 10 फरवरी 2013
47	अन्तर्राष्ट्रीय हस्त शिल्प मेला 2013, सूरजकुण्ड, हरियाणा	1 से 15 फरवरी 2013
48	चौथा विज़न राजस्थान कृषि-बागबानी एक्स्पो 2013, जयपुर, राजस्थान	4 से 6 फरवरी 2013
49	कीट विज्ञान पर अन्तर्राष्ट्रीय काँग्रेस, जी के वी के, बेंगलूर	14 से 17 फरवरी 2013
50	गिनीज़ रिकार्ड आटूकाल उत्सव 2013, त्रिवेन्द्रम	18 से 27 फरवरी 2013
51	एग्रो टेक इण्डिया-ओ-ग्रामीण शिल्प मेला 13-विज्ञान के विकास के लिए, नाडिया, कोलकाता	9 से 12 मार्च 2013
52	आहार 2013, नई दिल्ली	14 से 18 मार्च 2013

उपरोक्त प्रतिभागिता ने रोस्टर्स एवं स्व स स को भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, आहार जैसे प्रमुख कार्यक्रमों में उनके मूल्य संवर्धित उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया।

कॉफी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में, बोर्ड ने बहुत से कार्यकलाप किए हैं जैसे टी वी मुहिम, रेडियो मुहिम, प्रिंट मीडिया, पुस्तिकाएँ एवं जर्नल के जरिए प्रोन्नति मुहिम, वेब आधारित मुहिम विशेषकर कॉफी बोर्ड के मास्कट-कॉफी स्वामी के जरिए कॉफी ज्ञान देना। बहुत सी व्यापार पत्रिकाओं और लाइफ स्टाइल पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए गए। इन विज्ञापनों का लक्ष्य था उपभोग को प्रेरित करने वाले गुणों को प्रोन्नत करना। साथ ही साथ, कॉफी के स्वास्थ्य पहलुओं पर जानकारी देकर उपभोग की राह में आने वाली रूकावटों को दूर करना था। प्रसंस्करण के लिए समर्थन स्कीम को भी प्रोन्नत किया गया। संगठन की स्मारिका इत्यादि का इस्तेमाल विकास समर्थन स्कीम को दृश्यता प्रदान करने हेतु किया गया।

बोर्ड ने दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई, बेंगलूर, भोपाल, तिरूमला एवं गुरूवायुर के प्रमुख स्थानों में कार्यरत 13 इंडिया कॉफी डिपो/इंडिया कॉफी हाउसों के जरिए उपभोक्ताओं को शुद्ध कॉफी का अनुभव देने के प्रयास को जारी रखा।

कॉफी प्रसंस्करण हेतु समर्थन-मूल्य संवर्धन की दिशा में एक कदम :

यह योजना 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रचलन में थी और इसे वर्तमान वर्ष में जारी रखने के लिए भारत सरकार ने अपने अनुमोदन से अवगत कराया है। विश्व कॉफी श्रृंखला में कॉफी अर्थ व्यवस्था का 40% उत्पादक देशों में रहता है जबकि शेष 60% का अधिग्रहण उपभोक्ता देश कर लेते हैं। वर्षों में बहुत से देशों ने अन्तिम उत्पाद के रुप में कॉफी के प्रसंस्करण, विनिर्माण और विपणन की योग्यता को सुधारा है । कॉफी मूल्य श्रृंखला और बाजार के लगातार विकास के लिए रोस्टिंग, ग्राइंडिंग और पैकेजिंग के नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाना अत्यन्त जरुरी है। घरेलू बाजार में कॉफी का प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन रोजगार उत्पन्न करने के अनेक अवसर प्रदान करेगा विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों के जरिए। चूँकि कॉफी रोस्टिंग, ग्राइंडिंग और पैकेजिंग के क्षेत्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकियां पूँजी प्रधान हैं और यह छोटे और मध्यम उद्यमियों (एस एफ ई एस) को कॉफी मूल्य संवर्धन क्रिया कलापों का जोखिम लेने से मना करता है। अत: अच्छी क्वालिटी कॉफी पाउडर तैयार करने और पैकेज के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु उद्यमियों को उचित समर्थन देने को आवश्यक समझा गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कॉफी रोस्टिंग, ग्राइंडिंग और पैकेजिंग में उन्नत प्रौद्योगिकियों के समावेशन के जरिए कॉफी उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ाना और मूल्य संवर्धन प्राप्त करना है।

व्यक्ति विशिष्ट, स्वयं सहायता समूह और उपजकर्ता समष्टियां, विपणन सहकारी समितियाँ, फर्म, सहभागी जो कॉफी रोस्टिंग और ग्राइंडिंग इकाइयों की स्थापना करने और जो वर्तमान इकाइयों को नए स्व चालित और ऊर्जा बचाने वाले मशीनरी से आधुनिकीकृत करना चाहते हैं, योजना के अन्तर्गत लाभों के हकदार हैं। व्यक्ति विशेष/फर्मों के लिए उपदान दर को कुल लागत के 25% तक और स्वयं सहायता समूहों और अन्य उपजकर्ता समूहों के लिए 40% तक सीमित किया गया है। कुल लागत में मूल लागत के अलावा, मशीनरी सामग्रियाँ, प्रयोज्य कर, वहन शुल्क, बीमा और कमीशनिंग की लागत शामिल है। अधिकतम उपदान 25.00 लाख रू. प्रति इकाई तक सीमित है।

निम्नलिखित किसी भी संयोज्य के रोस्टिंग, ग्राइंडिंग और पैकेजिंग मशीनरी, उपदान के लिए हकदार है-

1) रोस्टिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन

2) रोस्टिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन

3) ग्राइंडिंग मशीन और पैकेजिंग मशीन

तथापि, वर्तमान इकाइयों के सम्बन्ध में, उपदान किसी एक प्रकार के मशीन यथा रोस्टिंग और ग्राइंडिंग या पैकेजिंग मशीन के लिए वांछनीय होगा बशर्ते कि एक ग्राइंडिंग मशीन या रोस्टिंग मशीन पर उपदान पर तब ही विचार किया जाएगा जब एक कार्यशील पैकेजिंग मशीन पहले से विद्यमान है या इसका विपरीत।

वर्ष के दौरान योजना के अधीन 14 रोस्टिंग इकाइयों का निरीक्षण कर उपदान दिए गए।

✦ ✦ ✦

अध्याय - VII

निर्यात संवर्धन

क) कॉफी निर्यात

निर्यातक पंजीकरण और नवीनीकरण :

31 मार्च 2013 को यथास्थिति कॉफी बोर्ड में पंजीकृत निर्यातकों की कुल संख्या 457 थी जब कि 31 मार्च 2012 को यथास्थिति इनकी संख्या 395 थी । इसमें वर्ष 2012-2013 के 62 नए पंजीकरण शामिल हैं ।

निर्यात परमिट और आई सी ओ मूल प्रमाणपत्र :

कॉफी बार्ड, कॉफी अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत कॉफी निर्यात के लिए निर्यात परमिट जारी करता है। अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन, लन्दन के मानदण्डों के अनुसार कॉफी बोर्ड कॉफी के पंजीकृत निर्यातकों को निर्धारित आवेदन के जरिए उनके आग्रह पर कॉफी के निर्यात के लिए मूल प्रमाणपत्र भी जारी करता है।

वेबसाइट के जरिए निर्यात परमिट आवेदन प्रस्तुत करना :

व्यक्तिगत रुप से तथा ऑन लाइन दोनों के जरिए प्रस्तुत आवेदन के लिए निर्यात परमिट और मूल प्रमाण पत्र जारी किए गए। निर्यात परमिट ऑन लाइन प्रस्तुत करने की सुविधा भारतीय कॉफी के सभी पंजीकृत निर्यातकों को उपयोक्ता आई डी और पास वर्ड देते हुए प्रदान की गई है।

वर्ष के दौरान कॉफी के 139 पंजीकृत निर्यातकों को कुल 9993 निर्यात परमिट और आई सी ओ मूल प्रमाण पत्र जारी किए गए, 2011-12 के दौरान 10,389 निर्यात परमिट जारी किए गए थे । 9993 परमिटों में से 8749 परमिट भारतीय मूल कॉफी के निर्यात के लिए जारी किए गए और शेष 1244 परमिट कॉफी के पुन: निर्यात के लिए जारी किए गए।

निर्यातकों के साथ अन्तरसंवाद

वर्ष के दौरान कॉफी निर्यातकों और निर्यातक संघ/स्पेशियालिटी कॉफी संघ के साथ बैठक आयोजित किए गए। बैठकों में निर्यात संवर्धन योजना, अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं, व्यापार मेलों में सहभागिता, क्वालिटी विषय, वित्तीय सहायता आदि से जुड़े विभिन्न पणधारी सम्बन्धित विषयों पर विचार विमर्श किया गया। सभी सम्बन्धित विषयों को उचित हस्तक्षेप और समर्थन हेतु मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

बन्दरगाह प्राधिकारियों, उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन और कॉफी निर्यातकों और उनके एजेन्टों के साथ मेंगलूर बन्दरगाह में कॉफी नौभरण के निकासी से सम्बन्धित विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए 23/8/2012 को एक अन्तरसंवाद बैठक का आयोजन किया गया ।

रिपोर्ट और प्रविवरण

कॉफी निर्यात के बारे में मंत्रालय और अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन को भेजने के लिए आवधिक रिपार्ट और विवरण बनाने और प्रस्तुत करने का कार्य संपादित हुआ। इसके अलावा उनके क्रिया कलापों में सहायता देने के लिए निर्यातक समुदाय को सूचना का विकीर्णन किया गया है। अवधि के दौरान एकत्रित किए गए तथा भेजे गए प्रमुख रिपोर्ट और प्रविवरण निम्नानुसार हैं :-

- बोर्ड के वेबसाईट, सूचना पट्ट और बोर्ड के अधिकारियों को निर्यात निष्पादन पर दैनिक रिपोर्ट।
- गन्तव्य-वार निर्यातों पर मंत्रालय को मासिक रिपोर्ट।
- कॉफी के प्रारंभिक निर्यात पर अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन (आई सी ओ) को गन्तव्य स्थान के हिसाब से मात्रा तथा कीमत देते हुए मासिक रिपोर्ट।
- भारत से निर्यातित कॉफी हेतु जारी आई सी ओ मूल सम्बन्धी प्रमाण पत्र के बारे में उपलब्ध सांख्यिकीय आँकडों को मासिक आधार पर अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन को भेजना।

उपरोक्त के अलावा निर्यातकवार, देशवार, किस्म एवं श्रेणीवार निर्यात की रिपोर्ट तैयार की गई।

कॉफी की निर्यात योग्य किस्म और श्रेणी :-

अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन (आई सी ओ) के कॉफी क्वालिटी सुधार कार्यक्रम के अनुसार (देखें संकल्प संख्या 420) और परिपत्र सं मार्च/निर्यात/33-बी/2010-11/790 दि: 18.08.2010 के तहत परिचालित मानसूनीकृत कॉफी के विद्यमान मानको में परवर्ती संशोधन के तहत कॉफी बोर्ड द्वारा पहचाने गए निर्यात योग्य किस्म व श्रेणियों का विवरण निम्नानुसार है :-

कॉफी की निर्यात योग्य किस्में एवं श्रेणी

किस्म	प्रीमियम श्रेणी	व्यावसायिक श्रेणी	स्पेशियालिटी कॉफी
हरी कॉफी अरेबिका पार्चमेंट (प्लान्टेशन) (धुली अरेबिका)	पी बी बोल्ड ए ए	पी बी,ए,बी, सी*1 बल्क	मैसूर नग्गिट्स एक्सट्रा बोल्ड
अरेबिका चेरी (अनधुली अरेबिका)	पी बी बोल्ड ए ए ए	पी बी,ए,बी, सी*2 बल्क*3	मानसूनीकृत मलबार ए.ए.ए मानसूनीकृत मलबार ए.ए मानसूनीकृत मलबार ए मानसूनीकृत मलबार अरेबिका ट्रियेज*4
रोबस्टा पार्चमेंट (धुली रोबस्टा)	पी बी बोल्ड ए	पी बी,ए,बी, सी बल्क	रोबस्टा काप्पी रोयाल
रोबस्टा चेरी (अनधुली रोबस्टा)	पी बी बोल्ड एए. ए	पी बी,ए,बी, सी क्लीन बल्क	मानसूनीकृत मलबार रोबस्टा ए.ए मानसूनीकृत मलबार रोबस्टा ट्रियेज*4
विविध श्रेणी लिबेरिया एक्सलसिया		बल्क*5 बल्क*5	
इंस्टेन्ट कॉफी			
रोस्टेड कॉफी बीज			
रोस्टेड एवं ग्राउण्ड कॉफी			

*1 प्लान्टेशन- सी के लिए अपवाद-आई सी ओ के संकल्प 407/420 के पाद टिप्पणी में वर्णित समतुल्य में सूचित के अनुसार ।

*2 अरेबिका चेरी बल्क में 10% से कम ब्लैक्स, ब्राउन्स/ एवं बिट्स होना चाहिए।

*3 मानसूनीकृत अरेबिका ट्रिएज व मानसूनीकृत रोबस्टा ट्रिएज को ब्लेक्स, ब्राउन्स व बिट्स रहित होना चाहिए।

*4 रोबस्टा की तरह समान त्रुटि संख्या में ।

*5 मानसूनीकृत कॉफी के लिए नमी स्तर 13.0 से 14.5% तक रहना चाहिए।

कॉफी का निर्यात :

2012-13 के दौरान 3,04,666 मे.ट. (पुन: निर्यात के 50,160 मे.ट. को शामिल कर) की मात्रा के लिए निर्यात परमिट जारी किए गए। इसका मूल्य, 4,644 करोड रू. है जो 883.62 यू एस मिलियन डॉलर्स के समतुल्य है और इसका इकाई मूल्य 1,52,442 रू. प्रति में ट है। जारी किए गए कुल परमिटों में से 2,98,040 मे ट (49,904 मे ट के पुन: निर्यातों को शामिल कर) के लिए प्रावधानिक रुप से निर्यात की संपुष्टि की। इसका मूल्य 4,532.51 करोड रू. है जो 851.73 यू एस मिलियन डॉलर्स के समतुल्य है और इसका इकाई मूल्य 1,52,077 रु. प्रति मे.ट. है। निर्यात कमाई का इकाई मूल्य अधिकतम था और इसने पिछले वर्षों के सभी रिकार्ड को पीछे छोड दिया । पिछले वर्ष 2011-12 के दौरान कॉफी का निर्यात 3,33,180 मे.ट. था जिसका मूल्य 997.98 यू एस मिलियन डालर्स है जो 4,662.78 करोड रू. के समतुल्य है और इसका इकाई मूल्य 1,39,947 रू. प्रति मे ट है।

2012-13 के दौरान भारत से कॉफी का निर्यात पिछले वर्ष के 109 देशों के मुकाबले 104 देशों को किया गया जिनमें से इटली, जर्मनी, रुस संघ, बेल्जियम और स्पेन 5 प्रमुख आयातक देश हैं।

कॉफी की किस्म	मात्रा मेट्रिक टन में	कुल निर्यात का प्रतिशत
अरेबिका पार्चमेंट	45,719	15.34
अरेबिका चेरी	12,678	4.25
रोबस्टा पार्चमेंट	21.940	7.36
रोबस्टा चेरी	1.29,068	43.31
भुनी कॉफी बीन्स तथा पिसी कॉफी ह.फ.स में	149	0.05
इंस्टेंट/घुलनशील ह.फ.स में	88486	29.69
योग	**2,98,040**	**100.00**

* ग्रीन बीन (हरी फली) समतुल्य

2012-13 के दौरान निर्यातित मात्रा, कमाई विदेशी मुद्रा, भारतीय रुपया समतुल्य और इकाई मूल्य का श्रेणीवार विवरण
(भारतीय व पुन:निर्यातित कॉफी दोनों - अनंतिम)

क्र सं	ग्रेड का नाम	मात्रा	भारतीय रू. लाख में	यू एस डालर लाख में	इकाई मूल्य रू /टन	मूल्य यू एस डा / टन
1	प्लान्टेशन -ए	8,635.4	40009.77	749.61	214697.67	4022.51
2	प्लान्टेशन -पी बी	2,130.2	4010.69	74.47	188277.63	3495.92
3	प्लान्टेशन - बी	9,036.0	17895.36	331.11	198045.15	3664.34
4	प्लान्टेशन - सी	5,009.8	8955.99	169.92	178769.41	3391.75
5	प्लान्टेशन बल्क	1,013.0	2067.41	38.33	204087.86	3783.81
6	मैसूर नग्गिट्स-ई बी	1,601.1	3461.92	64.84	216221.35	4049.72
7	प्लान्टेशन -ए ए	8,274.4	18065.84	337.57	218334.14	4079.69
8	प्लान्टेशन पी बी बोल्ड	19.1	52.91	1.01	277015.71	5287.96
9	अरेबिका चेरी -ए बी	6,331.4	11118.00	207.18	175600.97	3272.26

क्र सं	ग्रेड का नाम	मात्रा	भारतीय रू. लाख में	यू एस डालर लाख में	इकाई मूल्य रू /टन	मूल्य यू एस डॉ / टन
10	अरेबिका चेरी पी बी	195.9	406.24	7.70	207371.11	3930.58
11	अरेबिका चेरी- सी	1,196.4	1623.90	29.95	135732.20	2503.34
12	अरेबिका चेरी - बल्क	257.7	533.90	9.94	207178.89	3857.20
13	मानसूण्ड मलबार - ए ए	3,579.6	8383.62	160.58	234205.50	4485.98
14	मानसूण्ड बासनल्ली	386.6	859.41	16.35	222299.53	4229.18
15	मानसून्ड अरे ट्रिएज	232.5	355.04	6.84	152705.38	2941.94
16	अरेबिका चेरी ए ए	259.8	493.36	9.23	189899.92	3552.73
17	अरेबिका चेरी -ए	238.3	397.54	7.38	166823.33	3096.94
18	रोबस्टा पार्चमेन्ट -ए बी	8,841.7	14316.41	268.70	161919.20	3039.01
19	रोबस्टा पाचमेन्ट -पी बी	1,791.0	2796.73	52.62	156154.66	2938.02
20	रोबस्टा पाचमेन्ट -सी	1,673.3	2508.10	47.44	149889.44	2835.12
21	रोबस्टा पार्चमेन्ट -बल्क	3,146.9	4925.83	91.67	156529.60	2913.03
22	रोबस्टा कॉफी रोयाल	5,639.5	8870.36	167.88	157289.83	2976.86
23	रोबस्टा पाचमेन्ट -ए	809.5	1428.40	26.96	176454.60	3330.45
24	रोबस्टा पार्चमेन्ट पी बी -बोल्ड	38.4	61.27	1.13	159557.29	2942.71
25	रोबस्टा चेरी -ए बी	54,459.1	65577.85	1244.96	120416.70	2286.05
26	रोबस्टा चेरी -पी बी	3,564.6	4104.55	85.56	115147.56	2400.27
27	रोबस्टा चेरी -सी	71.2	93.00	1.71	130617.98	2401.69
28	रोबस्टा चेरी -बल्क	3,708.8	4667.84	84.31	125858.50	2273.24
29	रोबस्टा चेरी क्लीन बल्क	16,313.1	19791.54	371.67	121322.99	2278.35
30	मानसून्ड रोबस्टा -ए ए	1,151.0	1869.96	35.38	162463.94	3073.85
31	मानसून्ड रोबस्टा -ट्रिएज	37.1	50.31	0.96	135606.47	2587.60
32	लिबेरिया बल्क	203.3	265.15	5.01	130423.02	2464.34
33	एक्सेल्सिया बल्क	19.8	81.56	1.50	411919.19	7575.76
34	रोबस्टा चेरी - एए	20,278.8	25531.47	485.10	125902.27	2392.15
35	रोबस्टा चेरी - ए	29,261.5	37981.01	693.54	129798.57	2370.15
36	इन्टेन्ट कॉफी	88,485.9	139222.82	2620.66	157338.99	2961.67
37	भुनी व पिसी कॉफी	132.7	363.43	7.58	273873.40	5712.13
38	भुने कॉफी बीज	16.3	52.05	0.98	319325.15	6012.27
	योग :	**2,98,040.7**	**453250.54**	**8517.33**	**152076.73**	**2857.77**

2012-13 के दौरान कॉफी निर्यात का देशवार विवरण
(भारतीय व पुन:निर्यातित कॉफी दोनों)

(अनंतिम)

क्र सं	देश का नाम	मात्रा मे. टन में	मूल्य लाख रु. में
1	इटली	75,553.9	1,09,104.3
2	जर्मनी	24,855.1	38,738.6
3	रुस गणराज्य	24,769.7	40,825.6
4	बेल्जियम	19,906.6	33,506.4
5	स्लोवेनिया	13,388.3	15,932.7
6	मलेशिया	8,278.4	10,617.8
7	तुर्की	7,998.5	12,535.8
8	जोर्डन	7,388.9	13,239.4
9	स्पेन	6,649.7	9,089.0
10	ग्रीस	6,468.4	8,200.7
11	यूक्रेन	6,188.1	11,005.6
12	सं.रा.अ	6,078.4	10,494.1
13	आस्ट्रेलिया	6,002.6	11,137.9
14	फिनलैण्ड	5,332.3	8,371.8
15	कुवैत	4,223.0	8,138.9
16	लीबिया	4,113.2	4,987.7
17	ताइवान	3,893.2	4,380.8
18	सिरिया	3,699.1	4,509.9
19	इज़राइल	3,574.4	5,117.5
20	स्विट्ज़रलैण्ड	3,499.4	7,055.6
21	पोलैण्ड	3,484.5	3,751.5
22	फ्रांस	3,120.4	5,081.1
23	सउदी अरेबिया	3,112.8	5,364.4
24	मिस्र	3,030.9	3,769.2
25	पूर्तगाल	2,942.4	3,709.2
26	जापान	2,750.8	4,675.6
27	लाट्विया	2,393.9	2,977.5
28	सिंगापुर	2,105.9	3,182.7
29	क्रोएशिया	1,902.0	2,300.5
30	संयुक्त राज्य	1,825.5	3,352.6
31	इंडोनेशिया	1,666.4	2,481.7
32	अलजेरिया	1,664.2	1,992.6
33	संयक्त अरब अमीरात	1,637.5	3,285.7
34	बेलारस	1,624.1	2,801.0
35	मियानमार	1,473.0	2,000.1
36	आस्ट्रिया	1,345.4	1,579.6
37	वियतनाम	1,217.1	1,651.5

2012-13 के दौरान कॉफी निर्यात का देशवार विवरण
(भारतीय व पुन:निर्यातित कॉफी दोनों)

(अनंतिम)

क्र सं	देश का नाम	मात्रा मे. टन में	मूल्य लाख रु. में
38	नीदरलैण्ड्स	1,179.1	2,156.0
39	कैनेडा	1,139.6	1,611.2
40	माली	1,132.0	2,510.6
41	अलबेनिया	862.3	1,073.4
42	ओमन सल्तनत	774.3	1,167.7
43	डेनमार्क	661.7	806.3
44	लिथुआनिया	648.6	1,169.6
45	सेनेगल	610.5	1,279.6
46	रोमानिया	587.4	773.0
47	नोरवे	557.5	1,054.7
48	नायजर	554.9	1,151.7
49	द.कोरिया गणराज्य	523.7	938.9
50	लेबनन	520.8	616.1
51	यूगोस्लाविया	506.4	643.7
52	एस्टोनिया	467.5	695.8
53	मोरोक्को	435.0	554.5
54	नाइजेरिया	432.7	867.2
55	उज़बेकिस्तान	425.6	657.2
56	तुनिशिया	425.4	508.2
57	लिबियन अरब जामहिरी	422.4	498.6
58	न्यूजीलैण्ड	376.5	608.9
59	घाना	374.2	880.9
60	हंगेरी	374.0	420.5
61	जोर्जिया	360.8	588.7
62	टोगो	335.0	697.4
63	बुर्किना फाज़ो	312.5	731.7
64	स्वीडन	284.4	576.9
65	मोरिटानिया	255.5	609.4
66	कांगो	238.1	488.5
67	चीन जन गणराज्य	237.6	342.1
68	बेनिन	230.0	503.1
69	नेपाल	221.8	938.9
70	दक्षिण अफ्रीका	220.3	267.3
71	कज़ागस्तान	197.1	309.8
72	कीन्या	196.6	209.0
73	तुर्कमेनिस्तान	179.2	354.4
74	इरान इस्लाम गणराज्य	178.3	261.5

2012-13 के दौरान कॉफी निर्यात का देशवार विवरण
(भारतीय व पुन:निर्यातित कॉफी दोनों)

(अनंतिम)

क्र सं	देश का नाम	मात्रा मे. टन में	मूल्य लाख रु. में
75	कतार	163.4	331.9
76	उ.कोरिया जन गणराज्य	148.6	273.1
77	बंगलादेश	145.6	236.4
78	आइवरी कोस्ट	127.0	301.5
79	बलगेरिया	76.8	97.3
80	चेक गणराज्य	70.1	122.2
81	ताहिती	58.7	129.8
82	इराक	57.2	133.6
83	गाम्बिया	56.4	98.0
84	अंगोला	55.8	65.7
85	श्रीलंका	53.8	118.9
86	अबू धाबी	53.3	121.9
87	दुबई	48.4	112.4
88	मोलडोवा	47.4	95.2
89	गिनी	40.8	64.8
90	अरमेनिया	38.4	87.6
91	अज़रबैजान	36.6	68.3
92	बोस्निया एण्ड हेरजेग़ोवी	32.2	48.6
93	गेबोन	22.5	63.3
94	आयरलैण्ड	19.5	59.5
95	चिली	19.2	23.8
96	कैमरुन	19.1	43.3
97	थाइलैण्ड	18.2	27.7
98	साइप्रस	18.0	23.0
99	चाड	9.6	20.8
100	बाहरेन	4.4	8.1
101	फिलीपिन्स	0.9	1.0
102	मौरिशस	0.8	2.6
103	हांग कांग	0.1	0.4
104	ब्रूनी दारुसलम	0.0	0.1
	महा योग	**2,98,040.1**	**4,53,250.4**

2012-13 के दौरान कॉफी निर्यात का देशवार विवरण
(पुन:निर्यातित कॉफी)

क्र सं	देश का नाम	मात्रा मे. टन में	मूल्य लाख रु. में
1	रूस संघ	16,720.2	27,258.5
2	तुर्की	6,748.1	10,689.4
3	यूक्रेन	2,952.8	5,275.9
4	सं. रा. अ	2,592.2	4,414.9
5	फिनलैण्ड	2,312.9	3,474.7
6	मलेशिया	2,260.5	2,896.2
7	पोलैण्ड	1,608.7	1,548.6
8	लाटविया	1,595.9	1,891.3
9	जर्मनी	1,579.2	2,450.2
10	बेलारस	1,304.2	2,227.2
11	सिंगापुर	1,086.2	1,523.7
12	जापान	1,046.8	1,745.2
13	मिस्र	1,046.1	1,249.2
14	माली	649.2	1,458.9
15	फ्रांस	626.2	1,259.5
16	इण्डोनेशिया	482.8	720.2
17	तायवान	461.7	699.2
18	उज़बेकिस्तान	377.1	576.4
19	संयुक्त राज्य	357.3	686.5
20	सिरिया	350.5	534.6
21	सेनेगल	316.8	659.4
22	मियानमार	237.6	305.0
23	बेल्जियम	236.2	416.2
24	नायजर	222.1	480.5
25	बुर्किना फाज़ो	220.5	534.2
26	कीन्या	192.6	198.8
27	द.कोरिया गणराज्य	148.6	277.1
28	इटली	146.4	222.3
29	चीन जन गणराज्य	142.5	205.5
30	मौरिटानिया	135.4	294.5
31	कोंगो	127.1	254.6

2012-13 के दौरान कॉफी निर्यात का देशवार विवरण
(पुन:निर्यातित कॉफी)

क्र सं	देश का नाम	मात्रा मे. टन में	मूल्य लाख रु. में
32	दक्षिण अफ्रीका	123.1	84.7
33	कज़गस्ताान	121.4	200.1
34	एसटोनिया	111.0	136.5
35	जोर्डन	106.7	169.4
36	टोगो	91.4	187.9
37	वियतनान	90.5	134.0
38	तुर्कमिनिस्तान	88.6	176.9
39	लिथुआनिया	78.1	128.4
40	जोर्जिया	72.7	92.2
41	बेनिन	64.8	139.1
42	नाइजेरिया	57.5	80.6
43	इराक	57.2	133.6
44	अंगोला	55.8	65.7
45	इरान इस्लाम गणराज्य	45.8	38.6
46	घाना	42.4	89.1
47	तुनिशिया	41.4	84.6
48	इजराइल	40.3	59.6
49	आइवरी कोस्ट	39.6	94.8
50	ताहिती	39.5	107.6
51	स्वीट्ज़रलैण्ड	38.1	56.5
52	अलजेरिया	30.9	63.9
53	नीदरलैण्ड्स	30.7	34.9
54	गिनी	30.6	43.3
55	साऊदी अरेबिया	30.6	50.3
56	गाम्बिया	23.7	45.6
57	गेबोन	18.9	42.9
58	थाइलैण्ड	18.2	27.7
59	बोसनिया एण्ड हर्जेगोवी	13.0	27.3
60	कैमरुन	9.5	21.3
61	आस्ट्रेलिया	4.5	10.4
62	संयुक्त अरब अमीरात	3.1	5.9
	महायोग	**49,904.0**	**79,061.8**

2012-13 के दौरान मूल्य संवर्धित कॉफी का निर्यात
(भारतीय व पुन:निर्यातित कॉफी दोनों)

क्र सं	कॉफी की किस्म	मात्रा मे. टन में	मूल्य लाख रु. में
1	स्पेशशियालिटी कॉफी	12,627	23,851
2	घुलनशील, रोस्टड एण्ड ग्राउण्ड कॉफी	88.635	1,39,638
	योग	1,01,262	1,63,489

2012-13 के दौरान प्रमुख 10 निर्यातकों द्वारा कॉफी का निर्यात
(भारतीय व पुन:निर्यातित कॉफी दोनों)

क्र सं	निर्यात का नाम	मात्रा मे. टन में	मूल्य लाख रु. में
1	अल्लाना सन्स लिमिटेड	28,488.2	46,697.8
2	सी सी एल प्रोडक्टस (इंडिया) लि.	25,746.5	43,843.6
3	एन के जी जयन्ती कॉफी प्रा.लि.	25,051.0	34,892.1
4	अमेलगमेटिड बीन कॉफी ट्रेडिंग कँ लि.	20,668.4	31,946.7
5	टाटा कॉफी लि.	20,556.9	35,834.3
6	एस एल एन कॉफी प्रा.लि.	18,735.5	24,724.7
7	ओलम एग्रो इंडिया लि.	16,799.1	29,507.9
8	नेस्ले इण्डिया लि.	15,585.9	23,257.4
9	इकोम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्रा.लि.	12,874.4	20,037.0
10	नेड कमोडिटीज इंडिया प्रा.लि.	12,504.4	15,161.3
	टॉप 10 योग	**1,97,010.3**	**3,05,902.8**
11	अन्य	1,01,030.2	1,47,347.7
	महायोग	**2,98,040.5**	**4,53,250.5**

निर्यात प्रोत्साहन

कॉफी बोर्ड से XI योजना स्कीम के दौरान "कॉफी का निर्यात संवर्धन" स्कीम के अन्तर्गत कॉफी निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। भारत सरकार ने विद्यमान रीतियों के साथ चालू वर्ष में स्कीम को जारी रखने के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

उपरोक्त की दृष्टि से 2012-13 के दौरान प्रति किलो 2/- रू. के वर्तमान दर पर इण्डिया ब्रैण्ड के रुप में मूल्य संवर्धित कॉफी के निर्यात और 1/-रू. के दर पर दूरस्य बाजारों अर्थात सं रा अ, केनेडा, जापान, आस्ट्रेलिया व न्यूज़ीलैण्ड को उच्च मूल्य हरी कॉफी के निर्यात के लिए निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत कॉफी निर्यातकों को निर्यात प्रोत्साहन देना जारी है। निर्यात प्रोत्साहन देने के उद्देश्य निम्न हैं।

क) भुनी कॉफी के 1000 ग्राम और इंस्टेंट कॉफी के 500 ग्राम की अधिकतम मात्रा रिटेल कंज्यूमर पैक के माध्यम से इंडिया ब्रैंड के रुप में मूल्य संवर्धित कॉफी के निर्यात को बढ़ाना।

ख) उच्च मूल्य हरी कॉफी को दूरस्थ बाजारों अर्थात सं रा अ, केनडा, जापान, आस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड को निर्यात करना।

वर्ष 2011-12 के बिखरे मामलों को शामिल कर वर्ष 2012-13 के दौरान इन दो क्रिया कलापों के अन्तर्गत भौतिक और वित्तीय उपलब्धि निम्नलिखित है :

क्र. सं.	घटक	मात्रा मे.ट. में	मूल्य लाख रू. में
1.	उच्च मूल्य ग्रीन कॉफी	8008	80.08
2.	मूल्य संवर्धित कॉफी	17077	341.70

बोर्ड ने इंडिया ब्रैंड्स के रुप में मूल्य संवर्धित कॉफी के निर्यात को बढ़ाना और कॉफीज ऑफ इण्डिया लोगो के जरिए भारतीय कॉफी की पहचान को सशक्त बनाना जारी रखा। कॉफीज़ ऑफ इंडिया लोगो, कॉफी के गुणों को छांव में उगाई, धारणीय और आभायुक्त चित्रित करता है और प्रतीकात्मक रुप से इस सत्य को प्रतिपादित करता है कि भारतीय कॉफी छांव में उगाई जाती है, कॉफी के क्षेत्र दुनिया के 25 जैव विविधतायुक्त क्षेत्रों में से एक है और भारत में उगाई गई कॉफी अपने में कितनी विविध है।

कॉफी बोर्ड पुरस्कार

फ्लेवर ऑफ इण्डिया फाइन कप अवार्ड्स

पुरस्कार के 11 वें वर्ष में एक नई उँचाई हासिल

भारतीय कॉफी बोर्ड, फाइन क्वालिटी कॉफी के उत्पादन संवर्धन के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष फ्लेवर ऑफ इण्डिया-फाइन कप अवार्ड्स कप्पिंग प्रतियोगिता का आयोजन करता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत से फाइन कॉफी के प्रदर्शन में सफल रहा। कॉफी नमूनों का विश्लेषण उसके रंग, सुगंध, आकार और फलियों में पाए गए क्षतियों के आधार पर कायिक/दार्ष्टिक क्वालिटी के लिए किया जाता है। कॉफी नमूनों को कप्पिंग के अन्तिम राउण्ड के लिए अर्हक सर्वोत्तम कॉफी को चुनने के लिए कॉफी बोर्ड के साथ-साथ भारतीय कॉफी उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले कॉफी चषक स्वादकों के एक अनुभव प्राप्त पैनल द्वारा कप क्वालिटी के लिए भी मूल्यांकित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर चुने गए कॉफियों में से फाइन कप अवार्ड के लिए उत्कृष्ट कॉफियों का चयन, विभिन्न देशों से जानेमाने चषक स्वादकों के अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा किया जाता है।

फ्लेवर ऑफ इण्डिया फाइन कप अवार्ड्स - 2012

फ्लेवर ऑफ इण्डिया के लिए 12 मार्च 2012 को अरेबिका के 118 नमूनों और रोबस्टा के 101 नमूनों को शामिल कुल 219 नमूने प्राप्त हुए। इनका कायिक मूल्यांकन किया गया। कायिक मूल्यांकन के पश्चात 60% अंक प्राप्त 114 अरेबिका नमूने और 101 रोबस्टा नमूनों को शामिल कर कुल 215 नमूने पूर्व-ज्यूरी कप्पिंग के लिए अर्ह रहे। पूर्व-ज्यूरी कप्पिंग के बाद 60% अंक प्राप्त किए 62 अरेबिका नमूनों और 62 रोबस्टा नमूनों को शामिल कर कुल 124 नमूने राष्ट्रीय ज्यूरी कप्पिंग के लिए अर्ह रहे। राष्ट्रीय ज्यूरी कप्पिंग के पश्चात 16 अरेबिका 6 स्पेशलिटी अरेबिका, 11 रोबस्टा और 6 स्पेशलिटी रोबस्टा को शामिल कर 39 नमूनों को अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने कप्पिंग के अन्तिम राउण्ड के लिए चुना।

अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी कप्पिंग

कॉफी बोर्ड ने फ्लेवर ऑफ इण्डिया द फाइन कप अवार्ड कप्पिंग प्रतियोगिता 2012 के अन्तिम कप्पिंग सत्र का आयोजन 3 मई 2012 को किया जो मेलबर्न में 4 से 6 मई 2012 को नियत मेलबर्न अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी एक्स्पो, मेलबर्न, आस्ट्रेलिया से पहले सम्पन्न हुआ । अन्तिम कप्पिंग सत्र 3 मई 2012 को हुआ जिसमें 11 सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी ने भाग लिया । घटना का आयोजन आस्ट्रेलिया के कॉफी अकादमी, विलियम एंग्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेफे में हुआ। एच ए बेनेट एण्ड सन्स ने संभार तंत्र और तकनीकी सहायता दिया। कप्पिंग सत्र का आरम्भ श्रीमती रुप राशि, वित्त निदेशक के स्वागत से आरम्भ हुआ, घटना का परिचय डॉ के बसवराज ने दिया और श्रीमती सुनालिनी मेनन ने भारतीय कॉफी की बारीकियों पर एक अन्तरदृष्टि प्रस्तुत किया।

कप्पिंग सत्र के अंकों को समेकित कर, नमूना कोड को श्री जावेद अख्तर, अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड की उपस्थिति में खोला गया।

प्रतियोगिताओं के परिणामों की घोषणा **अरेबिका, स्पेशलिटी अरेबिका, रोबस्टा और स्पेशलिटी रोबस्टा** श्रेणी के अन्तर्गत कॉफी बोर्ड स्टॉल में 4 मई 2012 को श्री मधुसूदन प्रसाद, अपर सचिव (बागान) और डॉ सुभकान्त बेहरा, भारतीय कांउसेल जेनरल ने किया। अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी का सम्मान श्री मधुसूदन प्रसाद, अपर सचिव (बागान) ने एक वैयक्तिक स्मृति चिन्ह, सम्मिलन का प्रमाण पत्र, कॉफीज़ ऑफ इण्डिया गिफ्ट बॉक्स, कॉफीज़ ऑफ इण्डिया स्टोल से किया। 5 मई को फ्लेवर ऑफ इण्डिया के विजेताओं और स्पेशलिटी कॉफीज /एस्टेट ब्रैण्डेड कॉफीज़ ऑफ इण्डिया का एक स्वादन सत्र का आयोजन किया गया।

भिन्न श्रेणियों में विजेता निम्न थे-

1. **सर्वोत्तम अरेबिका** लॉयला एस्टेट, पी आर के जोसफ प्लान्टेशन्स, द जोसफ कॉफी क्यूरिंग वर्क्स, पट्टीवीरनपट्टी 624211, दिण्डिगल जिला, तमिल नाडू

2. **सर्वोत्तम स्पेशलिटी अरेबिका,** मइलमनी एस्टेट टाटा कॉफी लि. पोलिबेट्टा, दक्षिण कोडगू-571215

3. **सर्वोत्तम रोबस्टा** कलेरीमलै एस्टेट, डॉ वी सिद्धार्थन, कलेरीमलै एस्टेट, कोट्टचेडू, यरकाड

4. **सर्वोत्तम स्पेशलिटी अरेबिका** कोट्टाबेट्टा एस्टेट टाटा कॉफी लि. पोलिबेट्टा, दक्षिण कोडगू-571215

फ्लेवर ऑफ इण्डिया - फाइन कप अवार्ड्स 2013

फ्लेवर ऑफ इण्डिया - द फाइन कप अवार्ड कप्पिंग प्रतियोगिता-2013 के लिए कॉफी नमूनों अरेबिका और रोबस्टा दोनों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख 1 मार्च 2013 थी। प्रतियोगिता के लिए अरेबिका के 72 नमूने, रोबस्टा के 42 नमूने, स्पेशालिटी अरेबिका के 65 नमूने और स्पेशलिटी रोबस्टा के 42 नमूने को शामिल कर कुल 221 कॉफी नमूने प्राप्त हुए। 221 नमूनों में से अरेबिका के 20, स्पेशलिटी अरेबिका के 6, रोबस्टा के 8 और स्पेशलिटी रोबस्टा के 6 नमूनों को शामिल कर 40 नमूनों को 26 से 28 जून 2013 को नाइस, फ्रांस में नियत एस सी ए ई के वार्षिक सम्मेलन व प्रदर्शनी से पहले नाइस, फ्रांस में होने वाली कप्पिंग के अन्तिम राउण्ड के लिए भेजे जाएगें। अन्तर्राष्ट्रीय ज्यूरी वर्ष 2013 के लिए 40 नमूनों में से भिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत सर्वोत्तम कॉफी का चयन करेगें।

बाह्य प्रोन्नति

निर्यात संवर्धन के अन्तर्गत, क्रिया कलापों को निम्नलिखित कार्यों पर फोकस किया गया ।

- चुनिन्दा अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य व पेय मेलों, कॉफी सम्मेलनों एवं पेय मेलों आदि में प्रत्यक्ष रुप से और भारत व्यापार प्रोन्नति संगठन (आई टी पी ओ) दोनों के जरिए नियमित प्रतिभागिता। इन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभागिताओं के लिए वार्षिक कैलेण्डर को अन्तिम रुप देने हेतु घटनाओं का चयन पणधारियों के साथ परामर्श करने के बाद दिया जाता है। यह प्रतिभागिता उच्च मूल्य बाजार में कॉफी की दृश्यता को सुदृढ़ और पारम्परिक गढों में भारतीय कॉफी की उपस्थिति को पुख्ता करता है। इस प्रकार यह नीति, निर्यात को समर्थन देकर उच्च मूल्य कमाने पर केन्द्रित होती है।
- इण्डिया ब्रैण्डिंग को समर्थन देने के लिए इन घटनाओं में भारत की कॉफी को दृश्यता प्रदान करना ।
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मौजूदगी को पुख्ता करने के लिए मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इण्डिया शो में कॉफी बोर्ड और कॉफी उद्योग ने भाग लिया ।
- स्पेशलिटी कॉफी घटनाओं के साथ-साथ फ्लेवर ऑफ इण्डिया के आयोजन के जरिए प्रीमियम बाजार में भारत की कॉफी का संवर्धन/दृश्यता ।
- चुनिन्दा विदेशी कॉफी सम्बन्धी व्यापार जर्नलों में विज्ञापन रिलीज करना ।
- विदेशी व्यापारियों, रोस्टर्स आदि के प्रतिनिधि मण्डलों को भारत बुलाकर कॉफी उद्योग के सदस्यों के साथ अन्तर संवाद आयोजन करना तथा बागान क्षेत्रों आदि का संदर्शन ।
- विदेशी खरीददार, भारतीय निर्यातक, दूतावास कर्मचारी आदि को शामिल कर विदेश में कॉफी स्वादन सत्र, खरीददार विक्रेता बैठक आदि का आयोजन करना
- अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं में भारत की कॉफी पर विभिन्न प्रचार और प्रोन्नतीय साहित्य, डी वी डी, फिल्म आदि का परिचालन ।

बोर्ड ने निम्नलिखित समुद्रपारीय मेलों में भाग लिया और फ्लेवर ऑफ इण्डिया 2012 कप्पिंग प्रतियोगिता के अन्तिम चरणों को शामिल कर 5 विशेष घटनाओं का आयोजन किया ।

✦ ✦ ✦

Board's participation in Overseas events during 2012-13

Sl. No.	Fair title	Date
1	SCAA World Coffee Conference, Oregon, USA along with Cupping of Specialty Coffees	April 20-22, 2012
2	Melbourne International Coffee Expo, Melbourne, Australia, along with Flavour of India 2012	May 4-6, 2012
3	SIAL, China	May 9-11, 2012
4	SCAE World Coffee Conference, Vienna, Austria, along with Special Event	June 13 -15, 2012
5	India Show, Tokyo, Japan	June 20-22, 2012
6	SCAJ World Coffee Conference, Tokyo, Japan with Special Event	September 26-28, 2012
7	COTECA, Germany	September 20-22, 2012
8	World Food Moscow, Moscow, Russia, with BSM	September 17-20, 2012
9	GIDA World Food Istanbul 2012, Turkey	September 06-09, 2012
10	World Food Ukraine 2012, Ukraine	October 30-Nov. 1, 2012
11	Triestespresso, Trieste, Italy	October 25-27, 2012
12	Cafeshow, Seoul, Korea alongwith Cupping sessions / Special Event	November 22-25, 2012
13	TAIPEI International Tea & Coffee Expo 2012	November 23-26, 2012
14	Gulf Food, Dubai	February 25-28, 2013
15	NCA, USA	March 14-16, 2013
Additional Events participated		
1	"Made in India" –Brand promotion – "Flavours of India",London,U.K	Aug 2-4 , 2012
2	World Economic Forum, Davos, Switzerland	Jan 23-26, 2013

✦ ✦ ✦

अध्याय - VIII

बाजार अनुसंधान एवं इंटेलिजेन्स

रिपोर्ट अधीन अवधि के दौरान बोर्ड के बाजार अनुसंधान एवं इंटेलिजेन्स इकाई ने निम्नलिखित कार्य मदों को निपटाया

- इकाई ने बाज़ार विश्लेषण के लिए मूल्य, आपूर्ति, मांग और अन्य मूलभूत और तकनीकी घटकों पर महत्वपूर्ण बाज़ार सूचना (वैश्विक एवं भारतीय दोनों) को एकत्रित एवं समेकित करना जारी रखा। इन सूचनाओं को उद्योग के विभिन्न सेक्टर के साथ-साथ सरकार को प्रसारित किया ।
- अवधि के दौरान दैनिक बाजार विश्लेषण देने के दैनिक ई-मेल सूचना सेवा को जारी रखा गया। यह सुविधा विस्तरण विभाग के जरिए उपजकर्ताओं को विस्तारित की जाती है और वेबसाइट www.indiacoffee.org में पोस्ट की जाती है और एस एम एस सेवा के जरिए भी संदेश दिए जाते हैं।
- इकाई ने जुलाई 2012-नवम्बर 2012 और जनवरी 2013 और मार्च 2013 के महीनों के लिए कॉफी पर व्यापक डेटा बेस पर चार अंक प्रकाशित किया। कॉफी पर डेटा बेस नीति बनाने वालों और पणधारियों के लिए उपयोगी है।
- सीज़न 2011-12 और 2012-13 के लिए जोतों के भिन्न श्रेणी और कॉफी प्रान्त क्षेत्रों में स्तरित अनियमित नमूनाकरण तकनीक का प्रयोग करते हुए फसल प्राक्कलन किए गए।
  - 2011-12 के लिए अन्तिम प्राक्कलन 314,000 मे.ट है (अरेबिका, 101,500 मे.ट. और रोबस्टा 212,500 मे ट)
  - 2012-13 के लिए पुष्पणोत्तर प्राक्कलन 325,300 मे.ट. है (अरेबिका 104,000 मे.ट. और रोबस्टा 221,300 मे.ट. तथा
  - 2012-13 के लिए मानसूनोत्तर पूर्वानुमान 315,500 मे.ट.है (अरेबिका 100,225 मे.ट. और रोबस्टा 215,275 मे ट)
- आई आई पी एम, बेंगलूर द्वारा चलाए गए "भारतीय कॉफी निर्यात का पण्यावर्त लागत" पर बाजार अनुसन्धान अध्ययनों का समन्वयन किया और अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत किया।
- भारत कॉफी बाजार अध्ययन 2012-कॉफी उपभोग रुझान एवं व्यापार अवसर, मेसर्स डाटामेशन कँसलटन्टस प्रा. लि. नई दिल्ली को दिया गया और अध्ययन प्रगति पर है।
- इकाई ने निर्यात अनुभाग के क्रिया कलापों का समन्वयन किया।
- डब्ल्यू टी ओ और कॉफी के व्यापार नीति से सम्बन्धित मामलों पर आर्थिक एवं विश्लेषणात्मक समर्थन प्रदान किया।
- इकाई ने बोर्ड के वेबसाइट www.indiacoffee.org के रख-रखाव के काम को जारी रखा।
- इकाई ने इण्डियन कॉफी अंकों में मार्केट वाच कॉलम में नियमित योगदान दिया।
- इकाई ने घरेलू नीलमी केन्द्र आई सी टी ए को कॉफी के सभी श्रेणियों के लिए साप्ताहिक प्राक्कलित सूचकांक मूल्य प्रदान किया।
- वर्ष 2013-14 के लिए कॉफी के पूर्व बजट प्रस्तावों को तैयार कर सरकार को प्रस्तुत किया। बोर्ड के प्रयासों के आधार पर, कॉफी बागान सेक्टर को विशिष्ट मशीनरी के लिए 5% का रियायती उत्पाद शुल्क दिया जा रहा है।
- इकाई ने घरेलू कॉफी संवर्धन-मीडिया योजना के क्रिया-कलापों के लिए भी समर्थन प्रदान किया।
- 2012-13 के दौरान निम्नलिखित योजनाओं को जारी रखा गया

क) कॉफी उपजकर्ताओं के लिए वृष्टि बीमा योजना (आर आई एस सी)

ख) भारत सरकार की मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना।

ग) वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना (पी ए आई एस)

उपरोक्त योजनाओं के विशेष क्रिया कलाप और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

कॉफी के लिए वृष्टि बीमा योजना (आर आई एस सी)

- 2012-13 के दौरान, मानसूनोत्तर बौछार बीमा 2012 का विपणन किया गया। 1078 हे के क्षेत्र को कवर करते हुए 1163 उपजकर्ताओं ने बीमा पॉलिसी/उत्पाद को खरीदा ।
- भारत सरकार ने उपजकर्ताओं द्वारा अदा की जाने वाली बीमाकृत राशि और प्रीमियम पर उपदान के बढ़े स्तर को देश के सभी कॉफी उपजने वाले क्षेत्रों में 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कॉफी के लिए वृष्टि बीमा योजना (आर आई एस सी) के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन से अवगत कराया है।
- फरवरी 2013 के दौरान 810 हे के क्षेत्र को कवर करते हुए 949 उपजकर्ताओं ने बीमा पॉलिसी/उत्पाद को खरीदा।

मूल्य स्थिरीकरण निधि योजना

कॉफी बोर्ड, कॉफी उपजकर्ताओं के लिए योजना का कार्यान्वयन एजेन्सी है। बोर्ड की बाजार अनुसन्धान और इन्टेलिजन्स इकाई सम्बन्धित क्रिया कलापों का समन्वयन करती है।

31-03-2013 को यथास्थिति इस योजना के अन्तर्गत 11,594 उपजकर्ताओं को सदस्यों के रुप में पंजीकृत किया गया। सदस्यता का राज्यवार ब्रेक अप निम्नानुसार है आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत उपजकर्ताओं की अधिकतम संख्या 5451 (47.11%) थी उसके बाद क्रमश: 2,880 (24.86%) और 2267 (19.55%) के साथ केरल और कर्नाटक जबकि तमिल नाडू में 917 (7.90%) और ओडिशा में 79(0.68%) उपजकर्ता थे।

मूल्य स्थिरीकारण निधि योजना के अन्तर्गत वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने कॉफी बोर्ड से प्राप्त कॉफी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के सात वर्षों के गतिमान औसत के आंकडों के आधार पर मूल्य स्पेक्ट्रम बैण्ड को निर्धारित करते हुए वर्ष 2012 को अरेबिका और रोबस्टा कॉफी के लिए बूम वर्ष करार दिया।

बैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना।

मूल्य स्थिरीकरण निधि ट्रस्ट ने 2011-12 और 2012-13 में वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए मेसर्स चोलामण्डलम और मेसर्स जनरल बीमा कम्पनी लि, को चुना है। प्रति वर्ष 22.06 रु. के वार्षिक प्रीमियम दर को लाभानुभोगी उपजकर्ता/मजदूर और पी एस एफ टी के बीच 50:50 अनुपात के आधार पर शेयर किया जाएगा अर्थात उपजकर्ता/ मजदूर 11.00 रु. अदा करेगें जबकि पी एस एफ टी का अंशदान 11.03 रु. होगा। 31.03.2013 को यथास्थिति 227,195 रु. की कुल प्रीमियम राशि के साथ वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत कुल 10313 सदस्य (7362 उपजकर्ता और 2941 मजदूर) नामांकित हुए।

भारतीय कॉफी निर्यातों के पण्यावर्त लागत पर बाजार अनुसन्धान अध्ययन

भारतीय कॉफी सेक्टर निर्यात उन्मुख है क्योंकि उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत का निर्यात किया जाता है। मूल्य श्रृंखला के अपस्ट्रीम भाग में लागत उपज से आरम्भ होकर संसाधन तक और अन्त में निर्यात तक, अनेक तत्वों पर निर्भर होते हैं। भारत में सापेक्षिक रुप से उच्च लॉजिस्टिक्स और पण्यावर्त लागत के परिणाम स्वरुप निम्न मूल्य प्राप्त होती है। अत: एसियन, इण्डियन एफ टी ए और डब्ल्यू टी ओ के कुछ असंगत प्रोत्साहनों का कॉफी सेक्टर के मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता पर अगाध मतलब होता है। अत: यह उपयुक्त होगा कि प्रक्रियात्मक बाधाओं को आसान बनाने के लिए क्रमबद्ध लाजिस्टिक्स और खानापूरी प्रणाली की सहायता के लिए एक सुकर ढ़ॉचा तैयार किया जाय। निर्यात पण्यावर्त लागत में कोई भी कमी, कॉफी सेक्टर के लिए स्थायी लाभ प्रदान करेगा।

इस सन्दर्भ में, कॉफी बोर्ड ने आई आई पी एम, बेंगलूर के

जरिए भारतीय कॉफी निर्यात पण्यावर्त लागत पर अध्ययन शुरु किया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1) विभिन्न चैनलों के जरिए फार्म गेट से बन्दरगाह तक कॉफी मूल्य श्रृंखला की जांच करना और उन महत्वपूर्ण कडियों को समझना जहाँ लागत बढ जाते हैं।

2) तीन प्रमुख बन्दरगाह अर्थात चेन्नई, कोच्ची और मेंगलूर में लागत का तुलनात्मक अध्ययन करना।

3) अन्तर राज्य और मूल्य संवर्धित करों और सम्बंधित अतिसूक्ष्म लागत की जाँच करना

4) सम्भव नेटवर्क बहिर्भावों को समझना ।

5) कॉफी व्यापार से जुडे व्यापारावर्त लागत से सम्बन्धित संगत अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भिकाओं को पहचानना और इसके द्वारा भारत के लिए उचित अनुमितियां बनाना।

यह अध्ययन विस्तृत डेस्क अनुसन्धान और क्षेत्र संदर्शन, साक्षात्कार और सम्बन्धित प्रेक्षणों पर आधारित था। प्राथमिक सूचनाएँ उपजकर्ताओं/ व्यापारियों, निर्यातकों (हरी, इन्स्टेंट, स्पेशलिटी) सीमा शुल्क गृह एजेन्टों (सी एच ए) बन्दरगाहों में अधिकारियों से प्राप्त की जाती है। द्वितीयक सूचनाएं बन्दरगाहों, प्रकाशित रिपोर्टों, क्रिया व्यापार रिपोर्ट आदि के जरिए प्राप्त की जाती है।

प्रमुख खोज

यह अध्ययन सेक्टर स्तर पर पण्यावर्त लागत को कम करने के तरीकों को खोज निकालता है, जिससे कॉफी सेक्टर के सम्पूर्ण विकास के लिए निर्यातकों से अधिक मूल्य प्राप्ति की जा सकती है। यह रिपोर्ट 3 प्रमुख बन्दरगाहों (चेन्नई, कोची और मेंगलूर) के जरिए निर्यातों के विस्तृत ब्रेक आप को प्रस्तुत करता है। प्रमुख कॉफी निर्यातक देशों, विशेषकर वियतनाम के कुछ यथार्थ सन्दर्भिका परिमितियों पर भी विचार किया गया है। कम अवधि में भारतीय कॉफी सेक्टर को एक कागज़ रहित व्यापार प्रणाली विकसित करना होगा जिसके तहत कुछेक कागज़ातों/ प्रमाणपत्र/परमिट और सम्बन्धित विभागों और एजेन्सियों के इलेक्ट्रानिक एकीकरण शामिल है। यह बेहतर अनुरेखणीयता को भी सुनिश्चित कर सकता है, जो कॉफी क्वालिटी के रख-रखाव और स्पेशलिटी बाजारों के विकास में सहायता प्रदान करता है। आखिरकार, मेंगलूर बन्दरगाह के जरिए नौभरण को सहज करना चाहिए क्योंकि यह बन्दरगाह मुख्य कॉफी उपजने वाले और संसाधन क्षेत्रों में निकटतम है। वेयरहाउसों को पुनर्संज्ञित करते हुए अन्तर को कम करने के लिए निर्यातकों को अंतरिम प्रोत्साहन के प्रावधान (क्योंकि अधिक कॉफी मेंगलूर बन्दगाह के जरिए सुनियोजित है, इसलिए प्रयोज्य जहाज की बारम्बारता बढ़ सकती है) के रुप में हो सकती है और इसके द्वारा लम्बी अवधि में लोजिस्टिक्स में अच्छे खासे बचत के संकेत हैं।

✦ ✦ ✦

संक्षेप

AIC	भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि.
BSM	बायर सेलर मीट
C/lb	सेन्ट्स/पाउण्ड
CBB	कॉफी बेरी बोरर
CCRI	केन्द्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान
CDRP	कॉफी ऋण राहत पैकेज
CFC	कॉमन फण्ड फॉर कॅमोडिटीस
CIFC	सेन्ट्रो डे इन्वेस्टिगाको ड़ास फेरुजिनस ड़ो केफेरो (कॉफी रस्ट रिसर्च सेंटर)
CFU	कॉलोनी फार्मिंग यूनिट
CIS	कैरियर इंप्रूवमेंट स्कीम
CRSS	कॉफी अनुसंधान उप स्टेशन
CxR	कांजेनसिस x रोबस्टा
CST	केन्द्रीय विक्रय कर
DBT	बयोटेक्नालॉजी विभाग
DGFT	महानिदेशक (विदेश व्यापार)
DNA	डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लियिक एसिड
EU	यूरोपियन यूनियन
EC	इमाल्सिफाइंग कान्सेन्ट्रेशन
FFS	फार्मर्स फील्ड स्कूल
FPM	फार्मर्स पार्टिसिपेटरी मेथड
FYM	फार्म यार्ड मैन्यूर
GBE	ग्रीन बीन इक्वीवलन्ट
HDT	हाइब्रिडो -डे- टिमोर
IA&AS	इंडियन ऑडिट एण्ड- अकाउण्ट्स सर्विस
IAP	इंटरनल ऑडिट पार्टी
IAS	भारतीय प्रशासनिक सेवा
IARI	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR	इंडियन काउंसिल ऑफ अग्रिकल्चरल रिसर्च
ICH	इडिया कॉफी हाउस
ICO	अन्तर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन
ICTA	इंडियन कॉफी ट्रेड असोसिएशन
INM	एकीकृत पोषण प्रबंधन
IPM	एकीकृत नाशिकीट प्रबंधन
IICF	इंडिया इन्टरनेशनल कॉफी फेस्टिवल
IIHR	भारतीय बागबानी अनुसंधान संस्थान
IIPM	भारतीय बागान प्रबंध संस्थान
ITDA	एकीकृत जनजाति विकास अभिकरण
ITPO	इंडिया व्यापार संवर्धन संगठन

IT	इनफार्मेशन टेकनॉलजी, सूचना प्रौद्योगिकी
ITS	इंडियन टेलीफोन सर्विस
Kg/ha	किलोग्राम/हेक्टर
KGST	केरल जनरल सेल्स टैक्स
MACP	माडिफाइड अश्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेशन
MFCS	माडिफाइड फ्लेक्सिबल काम्पलीमेन्टरी स्कीम
MAS	मार्कर असिस्टेड सेलेक्शन
MT	मेट्रिक टन
MTS	मल्टि टास्किंग स्टाफ
NER	पूर्वोत्तर क्षेत्र
NTA	गैर पारम्परिक क्षेत्र
NPK	नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम
PB	वेतन बैंड
PFA	प्रीवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन
PSFT	मूल्य स्थिरीकरण निधि ट्रस्ट
RCRS	क्षेत्रीय कॉफी अनुसंधान स्टेशन
RTI	सूचना का अधिकार
SC	अनुसूचित जाति
SCAA	स्पेशियालिटी कॉफी असोसिएशन ऑफ अमेरिका
SCAE	स्पेशियालिटी कॉफी असोसिएशन ऑफ यूरोप
SCAR	सीक्वेन्स कैरक्टराईस्ड एम्प्लिफाइड रीजन
SEC	सामाजिक आर्थिक वर्ग
SHG	स्वयं सहायता समूह
Sln	सिलेक्शन
SLP	विशेष छुट्टी याचिका
SSP	सिंगल सूपर फॉस्फेट
ST	अनुसूचित जनजाति
SRAP	सीक्वेन्स रिलेटेड एम्पिलफाइड पॉलीमर
STAT	विक्रय कर अपीलेट प्राधिकार
RAPD	रेंडमली एप्पलीफाईड पालिमर डालिमार्फिक
R&D	अनुसंधान व विकास
RCMC	रजिस्ट्रेशन सह-सदस्यता प्रमाण पत्र
R&G	रोस्टड एण्ड ग्राउण्ड
RISC	कॉफी के लिए वृष्टि बीमा स्कीम
TEC	प्रौद्योगिकी मूल्यांकन केन्द्र
UAS	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय
UNO	यूनाइटेड नेशन्स आर्गनाइजेशन / संयुक्त राष्ट्र संघ
WA	रिट अपील
WP	वेटेबल पाउडर
WSB	वाइट स्टेम बोरर
WTO	विश्व व्यापार संगठन